खण्ड-148, अंक-3
शनिवार, 23 माघ, शक संवत् 1876
(12 फरवरी, 1955 ई0)

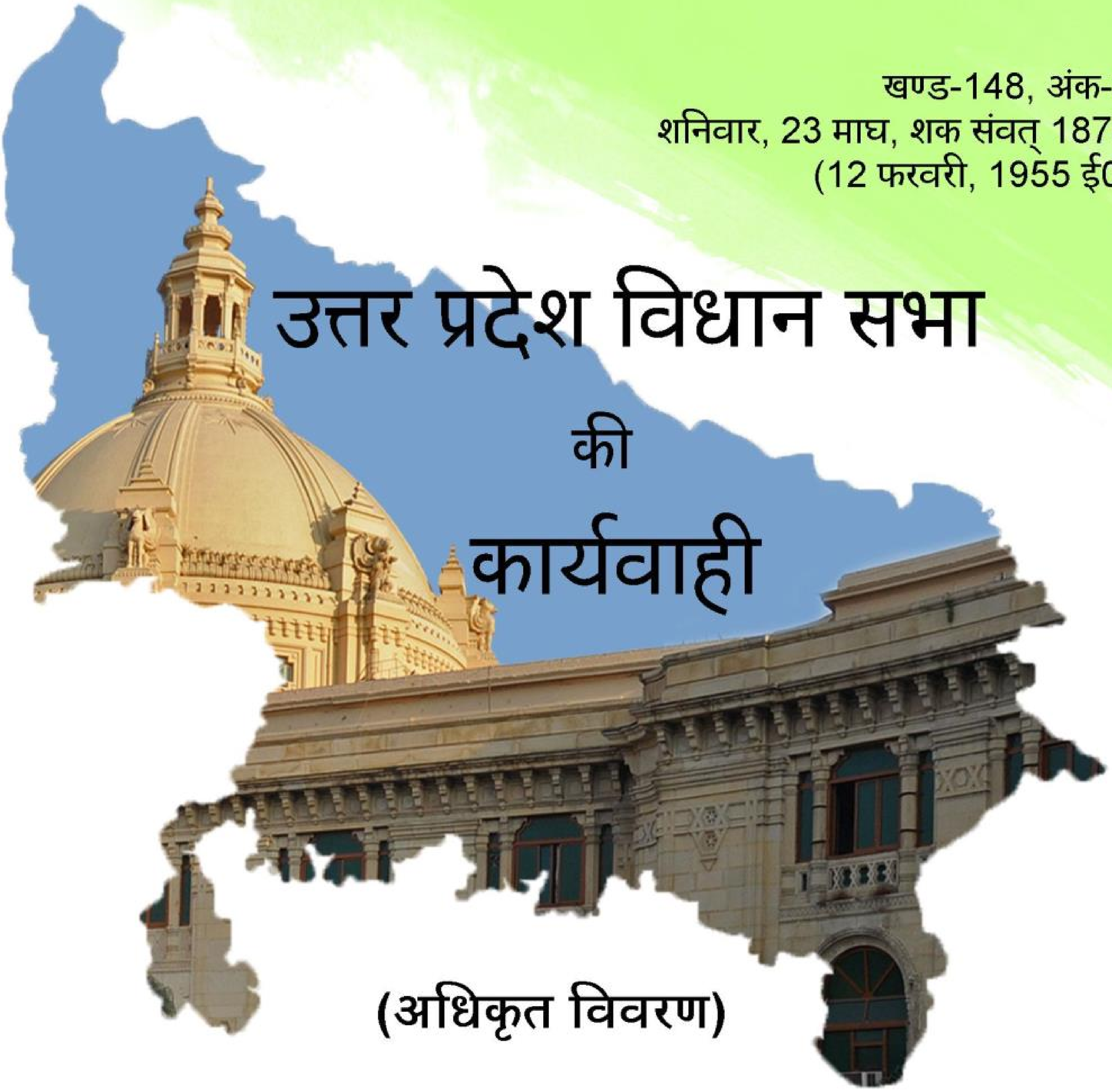

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 148 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १२ फरवरी, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता म आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३३)

अंसमान सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशा लता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
करन सिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय , श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोबर्धन तिवारी, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जुगलकिशोर आचार्य, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचंद, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मिस्त्री, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वसिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन बाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुल समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल, सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव, कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
बिष्णुदयाल वर्मा, श्री
बिष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर,
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखी राम भारतीय, श्री
सुन्दर दास, श्री
सुन्दरलाल, श्री दीवान
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होती लालदास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश पथ परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १९५५

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १९५५ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१९-२३१ पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब श्री केशव गुप्त के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञता पूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं, विचार जारी रहेगा।

इसके ऊपर श्री वंशीदास धनगर जी प्रस्ताव उपस्थित कर चुके हैं।

(श्री वंशीदास धनगर के खड़े न होने पर)

वे उपस्थित नहीं हैं। तो उनका भाषण का अधिकार खत्म हो गया। अब उनको भाषण के लिये मौका नहीं मिलेगा। प्रस्ताव तो वे उपस्थित कर ही चुके हैं, उसके ऊपर अगर वोट लेना होगा तो ले लेंगे।

*श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री केशव गुप्त जी के धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु सदन को खेद है कि राज्यपाल के सम्बोधन में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान व विकास के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ भी प्रकाश नहीं डाला गया है। अतः परिगणित जातियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने ...

श्री अध्यक्ष—यह दूसरा हिस्सा आप कृपा करके छोड़ दें। यह तो आप सुझाव दे रहे हैं। पहला हिस्सा तो ठीक है कि सदन को खेद है कि इन बातों पर प्रकाश नहीं डाला लेकिन यहां से दूसरे हिस्से से आपका आरगूमेंट शुरू होता है। आपको अपने भाषण में जो कुछ कहना हो कहें। लेकिन यह प्रस्ताव का संशोधन नहीं कहा जा सकता।

श्री जयपाल सिंह—ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के जरिये से यह बतला देना चाहता हूं कि महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में 'पिछड़ी जातियों' इस प्रकार के भी सम्बोधन हुये हैं। वास्तव में जहां तक मुझे याद है हर एक में परिगणित जाति के उत्थान के लिये और दूसरे बैकवर्ड जातियों के उत्थान के लिये बराबर चर्चा की गयी है। किन्तु मुझे अफसोस होता है कि हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी के जो नजदीक के अनुयायी हैं, शिष्य हैं और जिनकी यह सरकार है वह भी नजदीक के शिष्य कहलाने का दावा कर सकते हैं परन्तु जो राज्यपाल महोदय का सम्बोधन है उसमें, यह नयी सरकार इस पिछड़े वर्ग और परिगणित जातियों को बिलकुल ही भूल जाती है और उसके उत्थान के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाती। उसने इनके लिये कोई मुकम्मिल तरीके से सर्वे करके कि हमको इतना काम करना है, कोई कदम नहीं उठाया है। मैं समझता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कम से कम डेढ़ करोड़ की आबादी इन परिगणित जातियों की है, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं और मेरा दावा है कि इससे अधिक ही है कम नहीं, और इसी प्रकार पिछड़े वर्ग की जातियों की आबादी भी करीब ३ करोड़ के लगभग है। तो इस प्रकार इतनी ज्यादा संख्या वाली आबादी की बिल्कुल अवहेलना की गयी है और उनके उत्थान के लिये कोई मुकम्मिल योजना नहीं बनायी गयी है कि हम इस प्रकार से उनकी उन्नति के लिये कार्य करेंगे। मैं समझता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयपाल सिंह]

कि इसके लिये अवश्य हमारे पास कोई योजना होनी चाहिये। मुझे खुशी है कि गो-संवर्धन कमेटी की एक रिपोर्ट हमारे सामने पेश की गयी और वह मंजूर हुई। क्या इसी प्रकार कोई एक कमेटी या कमीशन नहीं नियुक्त किया जा सकता जो यह तय करे कि पिछड़े वर्ग के लोग, जो गिरे हुये हैं, उनके उत्थान के लिये हमको एक साल या दो साल में इतना काम करना है और उनके उत्थान के लिये हम को इतना खर्च करना है? होता यह कहा जाता है कि हम उनको उन्नति करना चाहते हैं लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक ठोस योजना की बात है उसके बारे में बैकवर्ड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक संकेत किया था कि वहां की आबादी के अनुपात से उनके प्रदेश की जो आय है उसमें से एक हिस्सा निकाल दिया जाय ताकि वह उनकी उन्नति के कामों के लिये खर्च किया जा सके। उस रुपये से उनकी शिक्षा के लिये कोई ठोस योजना बन सकती है, निवास आदि की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, खेतों के लिये भूमि की व्यवस्था, घरेलू उद्योग-धंधों के लिये उनको प्रोत्साहन, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य की उन्नति की व्यवस्था, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता तथा फोर्स्ड लेबर के समूल उन्मूलन की व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने प्रांतीय सरकार से प्रार्थना की है कि वह इन कामों को करने की ओर कदम उठावे और एक ठोस योजना बना कर काम शुरू करे कि हम एक साल में इतना काम करेंगे और दूसरे साल में इतना, लेकिन कहा तो यह जाता है कि हम अन-लिमिटेड एमाउन्ट खर्च करेंगे। हमारे पं० गोविंद वल्लभ पंत जी ने जिस वक्त यहां बैकवर्ड कमीशन आया और परिगणित जातियों की ओर से एक प्रार्थना की गयी तो उस वक्त उन्होंने कहा था, यह वायदा किया था कि हम अन-लिमिटेड एमाउन्ट परिगणित जातियों के उत्थान के लिये खर्च करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि वह वायदा तो ठीक है लेकिन उसकी पूर्ति कब होगी यह कहा नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि उसकी पूर्ति किस तरह से हो रही है उसकी एक मिसाल यहां देना अच्छा होगा। परिगणित जाति के बच्चों को छठे क्लास से १० या ११ क्लास तक शिक्षा देने के सिलसिले में एक आइटम उस विभाग के संचालक की ओर से पेश किया गया था जिसका एमाउन्ट था ११ या सवा ११ लाख। उसको घटा कर सेक्रेटेरियट में २ लाख कर दिया गया। तो यह है अन-लिमिटेड एमाउन्ट की एक परिभाषा और इस तरह से काम करने की कोशिश की जाती है। एक योजना बनाना और उसके लिये कुछ करना ठीक है लेकिन कान से कान उतना तो दें कि जिसके लिये यह विभाग कहता है। गत वर्ष करीब १ लाख रुपया मकानों के लिये नैनीताल में खर्च हुआ। मैं कहता हूं कि हमारे प्रदेश में ५१ जिले हैं और उनमें हर एक के लिये क्यों न इतना ही रुपया रखा जाय? क्या वजह है कि दूसरे जिले के लोग भूखे और नंगे रहें? तो यह तो आपको सोचना है कि हम किस प्रकार इन समस्याओं को हल करें।

सम्बोधन में एक बात यह भी कही गयी है कि हम राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी क्षेत्र में सब के साथ में न्याय करने की कोशिश करेंगे। यह तो एक वेद वाक्य सा हो गया है लेकिन यह सब कैसे करेंगे, यह हम को नहीं बतलाया गया। सामाजिक सुधार के लिये विभाग भी खोल दिया गया है और उसने काम भी हो रहा है लेकिन इसके माने यह नहीं है कि यह सुधार सब पर लागू होता है और उससे सब का कल्याण हो जायगा। जहां तक परिगणित जातियों का सम्बन्ध है उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि वह अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। मैं अपने जिले के बारे में जानता हूं और कह सकता हूं कि वहां बहुत थोड़े से बच्चे स्कूल जाते हैं जब कि वहां पर वाल्मीकि लोगों की आबादी करीब ४ या ५ लाख है। इसके अलावा जहां तक नौकरियों का सम्बन्ध है उनमें भी परिगणित जाति के लोगों को निकालने की कोशिश की जाती है। मैं इस सिलसिले में एक मिसाल मेरठ की देना चाहता हूं कि एक डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ मेन आफिशियल्स ने किस प्रकार केस बना कर उसको निकालने की कोशिश की और उस केस में अपील में जज महोदय ने कहा है अपील मंजूर करते हुये कि यह फारस केस है। यह उन्होंने जजमेंट में कहा। तो यह तो नौकरियों की हालत है। जहां तक ऊंची जातियों का बोलबाला है उस बारे में अभी एक कमेटी की रिपोर्ट निकली है जिसमें उन्होंने कहा है कि

किस तरह से नीची जाति के लोगों के लिये कोई स्थान नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की कमेटी की रिपोर्ट में यह लिखा है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो वेद वाक्य संशोधन में है उसको काम में लाया जाय और केवल समझाने की कोशिश न की जाय। हमारी सरकार को इसके लिये चाहिये कि आबादी के अनुपात से उनके उत्थान के लिये जल्द से जल्द कार्य किया जाय और उसके लिये कोई ठोस योजना बना कर काम शुरू किया जाय। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं, वह इन बातों को देख लें कि हमारी जो डिमांड है उसको पूरा हो और उनसे मैं आशा करता हूं कि जैसे उनके विचार हैं, उनका लक्ष्य है और रहा है, सोशलिस्ट विचारधारा से प्रभावित होते रहे हैं, हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसमें समन्वय करने की कोशिश करें। बस, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के भाषण से अब की मुझे थोड़ी सी खुशी हुयी कि मेरे रानीखेत में अब की मई में बिजली जली जाने वाली है, जिसकी चर्चा उन्होंने अपने सम्बोधन में की, मैं उन्हें हृदय से बधाई देना चाहता हूं और मुझे आज इन भाषणों के बाद जो भाषण इस सदन में हो रहे हैं और सुनने में शायद आगे भी आयेंगे, उन्हें सुनकर बड़ी प्रसन्नता सी हो रही है। पर अफसोस यह है अध्यक्ष महोदय, कि अब तो अगले चुनाव के बाद ही कुछ फैसला हो सकेगा कुछ नये मंत्री और डिप्टी मिनिस्टर बनने के बारे में क्योंकि जो कुछ होना था वह तो हो चुका है। अब कुछ कह कर बनेगा नहीं और एक दिन में हवा बदलने में कोई बड़ा फर्क नहीं हो जायगा। अभी तो माननीय मुख्य मंत्री पं० गोविंद वल्लभ पंत जी को गये हुये सिर्फ एक महीना और ११ दिन ही हुये हैं और इसी समय के अन्दर अगर इस प्रदेश की सारी हवा ही बदल गयी हो, एक दम गरीबी भी पैदा हो गयी, बेकारी भी पैदा हो गयी और उसके लिये हमारे माननीय सदस्य अल्मोड़ा के श्री हरगोविंद पंत कह रहे थे कि हमारे राज्यपाल महोदय के सलाहकारों को कुमायूं की सूझ नहीं आयी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर गोविंद वल्लभ पंत जी को उनके कुमायूं के इन सलाहकारों ने अच्छी सलाह दी होती तो कुमायूं की वह दुर्दशा न हुयी होती जो आज है। मुझे अफसोस था इस बात का कि हमारी गरीबी की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बेकारी को दूर करने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तब कहा जाता था कि वहां तो बिल्कुल अमन और चैन है कोई तकलीफ की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बच्चा भी जब पैदा होता है तो ९ महीने लगते हैं लेकिन यहां तो एक महीने और ११ दिन में ही तब्दीली हो गयी। मुझे खुशी है कि राज्यपाल ने एक बात और कही और वह यह कि सब मंदिरों की व्यवस्था हो रही है उस पर भी कानून बनने वाला है और मुझे खुशी हुयी वह इसलिये कि इसका भी श्रीगणेश उत्तराखंड से होने वाला है। बद्रीनाथ धाम की एक कमेटी है जिसके सदर माननीय हरगोविंद पंत जी हैं। पुरानी किताबों में पढ़ते थे कि जब किसी देवता का प्रसाद चढ़ता था तो एक सेर का एक मन हो जाता था जिससे सब को बंट सके। आज बदकिस्मती से बद्रीनाथ के धाम में जो असली सोना चढ़ाया जाता है और बाहर बम्बई में बिकने जाता है तो पीतल बन जाता है। बद्रीनाथ का, अध्यक्ष महोदय, सुधार होगा। हमारे जो आज के मुख्य मंत्री जी हैं मैं उनका भी थोड़ा दोष समझता हूं क्योंकि उनकी ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। अभी अध्यक्ष महोदय, एक फिल्म 'यात्रिक' बनी है शायद आपने भी देखी हो, जिसमें बद्रीनाथ की फिल्म निकली है उसमें लव स्टोरी है। मुझे यह जानकर खुशी हुयी कि विष्णु भगवान को भी शृंगार रस का आनन्द आने लगा है। इस फिल्म के बनाने का बद्रीनाथ कमेटी ने उसको अधिकार दिया। सब लोगों को बद्रीनाथ जाने की आज जरूरत नहीं पड़ती है, 'यात्रिक' फिल्म देख लिया और बद्रीनाथ की पूरी यात्रा हो गई। एक मुकुट बन रहा है, अध्यक्ष महोदय, मद्रास में विष्णु भगवान के सिर पर रखने के लिए। उसके बनने के लिए बहुत वर्षों

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

से प्रयत्न हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो कोई कारीगर रहा नहीं, बनारस वगैरह में तो कारीगर रहे नहीं? वह मद्रास में बनाया जा रहा है और उसको देखने के लिए कि उसका यह कोना बना या नहीं बना, वह कोना बना या नहीं बना, यह देखने के लिए कम से कम तीन चार दफे तो हवाई जहाज की यात्रा मद्रास तक की हो चुकी। हवाई जहाज से जाकर वह यह देख रहे हैं कि बना या नहीं बना या कैसा बन रहा है, कब तक बनेगा? अध्यक्ष महोदय, और बद्रीनाथ जी का किस्सा क्या कहूं? बद्रीनाथ जी की पूजा होती है, उसकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उसके लिये क्या करना चाहिये, यह न होकर के एक फैसला हुआ है कि अब तिब्बत चलना चाहिए कल्चरल मिशन की स्थापना की ताकि सरकार के मना करने पर वह न जा सके। खर्चा मुफ्त का बद्रीनाथ मन्दिर का है ही। मुझे बड़ी खुशी हुई जब माननीय राज्यपाल ने इस बारे में जिक्र किया। शायद माननीय राज्यपाल बद्रीनाथ की यात्रा करने गये थे, वहां कुछ पता लगा हो और तब उन्हें यह सूझा हो, ऐसा हो सकता है, मगर मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। एक चीज और कहूं, जिन किसानों की दुहाई कल माननीय हरगोविन्द पन्त जी ने दी कुमायूं के किसानों की, उन्होंने कहा कि जो जितना ही छोटा होता है वह उतना ही खोटा होता है। जमींदारों के लिए उन्होंने कहा, यह बात उन्होंने कल कही। पहले पं० गोविन्द वल्लभ पन्त के श्री हरगोविन्द पन्त सलाहकार थे। अगर उस समय उन्होंने यही बात उनसे कही होती तो कुमायूं के किसानों की हालत ऐसी ही आज तक न रही होती। अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके के अन्दर एक भूमि है जहां बासमती चावल होता है, वह जमीन उस इलाके के एक जमींदार ने बद्रीनाथ जी को चढ़ा दी। बद्रीनाथ मन्दिर की जमींदारी उस इलाके में है, उसके एक टेनेंट ने मेरे लिये एक चिट्ठी लिखी है। मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं—

"श्री बदरिशः विजयते

बग्वाली मोखर

मा० बा० १२।५४

सिद्धश्री सर्वोपमायोग्य श्री महामान्य सकलगुणनिधान पूज्यपाद

श्री चरण .....

श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना इस प्रकार है कि मौ० बासुलीमेरा में पं० हरगोविन्द पन्त मिश्र प्रेसीडेंट महोदय की आड़ में श्री हरिसिंह भाट द्वारा जो-जो नाजायज कार्रवाई हो रही है, वह अब आयन्दा असहनीय हो रही है उनका पूरा-पूरा वर्णन श्री चरणों में उपस्थित होकर करना अब नितान्त आवश्यकीय हो गया है। क्योंकि यह इलाका श्रीमान् का है ऐसे अत्याचारों को कौंसिल द्वारा पुकार उठा कर एक जांच कमेटी कराना श्रीमान् का ही यह कार्य है।

अब इस बार जब श्रीमान आवें उस दिन सेवक को अपने चरणों में अवश्य बुलाने की कृपा करेंगे, तब हर एक बातें ब्योरेवार श्री चरणों में वर्णन करूंगा।

पूज्य बापू के सत्य व अहिंसा द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता को आज इस तरह लांछित किया जा रहा है। विशेष निवेदन स्वयं आकर करूंगा।"

बेगार, अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के किसी कोने में आज नहीं ली जाती है, लेकिन बद्रीनाथ की भूमि के किसानों से वहां उस इलाके में आज इतनी अधिक बेगार ली जा रही है कि जहां एक रुपया लगान है वहां २४ रुपया फी किसान बेगार पड़ रही है। लेकिन श्रीमान् जी का उधर ध्यान नहीं है। आज कुमायूं में बेरोजगार पढ़े-लिखे लोग कितनी अधिक तादाद में पड़े हुए हैं, उनको .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि राज्यपाल के भाषण पर अब आप आ जायं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी हां, मैं राज्यपाल के भाषण पर ही आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि हरगोविन्द पन्त जी से इस समय इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---मुझे हरगोविन्द पन्त जी से कोई शिकायत नहीं है बल्कि मैं तो यह चाहता था कि वह कुछ बोलें तो, कुछ कहें तो और मुझे तो खुशी हुई जब वह कल यहां कुछ बोले।

श्री हुकुम सिंह---श्रीमान् जी, आपको हिदायत की जाय कि जरा माइक पर बोलें। इधर-उधर बहुत करके बोल रहे हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, मेरी आवाज ही इतनी तेज हो रही है कि अगर इधर-उधर भी बोलूं तो भी सुनाई पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं बदलता नहीं बहुत जल्दी। काफी समय लगता है। लोग बहुत से कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने आपको बदल दिया वह तो अब सोशलिस्ट हो गई, अब क्या फर्क रह गया ? भाई अब हमारे बीच में क्यों नहीं आ जाते हो ? मैंने कहा, भाई बड़ी अच्छी बात है अगर कांग्रेस ने अपने को सोशलिस्ट बना लिया, हमारा तो मतलब था कि "सोशलिस्टिक स्टेट" होनी चाहिए, सोशलिस्टिक आब्जेक्टिव होना चाहिये। तो जब कांग्रेस ने उसे मान लिया तो अब तुम ही हमारे यहां क्यों नहीं चले आते हो, क्या फर्क पड़ता है उसमें ? कांग्रेस पार्टी को तोड़ दीजिए, सोशलिस्ट पार्टी का सारे हिन्दुस्तान के अन्दर राज्य हो जायगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ? लेकिन अगर आप समझते हों कि हम ही उधर आ जायं तो यह होने का नहीं है। तो इस तरह से तो कुछ होता नहीं। जो असलियत है, उस को हम देखें और उस पर विचार होना चाहिये। जो अच्छी बात हम कहें उस पर विचार करना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां की बेकारी अवश्य दूर होनी चाहिये, हमारे यहां के लोगों को रोजगार भी अवश्य मिलना चाहिये। मैं तो जो वास्तविकता है उसी को कहूंगा। यह नहीं कि काला ही काला अपने सामने रखूं। हमारी सड़कों का निर्माण, जिसके बारे में चर्चा कल माननीय राज्यपाल ने की, उसके बारे में तो मुझे शिकायत अवश्य है, वह मैं अब भी कहूंगा, लेकिन नहरों के बारे में बात कीजिये। कौन ऐसा है जो कह सकता है कि नहरों के ऊपर हमारी तरक्की नहीं हुई, पानी के मामले में, सिंचाई के मामले में हमारी तरक्की नहीं हुई ? बिजली का भी प्रोडक्शन हुआ उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन सड़क के बारे में मुझे शिकायत है। या तो महामान्य राज्यपाल ने सड़कों को देखा ही नहीं तभी ऐसा कहा। उन्होंने यह कहा कि अपनी पंचवर्षीय योजना के पहले-पहले ही हमारी सड़कों की योजना पूरी हो गयी। मेरे जिले में भी दो सड़कें थीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर। लेकिन फिर वही बात आ जायगी जिसके बारे में हरगोविन्द पन्त जी ने कहा था। हमारे यहां एक एग्जिक्यूटिव इंजीनियर २० साल से उस इलाके में हैं। पहले ओवरसियर थे फिर वह असिस्टेंट इंजीनियर रहे, बाद को एक्जिक्यूटिव इंजीनियर हुये, फिर पेंशन मिली फिर एक साल का एक्सटेंशन भी मिल गया। उन्होंने हमारे इस देश की सड़कों को जो सत्यानाश किया है, अध्यक्ष महोदय, वह हम भुला नहीं सकते और न उसके लिए क्षमा कर सकते हैं। तमाम सड़कें उन्होंने बरबाद कर दीं। कभी सड़कों को देखने घर से बाहर नहीं निकले कि कैसा काम हो रहा है। आज सरकार उनसे पूछे तो सही कि वह कितनी सड़कों को देखने के लिये गये, जो बन रही हैं। १०-१० पुल, जो साइड ब्रिज बनाये जाते हैं उनके टेंडर जो अक्टूबर के महीने में दिये हुए थे वह मार्च के महीने में ऐक्सेप्ट किये। जून में पुल तैयार नहीं होते हैं, जुलाई में बारिश आती है और सारे पुलों को बहा ले जातीं है। लाखों रुपये के पुल बरबाद हो गये। लोहाघाट का पुल था, जिसका एस्टीमेट ६०,००० का था उसमें २७,००० रुपया केवल खर्च किया गया, ३२,००० रुपये लैप्स हो गये, मई में

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

बाढ़ आई और वह बह गया। अल्मोड़ा की सड़क उन्होंने देख ली, नैनीताल की काली काली सड़क देख ली, रानीखेत की चमकीली सड़क देख ली, लेकिन जहां निर्माण हो रहा है उसको अगर सरकार देखे तो पता लगेगा कि पंचवर्षीय योजना के अन्दर क्या-क्या हो रहा है? खैर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी बजट आने वाला है, सप्लीमेंटरी बजट आने वाला है। मुझे तो आश्चर्य यह हुआ जब यह सुना कि कुमायूं में नयी जागृति पैदा हो गयी....

श्री अध्यक्ष--हरगोविन्द पन्त जी को राज्यपाल समझ कर बात न करें। आपकी ऐसी राय शायद हो सकती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, दो मिनट समय और दे दें। अभी तो मैं इधर उधर की बात कह रहा था, अब जरा मतलब की भी बात कह डालूं। अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि साफ कहने में मैं केवल ईश्वर से डरता हूं, और किसी से भी नहीं डरता। दुःख सुख जो हमारे हैं वह तो कहूंगा ही। अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। हमारे यहां प्लानिंग हुआ, विकास हुआ। प्लानिंग के मानी हैं "प्लान्ड इकोनामी", यानी काम प्लानिंग के तरीके से होना चाहिये। लेकिन यह कहां तक उचित है कि एक एम० एल० ए० अपने परसनल इंफ्लुएंस से अपने क्षेत्र में दो-दो एन० ई० एस० ब्लाक्स रखवा लें? कुछ तो सरकार इन बातों को देखे। हम तो जो ठीक बात है उसे अवश्य कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री इन सब चीजों की ओर ध्यान देंगे और इसकी परवाह नहीं करेंगे कि कोई आदमी क्या कह रहा है। जो चीज ठीक उनकी समझ में आवे वही करेंगे।

एक शिकायत और है। श्री हरगोविन्द जी ने कहा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कुमायूं के लिए कुछ नहीं कहा। तो माननीय नेता जी तो वहां के लिए चिल्लाते-चिल्लाते थक रहे हैं। हम तो सारे प्रान्त की बात कहते हैं, इसलिए उन्हें इस बात की शिकायत नहीं होनी चाहिये। और मैंने बिजली की बात तो पहले ही कह दी कि रानीखेत में गर्मियों के समय आप सब लोग आयें तो पता लगेगा कि बिजली की चमचमाहट में रानीखेत की क्या रौनक होती है।

इन शब्दों के साथ जो संशोधन हमारे नेता जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महामान्य राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश नहीं डाला --

(१) अलाभकर जोतों की मालगुजारी से छूट,

(२) मालगुजारी की अव्यवस्थित दरों का संशोधन,

(३) उच्चतम सीमा से अधिक भूमि का निश्चित कीमत पर अनिवार्य विक्रय,

(४) पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये सरकारी नौकरियों में संरक्षण।"

श्रीमन्, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे आज अपने विचारों को स्वतन्त्र रूप से व्यक्त करने का मौका मिला है। मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं और मुझे अधिक खुशी होती यदि माल मंत्री जी भी उपस्थित होते। मैं

आपके द्वारा आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने प्रस्ताव में जिन बातों की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस पर वह ध्यान देकर विचार करने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है इसलिये मैं बहुत संक्षेप में ही अपनी बात को कहूंगा। जहां तक पहले विषय की बात है कि अलाभकर जोतों से मालगुजारी की छूट, उसमें अगर माननीय सदस्य जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट वाल्यूम सेकिंड, पृष्ठ ६ को देखने की कृपा करेंगे तो स्पष्ट होगा कि ६७.४ यह ऐग्रीकल्चरल पापुलेशन है जो ३ एकड़ से कम जमीन पर काश्त करती है और उसके कब्जे में सिर्फ २२.८ ही कुल जमीन का रकबा है। यानी करीब ७० फीसदी पापुलेशन है जो ३ एकड़ से कम जमीन पर गुजर करती है। इसके लिये मालगुजारी पर छूट मांगी है। यह कोई मेरी अपनी बात नहीं है बल्कि १९३६ में जो कांग्रेस का मैनीफेस्टो था उसमें यह बात कही गई थी। उसका सारांश यह है कि —

"कांग्रेस का लक्ष्य भूमि व्यवस्था तथा लगान और मालगुजारी के संबंध में नया दृष्टिकोण रखने का और भूमि पर संतुलित बोझ डालने का है जिससे छोटे खातेदारों की खेती की भूमि पर मालगुजारी की आज की दर काफी हद तक कम हो जाय और अलाभकर जोतों का लगान और मालगुजारी माफ की जाय।"

वैसे अलाभकर जोत हमने जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में सवा छै एकड़ की मानी थी लेकिन बाद में उसको सवा तीन एकड़ की मानी है। लेकिन मैं तो उससे भी कम की बात कहता हूं कि उससे मालगुजारी की छूट होनी चाहिये। ५ बीघे में बिचारा किसान क्या अपनी गुजर कर सकेगा? अगर यह कहा जाय कि गल्ले की कीमत बढ़ गई है तो यह उनके लिये हो सकता है जिनके पास गल्ला सरप्लस है, लेकिन जिनके पास खाने तक को नहीं है उनके ऊपर टैक्स का बोझ लादना ठीक नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है कि सरकार ने जमीन किराये पर उठाई है बल्कि जमीन का मालिक तो स्वयं किसान है और वह मालगुजारी की व्यवस्था के लिये ली जाती है। जब हम इनकम टैक्स ४,२०० से ऊपर की आमदनी वालों से लेते हैं तो फिर इनसे मालगुजारी लेने की जरूरत नहीं है।

फैजपुर कांग्रेस ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अलाभकर जोतों पर लगान और भूमि कर नहीं लगना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि ऐसी अलाभकर जोत मालगुजारी से मुक्त होनी चाहिये। इस सदन के तमाम सदस्य रिप्रेजन्ट करते हैं इस प्रान्त की गरीब जनता को जो आशा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख रही है और गरीब किसानों के लिये जो ७० फीसदी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि ४ करोड़ २५ लाख एग्रीकल्चरल पापुलेशन है और ३ करोड़ जनता अलाभकर जोतों से निर्वाह करती है तो सरकार उसको मालगुजारी से मुक्त करे क्योंकि २२.८ ही कुल रकबा है और १९ करोड़ सूबे की मालगुजारी है। तो उसका हिसाब लगाने से मालगुजारी में करीब ४ करोड़ का फर्क पड़ता है और उसको पूरा करने का कोई और जरिया निकाला जा सकता है।

मेरे संशोधन का दूसरा अंश यह है कि मालगुजारी की अव्यवस्थित दरों का संशोधन भी किया जाय। अगर हम देखें तो आज परिस्थिति यह है कि जो जितना गरीब है वह उतनी ही ज्यादा दर पर मालगुजारी दे रहा है और जो जितना अमीर है वह उतनी कम दर से मालगुजारी देता है। इसके प्रमाण स्वरूप अगर हम जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के पहले भाग को देखें और उस के पेज ५२९ पर जो विवरण दिया है उस को देखें तो मालूम होगा कि एक एकड़ पर लगान का इन्सिडेंस जो आगरा में आता है वह इस प्रकार है कि परमानेंट टिन्योर होल्डर का १.९ आता है, एक्सप्रोप्र इटरी काश्तकार का ४.७६, फिक्स्ड रेट टिनेन्ट का ३.९७, आकुपेन्सी टिनेन्ट का ४.७८, हेरेडिटरी टिनेन्ट का ६.०९ और नान-आकुपेंसी

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

टिनेन्ट का ५.८४ आता है और वही अगर अवध में देखें तो वह एक्सप्रोप्रायटरी टिनेन्ट्स का ५.१२, आकुपेन्सी टिनेन्ट्स का ३.६७, हेरेडिटरी टिनेन्ट का ६.३८ और नान-आकुपेन्सी टीनेन्ट्स का ७.०१ आता है। इसमें सीर और खुदकाश्त का नहीं है, उस वक्त तक उसका हिसाब ठीक से नहीं बना था लेकिन वह भी एक रुपया होगा। इस तरह से हम देखें कि सीर और खुदकाश्त में जो बढ़िया जमीन होती है वहां एक रुपया प्रति एकड़ आता है और जो बेचारे गरीब सीरदार वगैरह हैं उन पर उनसे पांच गुना और छः गुना तक पड़ता है। यह भी मुनासिब नहीं है कि जो ज्यादा जमीन रखने वाले हैं उन पर रेट भी कम हो और उनसे कम लिया जाय और जो छोटे और गरीब काश्तकार कम जमीन वाले हैं उनसे अधिक लिया जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन दरों में संशोधन किया जाय। इसी तरह से रामपुर और दूसरी जो रियासतें हैं उनके इन्सीडेंस और भी ज्यादा हैं। यदि एक सुव्यवस्था इस तरह से की जाय तो बहुत कुछ ठीक हो जायगा।

तीसरी बात जो मैंने रखी है वह यह है कि उच्चतम सीमा से अधिक भूमि का निश्चित कीमत पर अनिवार्य विक्रय कराया जाय। आज की जो भूमि की व्यवस्था है और हमारी जो समस्या है उसको देखते हुये मैं समझता हूं कि सदन को इसका स्वागत करना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि सोशलिस्ट पार्टी की तरह सबकी जमीन मुफ्त ले ली जाय लेकिन यह आवश्यक है कि कोई एक उच्चतम सीमा निश्चित कर ली जाय उससे किसी के पास अधिक भूमि हो तो वह एक निश्चित रेट पर अनिवार्य रूप से ले ली जाय और उसका विक्रय करा दिया जाय और उस जमीन को रोस्टर रेट के २० गुने के हिसाब से या इसी तरह से उनको खरीदने का मौका दिया जाय जिसके पास लाभकर जोत नहीं है। कुछ पश्चिम के देशों में, जैसे रूमानिया और बलगेरिया हैं, वहां इस तरह का अनिवार्य विक्रय हुआ है। रूमानिया में पोस्ट वार रिफार्म्स में दस करोड़ हेक्टर से ऊपर जमीन इस प्रकार अलाभकर जोत वालों ने ली। इसी प्रकार से पोलैण्ड में भी ढाई करोड़ हेक्टर से ऊपर जमीन अलाभकर जोत वाले काश्तकारों ने खरीद कर अपनी जोतों को लाभकर बनाया। तो यह जो और मुल्कों में हुआ है वह यहां भी होना चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो इकोनामिक प्रोग्राम कमेटी बनी थी जिसके सभापति पं० जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि जोत की उच्चतम सीमा निर्धारित हो जानी चाहिये और उससे अधिक भूमि को लेकर गांव की सहयोगी समितियों को दे देना चाहिए। फिर उसके बाद जयपुर अधिवेशन में भी यह रिपोर्ट स्वीकार की गयी कि भूमि का हस्तांतरण सुनिश्चित प्राथमिकता के आधार पर मुनासिब कीमत पर, न कि मनमानी कीमत पर हो। जिन उसूलों को हमने माना है और जो आज दुनिया में हो रहा है उसको हमें भी अमल में लाना चाहिए और जो जमीन मैक्सिमम सीमा के ऊपर हो वह मुनासिब कीमत पर बिक जाय, उन लोगों को जिनके पास कम है।

चौथा यह है कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में संरक्षण दिया जाय। मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जिससे माननीय सदस्य पिछड़ी जाति का नाम लेने से उन लोगों को जो ऐसी बात कहें कंटेम्प्ट की निगाह से देखने लगें। इसका कोई ऐसा रिएक्शन हो कि जैसे पाकिस्तान का बटवारा हो। मैं तो यह कहूंगा कि आज गरीब किसान के लड़के गांव के रहने वाले, पिछड़ी जाति के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जमीन बेचते हैं, सूखी खाते हैं, कितनी कितनी मायूसी होती है उनको जब सरकारी नौकरियों में वह ठुकराये जाते हैं। उनकी कहीं पहुंच नहीं होती। उनका दिल टूट जाता है। उनके पास इतनी खेती भी नहीं कि वह गुजर कर सकें अगर ऐसे लोगों का संरक्षण किया जाय तो उससे उनको संतोष हो जायगा कि हमको

जगह मिल गयी। आखिर सभी सरकारी नौकरियों में नहीं लग जायंगे। लेकिन उस संरक्षण से यह तो हो जायगा कि हमारा इतना रिजर्व है, उसमें कोई बड़ी सिफारिश पहुंचा कर नहीं पहुंच सकता। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्ज कमेटी ने तय भी कर दिया परन्तु यह बात छिपी नहीं है कि जिसकी जहां पहुंच होती है वह वहां हो जाता है। मैं नहीं कहता कि नाकाबिल लोग हो जाते हैं लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि काबिल लोग छूट भी जाते हैं बिना सिफारिश के। तो पिछड़ी जाति के लोगों को भी संरक्षण के जरिये मौका मिलना चाहिये। और मैं यह निवेदन करूंगा कि यह असन्तोष भी रोक देगा। और जो गरीब गूंगे हैं पिछड़ी जाति के या शेडयूल्ड कास्ट्स के लोग हैं वह ज्यादा बोल नहीं पाते। लेकिन उनके अन्दर एक डाइनामाइट फोर्स होता है जिसका उभार कभी-कभी देखने में आ जाता है। उनके अन्दर जो असन्तोष की भावना है उसको चेक करने का यह भी तरीका है। वह मुंह से न कह कर दूसरे रूप में फूटने लगता है। उसको रोकना जरूरी है।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर जो प्रस्ताव हमारे मित्र माननीय केशव गुप्त ने सदन में उपस्थित किया है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं।

श्रीमन्, महामान्य राज्यपाल का भाषण क्यों, कैसे और किस लिए होता है मुझे इस सदन को विदित कराने की आवश्यकता न होने पर भी सिर्फ इतना निवेदन करना मैं आवश्यक समझता हूं कि चाहे हमारे मित्रों को इससे आपत्ति ही क्यों न हो, राज्यपाल के भाषण की परम्परा हमेशा से यही रही कि उसमें वही बुनियादी प्रश्न, नीति निर्धारण के, उपस्थित किये जाते हैं जो कि सरकार के हर काम में आगे चल कर प्रदर्शित होते रहते हैं। अतएव राज्यपाल का भाषण हमेशा सूत्रों के रूप में ही उपस्थित होता है। यदि महामान्य राज्यपाल वित्तमंत्री के बजट भाषण को अपने सम्बोधन के द्वारा ही अवगत करा देते, यदि वह सरकार के सारे होने वाले कामों की पूरी-पूरी जानकारी इस सदन को स्वयं ही करा देते तो इसके पश्चात् होने वाला माननीय वित्त मंत्री का भाषण और बजट की अनेक बातें व्यर्थ हो जातीं और बजट के सम्बन्ध में होने वाले सारे काम न करने के लायक हो जाते। इसलिये इन सूत्रों के न समझने में माननीय राज्यपाल का दोष नहीं हो सकता। इसके सारांश को समझना होगा और अपने रोजमर्रा के कामों में उसको लाकर यह देखना होगा कि आया हम इस सम्बोधन की परिधि के अन्दर कार्य करते हैं या बाहर। वैसे माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में जितने भी प्रश्न उपस्थित किये गये हैं उनमें यह स्पष्ट ही है कि जहां उन्होंने एक ओर हमारे पिछले कार्यों के सम्बन्ध में, हमारे पूर्व के नेता और आज के नेता के सम्बन्ध में कहा, हमारे उस समय के मुख्य मंत्री जिन्होंने १६, २० साल तक हमारे प्रदेश का कर्णधार बनकर हमारे प्रदेश की शासन व्यवस्था चलायी, वहां उनके प्रति सद्भावना करके इस सदन के सामने भाव व्यक्त किये। जहां हमारे पूर्व के नेता ने इस प्रदेश की ६ करोड़ जनता के कष्टों को अपने समय में हल्का किया वहां हमारे नेता जो आज इस प्रदेश की जनता के प्रति जिम्मेदार हैं उनके प्रति भी अपने सद्भाव प्रकट किये हैं। उनके प्रति अपने विश्वास को दिखाते हुये यह विश्वास हमारे प्रदेश की जनता में उपस्थित किया है कि यह मंत्रिमंडल सदा की भांति उन बड़े-बड़े कामों को जो सरकार अब तक करती आयी है, जिनसे यहां पर सचमुच नई सामाजिक, राजनैतिक व्यवस्था स्थापित हो सकती है, और जिनको सभी "बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय" मानते हैं वह उनको करती रहेगी। इन सूत्रों के अन्तर्गत जो बातें हैं, जिनको माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में उपस्थित किया है उनके सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि जहां तक हमारी पिछड़ी हुई जाति या थोड़ी जोत वाली जनता के जीवन को सुधारने

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

का प्रश्न है वहां उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि "जनता के सामाजिक कल्याण के लिये, विशेषकर श्रमिकों की दशा को सुधारने के विषय में मेरी सरकार ने महत्व दिया है।" फिर आगे चल कर उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों की सिद्धि के लिये यह कदम आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है। "सिद्धान्त यह है कि कल्याण कारी शासन ऐसा बनाया जाय कि जिसमें उसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था कायम हो जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय से राष्ट्रीय जीवन की सब संस्थाओं को ओतप्रोत कर दे"। इस सिद्धान्त के पालन करने पर हमारे प्रदेश में बहुमुखी उन्नति होना अवश्यम्भावी है जिससे सब लोगों का,---गरीब लोगों का और दबे हुये लोगों का, कल्याण हो सकेगा। मैं हरिजनों को श्रमिकों के बाहर नहीं मानता हूं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि वह सब श्रमिक हैं जो अलाभकर खेतों पर काम करते हैं---चाहे वह किसी जाति के हों। वह सब श्रमिकों के अन्दर ही आते हैं। (एक सदस्य ऐसे कितने हैं?) जितने हरिजन अपने को दबे हुये, या जो लोग अपने को पिछड़ी जाति का कहते हैं अगर वह हमारे प्रान्त के उन लोगों में हैं जो कि अलाभकर खेती से जीवन-यापन करते हैं तो वह सब दबे हुये लोगों में आते हैं और वह हमारे लिये उतनी ही समस्या उत्पन्न करते हैं जितना कि वह ब्राह्मण जिसके पास अलाभकर जोत है। तो मैं उसको भी उसी तरह मानता हूं जैसे कि हरिजन हैं, क्योंकि वह सब एक प्रकार से ही जीवन निर्वाह करते हैं। वह इससे अलग नहीं हो सकते हैं। श्रीमन्, मैं आपके सन्मुख यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास जो उस सम्बोधन में बताया गया है और जो कि हमारे सामने है उससे हमारा देश गरीबी को मिटाने का स्वप्न पूरा कर सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है और मैं चाहता हूं कि यह सूत्र जो सरकार की तरफ से रखे गये हैं, सरकार उनके अनुसार ही अपना काम करेगी और उनका अनुसरण पूर्ववत् करेगी। यदि यह सरकार इस नीति से अलग हो जाय तो इन सूत्रों के अन्तर्गत जो कुछ माननीय राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कहा है उसकी आप सरकार को याद दिला सकते हैं ताकि सरकार उन कामों को करने की क्षमता रखती रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार काम करने से हमारे प्रदेश की जनता का स्तर ऊंचे उठेगा। और हमारे प्रदेश से गरीबी, दरिद्रता और बेकारी दूर होगी और यह प्रदेश इनसे ऊपर उठकर प्रगति के पथ कर अग्रसर हो जायगा।

श्रीमन्, मैंने महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में यह आलोचना भी सुनी कि उन्होंने हमारे प्रदेश में जो इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, उसकी चर्चा नहीं की। इसको सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। यह हो सकता है कि महामान्य राज्यपाल ने यह न बताया हो कि हमने कहां तक इस प्रश्न को हल किया है और कितने बेकार ऐसे हैं जिनके पास जीवन निर्वाह करने के लिये कोई साधन नहीं है, लेकिन मुझे हैरत इस बात से हुई कि जब यह कहा गया कि महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में यह बात मौजूद ही नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने उनके सम्बोधन को अच्छी प्रकार से देखने की कृपा क्यों नहीं की? राज्यपाल ने स्पष्ट रूप से उसमें यह कहा है "यदि बेरोजगारी को रोकना है, बड़े उद्योगों की स्थापना और कुटीर उद्योगों का विकास आवश्यक है" श्रीमन्, जितने भी हमारे देश के अर्थशास्त्री हैं उनकी राय है कि हमारे देश की बेकारी को रोकने के लिये हमें शीघ्र से शीघ्र बड़ी-बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करना होगा जिससे हमारे ग्रामों में रहने वाले लोगों, जिनका जीवन आज बेकारी की वजह से परेशानी में है, उनके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना होगा। पर इसकी क्षमता को प्राप्त करने के लिये हमें साधनों की आवश्यकता होगी। यह सच है कि महामान्य राज्यपाल ने यह नहीं कहा कि इतने बड़े कुटीर उद्योगों और कारखानों को चलाने के लिये, उनकी व्यवस्था करने के लिये मंत्रिमंडल शीघ्र ही ध्यान

देने वाला है क्योंकि आज हमारे पास लाभकर गृह उद्योगों को चलाने के लिये उचित साधन---विद्युत शक्ति की कमी है। लेकिन रिहन्द डैम के बनने पश्चात् हमें काफी मात्रा में वह भी मिल सकती है। लेकिन मान लिया कि बिजली भी मिल गयी और ग्रामवासियों को मशीनें भी दे दी गयीं लेकिन जब तक उनको उनके चलाने आदि की टेक्निकल शिक्षा न दी जायगी, ताकि वे भिन्न भिन्न उद्योगों के कुशल कारीगर बन सकें, तब तक हम उसका लाभ पूरे तौर से, व्यापक रूप से न उठा सकेंगे। मेरा विश्वास है कि सरकार निश्चय ही उस ओर ध्यान देगी और उसी विचार से महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में टेक्निकल शिक्षा और प्रशिक्षण योजना की भी चर्चा की है। हमारा विश्वास है कि उन तमाम बड़ी स्कीमों पर काम किया जायगा जो हमारी आने वाली बड़ी पीढ़ी के लिये लाभकर होंगी। यद्यपि महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में बहुत बातों का विश्वास दिलाया है लेकिन मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो कुछ कहा गया है उससे ही सरकार के कंधों पर काफी बोझ आ जाता है, उनको वह पूरा करने का भरसक प्रयत्न करे। कहीं ऐसा न हो कि कहीं पर हम रुक जायं, कहीं पर ठहर जायं। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बातों की ओर संकेत किया गया है उनको उसे सही मानों में अपना लेना चाहिये इसके साथ ही साथ मैं सरकार से एक अनुरोध और करना चाहता हूं। वह यह कि सर्विसेज के स्ट्रक्चर में, ऊपर और नीचे की तनख्वाहों में जो अन्तर पाया जाता है, उसको भी कम करने की यह सरकार कृपा करेगी। हमारे प्रदेश में छोटी तनख्वाह पाने वालों के लिये अवश्य ही हमें इस नये युग का आरम्भ करना होगा। हमारे प्रान्त की सवा छः करोड़ जनता अपने मान्यवर समाजवादी नेता और आज प्रान्त के मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द की ओर इस दिशा में निश्चय ही बड़ी उत्सुकता से निहार रही है। मैं आशा करता हूं कि इस युग की इस नयी धारणा को कार्यान्वित करने का प्रयास किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल के सम्बोधन पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन सम्बन्धी धन्यवाद के प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं ---

"किन्तु सदन को खेद है कि उक्त सम्बोधन में श्री राज्यपाल महोदय ने प्रान्त की आर्थिक विषमता को मिटाने, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की दुर्दशा को सुधारने तथा भूमि सीमा के नियंत्रण अथवा वितरण पर सरकार की भविष्य की नीति पर कोई प्रकाश नहीं डाला।"

अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल ने सरकार द्वारा अब तक किये हुए कार्यों और भविष्य में जो कुछ करने जा रही है उसके बारे में संक्षेप में अपने विचार प्रकट किये हैं। उन्होंने सरकार के भावी कार्यक्रम में औद्योगिक उन्नति और सामाजिक सुधार का जिक्र किया है। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जहां समाज की और अनेक मांगें हैं, उनमें से एक मुख्य मांग यह है कि आज सामाजिक ढांचे में जो आर्थिक विषमता है और उसी के कारण, समाज में आर्थिक संकट है, उसका विशेष रूप से भावी कार्यक्रम में जिक्र होना चाहिये था। आर्थिक संकट का जहां तक प्रश्न है, आज उसके लिये कोई यह नहीं कह सकता कि समाज के आर्थिक संकट को लोग अनुभव नहीं करते हैं। हमारे वर्तमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री धेबर ने १५ दिसम्बर को अहमदाबाद में अपने भाषण में यह कहा कि समाज में आर्थिक संकट है और यदि यह दूर नहीं किया गया तो भय है कि शीघ्र ही क्रान्ति आ सकती है। एक ओर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देश को चेतावनी दें परन्तु दूसरी ओर हमारी प्रान्तीय सरकार द्वारा भविष्य के लिये कोई विशेष कार्यक्रम न बनाया जाय, यह

[श्री महीलाल]

हमारे समाज और प्रान्त के लिये एक दुख की बात है। अब आर्थिक विषमता या आर्थिक संकट के लिये कोई सज्जन यह कहें कि उसमें कुछ कमी हुई है तो मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इसलिये कि आज भी जब हम आर्थिक विषमता को गहराई की दृष्टि से देखें तब हमें सामाजिक और आर्थिक विषमता देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर एक ओर बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे महल हैं जिनमें बड़े-बड़े उद्यान हैं और दूसरी ओर इसी समाज के मनुष्यों के पास रहने के लिये झोपड़ी भी नहीं है वे स्टेशनों के प्लेटफार्म पर और सड़कों के किनारों पर रह रह कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इन जाड़ों की रातों में कितने ही लोग मौत के शिकार हो गये हैं। इसके अलावा आज हम शादी ब्याहों में देखें तो बड़े और छोटे में बहुत अन्तर दिखाई देता है। बड़े बड़े लोगों की दावतों में जहां अच्छे-अच्छे किस्म की मनों खाद्य सामग्री नष्ट होती है वहां दूसरी ओर लाखों लोगों को खाने के लिये भोजन भी नहीं मिलता है। मैं और क्या कहूं, इसी सदन में विरोधी दल के लोगों की ओर से एक बार नहीं, अनेकों बार यह बात कही गयी है कि पूर्वी जिलों के लोग गोबर तक से अनाज निकाल कर और उसे खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल के किसी मंत्री महोदय की आज तक यह हिम्मत नहीं हुई जो कह सकें कि विरोधी दल के सदस्यों का यह लांछन गलत है। इसके अतिरिक्त हम मनुष्य जीवन के जिस अंग को भी उठा कर देखेंगे तो हमें एक ऐसी विषमता देखने को मिलेगी जो आज के समाज के लिये अभिशाप है। आज हमारी केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें संविधान को पथ-प्रदर्शक मान कर अपना भावी कार्यक्रम बनाती हैं और उसके आधार पर इस देश के प्रत्येक मनुष्य को समान अधिकार और उन्नति के लिये समान मौका देने के लिये प्रयत्नशील हैं। शिक्षा के क्षेत्र को लीजिये। हमारी सरकार की ओर से काफी प्रयत्न इस बात का हो रहा है कि अधिक से अधिक लोगों के लिये शिक्षा के साधन उपलब्ध किये जायं और ठीक ही है। लेकिन उसमें भी हमारे गरीबों, निर्धनों और बहुत से लोगों के सामने जो अड़चनें हैं उनको दूर करने के लिये क्या प्रयत्न हुये हैं? यह एक प्रश्न विचारणीय है। एक ओर तो हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे कालेजों में पांच सौ रुपये या इससे अधिक धनराशि एक-एक लड़के पर व्यय करके शिक्षा प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर हमारी सरकार गरीब घरों के हरिजन छात्रों को यूनिवर्सिटी में ३० रुपये मासिक देकर संतोष कर लेती है कि हम इन हरिजन छात्रों के लिये, हरिजनोत्थान के लिये, इस देश के गरीब लोगों के लिये, उनकी आने वाली नस्लों के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं, और फिर यह आशा की जाती है कि प्रतियोगिता में वे लड़के जो तीस रुपये मासिक लेकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन लड़कों का मुकाबिला करें जो पांच सौ रुपया मासिक अपनी शिक्षा पर व्यय करते हैं। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि वह भविष्य में इस आर्थिक विषमता को मिटाने के लिये सख्त से सख्त कदम जल्दी से जल्दी उठायें।

इसके साथ ही साथ दूसरी चर्चा मैंने अपने इस प्रस्ताव में खेतिहर मजदूरों की की है। मेरे मित्र बहुगुणा जी ने औद्योगिक श्रमिकों के सम्बन्ध में अपने विचार रखे हैं। वे ठीक हैं। उस क्षेत्र में प्रादेशिक सरकार बहुत कुछ कर रही है। औद्योगिक श्रमिकों का जहां तक सम्बन्ध है उनके क्षेत्र में संतोषजनक कार्य हुआ है और हो रहा है। साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि औद्योगिक श्रमिकों की ओर से मेरे मित्र बहुगुणा जी बहुत कुछ कहते हैं, और अब भी जब मैंने यह बात कही कि सन्तोषप्रद कार्य हुआ है तो मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि वे सिर हिला रहे हैं। लेकिन खेतिहर मजदूरों की ओर आप देखेंगे तो ज्ञात होगा कि उनकी क्या दशा है। पिछले वर्षों में खेती की उन्नति के लिये हमारी सरकार की ओर से जो नीति अपनाई गई उससे खेतिहर मजदूरों की दशा और भी खराब हो गई है। जितने सिंचाई के साधन एकत्रित किये गये हैं, जितने ट्रैक्टर्स और जितने भी सरकार की ओर से कार्य कृषि को ऊंचे पैमाने पर करने के

लिये किये गये हैं उससे हमारे खेतिहर मजदूरों की दशा बहुत खराब हो गई है उनका रोजगार छिना है और जो उन्नति के रास्ते उनको और मिलने चाहिये थे वे न मिल करके उसमें रुकावट पड़ी है और यही नहीं बल्कि मैं तो इससे आगे की बात बताता हूं कि किसी प्रकार भी खेतिहर मजदूरों की तरफ सरकार का ध्यान अब भी नहीं गया है। मिनिमम वेजेज ऐक्ट जो हमारे प्रदेश में ११ जिलों में लागू था मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि वह कुछ और जिलों में भी लागू किया गया है। लेकिन आज कल सरकार की तरफ से कितने चालान हुये? इंस्पेक्टरों ने कितने मुकदमें फार्मों के मालिकों के खिलाफ कम मजदूरी देने के चलाये? आज कितने ही बड़े-बड़े फार्मों के मालिक कृषि आयकर से बचने के लिये अपने रजिस्टरों में डेढ़ डेढ़ रुपये प्रतिदिन मजदूरों की मजदूरी दिखाते हैं और दूसरी तरफ उन खेतिहर मजदूरों को जिनके सामने रोजगार की कमी है ६ आने, ८ आने और १० आने मजदूरी देते हैं। लेकिन ये इंस्पेक्टर्स जो सरकार की तरफ से इस तरह की देखरेख के लिये रखे गये हैं, मैं समझता हूं कि वे एक तरह से बेकार साबित हो रहे हैं और उनको मजदूरी बढ़ाने में उनसे कोई मदद नहीं मिल रही है। मैं आवश्यक समझता हूं कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में जिक्र होना चाहिये था, लेकिन खेद है कि वह नहीं है। हमें खुशी है कि हमारी लोकप्रिय केन्द्रीय सरकार ने इन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की दशा के संवेक्षण के लिये एक कमीशन बैठाया था। जिसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि खेती पर जीवित रहने वालों में खेतिहर मजदूरों की संख्या ३०.४ प्रतिशत है और उनकी दशा दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इन शब्दों के साथ मैं सरकार का केवल दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसका कदम जल्दी से जल्दी आर्थिक विषमता को मिटाने के लिये उठना चाहिये और दूसरे खेतिहर मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये भूमि वितरण और जोतों की तकसीम के प्रोग्राम को शीघ्र से शीघ्र इस सदन के सामने लाना चाहिये, और उसको कार्य-रूप में परिणत करना चाहिये।

श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से ३ साल में मुझे दोबारा बोलने का अवसर दिया गया है जिसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर संतोष प्रकट करते हुये उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। गो-संवर्द्धन के लिये जो उन्होंने कहा उसके लिये मैं बड़ा प्रसन्न हूं। लेकिन साथ ही माननीय मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों के सामने अपने क्षेत्र की कुछ कठिनाइयों का भी वर्णन करना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र प्रान्त में जो बुन्देलखंडी इलाका है, बांदा का वह हिस्सा जो ७० मील लम्बान और ४० मील चौड़ान में फैला हुआ है---साढ़े तीन लाख जनता का वह इलाका है। वहां की स्थिति बड़ी विषम है। यातायात के साधन उपलब्ध न होने के कारण दो तीन मील से अधिक जाना वहां अत्यन्त दुश्वार है जिसके कारण सरकार को वहां का सच्चा हाल नहीं मिल पाता और हम जो बातें कहते हैं उन पर सरकार ध्यान नहीं देती। श्रीमान् जी, मैं उस क्षेत्र का निवासी हूं जहां पर कुछ जंगली व्यापार होता है और वहां रेल के डिब्बे न मिलने की वजह से काटा हुआ ईंधन आग से जल कर नष्ट हो जाता है। हम रेलवे को हर प्रकार से लिखते लिखते थक जाते हैं लेकिन बरायनाम गाड़ियां मिलती हैं। वह क्षेत्र ऐसा है जो सूबे भर को ईंधन, लकड़ी का कोयला, पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें, रामरज, गेरू और खड़िया मिट्टी और करोड़ों रुपयों की गिट्टी देता है जिससे बड़े-बड़े शहर जैसे लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर की सड़कें बनाई जाती हैं। यह सब सामग्री हमारे ही क्षेत्र से आती है लेकिन यह ऐसा अभागा क्षेत्र है कि तीन-तीन, चार-चार मील से पीने के लिये पानी लाना पड़ता है। हमारे क्षेत्र पर सब से पहले गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये था। लेकिन जहां कम जरूरत होती है वहां पहले काम होता है और जहां ज्यादा जरूरत होती है वहां बाद में काम होता है। इसलिये मेरी

[श्री जगतपति सिंह]

प्रार्थना है कि उस पर ध्यान दिया जाय। मेरे क्षेत्र में जो थर्ड क्लास कर्मचारी होते हैं उनको भेजा जाता है और जो शिकायतें मैंने दो वर्ष पहले की थीं वे उसी जगह पर हैं। हम लिखते-लिखते थक जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और मजबूरन हमको चुप्पी साधनी होती है। मेरी प्रार्थना है कि जैसी हालत मेरे क्षेत्र की है उसे देखते हुये एम० एल० एज० का एक डेपुटेशन बनाया जाय जो चुपचाप वहां का निरीक्षण करके सरकार को एक रिपोर्ट दे, तभी सरकार को सच्ची हालत वहां की मालूम होगी क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का तो यह हाल है कि ऊपर से लेकर नीचे चौकीदार तक सब की एक ही आवाज होती है और लिहाजा हमारी बातें अरण्यरोदन हो जाती है। मेरी प्रार्थना है कि मेरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था की ओर सरकार को विशेषकर ध्यान देना चाहिये। जैसे कि आदिवासियों की व्यवस्था अन्य स्थानों में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके की गई है, श्रीमान् जी, मैं दुःख के साथ कहता हूं कि मेरे इतना कहने सुनने पर भी आज तक मेरे क्षेत्र के लिये जिसमें २५ सौ हजार आदिवासी "कोलमवासी" निवास करते हैं और जो ९९ फीसदी अपढ़ हैं जो वहां झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिये सरकार ने एक पैसा भी पढ़ाई में खर्च करने की तकलीफ नहीं की। हमारे क्षेत्र में जो कि कांग्रेस का एक गढ़ है, और जहां पर सन् १९२१ से आज तक कोई दूसरी पार्टी के पैर नहीं जम सके और ...

श्री अध्यक्ष—पार्टियों का जिक्र इसमें न कीजिये। माननीय राज्यपाल ने उनका जिक्र संभाषण में नहीं किया है।

श्री जगपति सिंह—तो श्रीमान् जी, मेरी प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में गरीबों के लिये सड़कों, पानी और रेल की व्यवस्था की जाय और भूमि जो खेती के योग्य पड़ी हुई है, और जैसे कि अन्य स्थानों में हुआ है कि जमीन ट्रैक्टरों से तोड़ कर काम में लाई गई है, वैसा ही अगर यहां भी किया जाय तो लाखों आदमियों को बसाया जा सकता है। वहां पर ट्यूबवेल से भी पानी की व्यवस्था की जा सकती है और करीब-करीब ५० बांध ऐसे बंध सकते हैं कि जिनसे फायदा हो सकता है। पचासों बांध छोटे छोटे बांध कर चार चार ग्रामों को पानी व सिंचाई के लिये उपयुक्त किया जा सकता है। दो तीन बांध तो ऐसे हैं जो कि श्रीमन् जी की कृपा से ले लिये गये हैं वह तो होंगे ही, लेकिन और होना चाहिये। वहां टिकरिया स्टेशन के पास एक ऐसा फाल है कि जो बिजली पैदा करने के उपयोग में लाया जा सकता है और यदि वहां बिजली की व्यवस्था की जाय तो बहुत से घरेलू उद्योग धंधे नये खुल सकते हैं। मेरे क्षेत्र में श्रीमान् जी बांस से कागज बन सकता है, बगई घास से कागज बन सकता है और कितने ही धंधे शुरू किये जा सकते हैं। लेकिन केवल पानी का बहुत बड़ा अभाव है जिसके लिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उसकी व्यवस्था कर उस क्षेत्र को जीवन और वहां की जनता के दूसरे दुःखों को सुने। सरकारी कर्मचारियों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां बिल्कुल सुधार नहीं हुआ है और अंग्रेजी जमाने से भी अधिक घूसखोरी हो रही है और कोई परवाह नहीं की जाती है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव में यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु दुःख है कि श्री राज्यपाल महोदय ने प्रान्त के सरकारी कर्मचारियों में फैले हुए भ्रष्टाचार की ओर कोई संकेत नहीं किया।"

अध्यक्ष महोदय, अपने अपने क्षेत्रों के सुझाव सभी लोगों ने दिये हैं। मैं आज कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं। अभी बजट आने वाला है, फिर मंत्रियों से जान-पहिचान भी

है, मिल कर सुझाव दे लूंगा। मैं अपनी बात राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के सिलसिले में ही कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देहात में एक कहानी प्रचलित है और मैं समझता हूं कि पूर्वी जिलों के सभी लोग उसे जानते होंगे। वह यह है कि एक आदमी सफर में निकला और उसने एक नगर के पास पहुंच कर पूछा कि इस नगर का क्या नाम है, इसके राजा का क्या नाम है और क्या व्यवस्था है यहां की ? एक दूसरे आदमी ने बताया कि इस नगर का नाम है, अंधेरपुर नगर, धमधूसर राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। यह कहावत हमारी सरकार पर बिल्कुल चरितार्थ होती है। यहां मेहनत करने वाले आदमी दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन वह भूखों मरते हैं। उनका कोई पुरसां हाल नहीं। जो औरतें दिन रात खेतों में पानी चलाने का काम करती हैं और जो धूल से अनाज पैदा करती हैं उनको दाना मिलना कठिन हो गया है। पास एक वस्त्र पहनने के लिये नहीं है। जाड़े के दिनों में खेतों में पानी चलाया, भीगा हुआ कपड़ा आग के सामने सुखा कर वही कपड़ा पहने सो जाती हैं। उनको मटर की रोटी मुश्किल से मुयस्सर होती है। राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में कहा है कि खाद्य समस्या हल हो गई। दूसरी ओर जो औरतें वेश्यावृत्ति करती हैं वह तो पचासों हजार के गहने और तीन तीन सौ की साड़ियां पहन कर कोठे पर बैठती हैं, वह मर्द जो कोई काम नहीं करते, कोई उत्पादक श्रम नहीं करते वह मौज कर रहे हैं, तो यह क्या है ? क्या यह सब उस टका सेर भाजी और टका सेर खाजा वाली कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ नहीं करता है ? अभी पिछली मर्तबा सिंचाई आन्दोलन में दो हजार के करीब आदमी जेलखाने में बन्द कर दिये गये, उस वक्त हमारे देश के सब से बड़े नेता पं० जवाहरलाल जी चुर्क में आये थे। उस आन्दोलन की शुरूआत ही थी, और पंडित जी ने बड़ी भारी सभा में कहा कि कानून अपनी शान रखता है जो उसके रास्ते में आयेगा वह पीस दिया जायगा, जो कानून को तोड़ता है उसको खमियाजा भुगतने के लिये तैयार रहना चाहिये इत्यादि, इत्यादि। सरकार ने लगभग ढाई हजार आदमियों को जेलखाने में बन्द कर दिया, उनका आर्थिक नुकसान किया। नाना प्रकार की यातनायें दीं, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गलत काम किया, इन आदमियों को बेगुनाह बन्द किया, उसने कानून का दुरुपयोग किया। पं० जवाहरलाल नेहरू के बकौल कौन सा खमियाजा इस सरकार ने भोगा ? इसको चाहिये था कि इस्तीफा देकर अलग हो जाय। क्योंकि हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सरकार ने कानून तोड़ा है।

श्री अध्यक्ष--बजट के वक्त आप ऐसी बात कहें। आप का संशोधन भ्रष्टाचार के बारे में है उसी के सम्बन्ध में कहें।

श्री उमाशंकर---अब तो हो गया जो कुछ मुझे कहना था कह दिया। अब मैं दूसरे प्वाइंट पर आता हूं। खाद्य के मामले में राज्यपाल महोदय ने लिखा है कि "सफलता तो यह है कि हमने खाद्य-पदार्थों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है।" हालत जो है वह सुनिये, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में चले जाइये, जो सदस्य यहां उन जिलों के होंगे उनको मालूम है कि इस माघ के जाड़े के महीने में ऊख का शर्बत पी-पी कर किसान अपनी जिन्दगी बिता रहा है। खाद्य की समस्या हल नहीं हुई। परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 'अंधेरपुर नगरी, धमधूसर राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। एक तरफ तो किसान का नवजवान जा करके मिलों में कपड़ा बनाता है, रुई से सूत बनाता है फिर सूत से कपड़ा बनाता है और दूसरी तरफ उसके बच्चे कपड़े बिना तरस रहे हैं। कारखाने में इतने कपड़े हैं कि उनको झींगुर खा रहे हैं। जो सारे समाज को अन्न पैदा करके खिलाता है वह मटर की रोटी भी मुश्किल से भी नहीं पाता है। मैं आपसे सच कह रहा हूं कि अगर इस साल ऊख की फसल अच्छी न रही होती तो किसान परेशान हो जाता। श्री राज्यपाल ने इस तरफ कोई प्रकाश न डाल करके अपने सम्बोधन

[श्री उमाशंकर]

में यह कह दिया कि खाद्य समस्या हमने हल कर ली। मुझे इससे आश्चर्य होता है। मेरा मतलब यह हरगिज नहीं है कि राज्यपाल महोदय ने जानबूझ कर ऐसा कहा। आज कल गवर्नरों की हालत जो रहती है वह सब जानते ही हैं। मेरी समझ में इस सरकार के जितने भी गवर्नर हैं सबको रिटायर कर दिया जाता है। रोडवेज का महकमा खुला है, आपको मालूम नहीं, क्योंकि आप तो बस पर कभी चढ़ते नहीं हैं, मुझे मालूम है कि मैं बस पर सफर करता हूं उसमें भी गवर्नर साहब कहते हैं कि २० मील से ज्यादा गाड़ी न चल सके। एक दिन मैं रोडवेज की गाड़ी पर बैठा कहीं जा रहा था ड्राइवर ने गाड़ी को बेतहाशा दौड़ाना शुरू किया। मैंने पूछा कि क्यों भाई तुम इतनी तेज कैसे चला रहे हो इसमें तो गवर्नर साहब हैं। उसने कहा कि साहब अगर गवर्नर के हाथ में हम गाड़ी रहने दें तो हम तो इस गाड़ी के गुलाम हो जायं लिहाजा हमने उनको खोल कर रिटायर कर दिया है। हमारी सरकार ने भी गवर्नर को रिटायर कर दिया है। जो कुछ उसे कहलाना होता है वह लिख कर देती है कि आप यह कहें...

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं यह आप सम्बोधन पर बात नहीं कर रहे हैं। यह आप संविधान के ऊपर बात कर रहे हैं और संविधान की टीका कर रहे हैं....

श्री उमाशंकर--- मैं यह समझता हूं कि मैं यह जो सुझाव दे रहा हूं सरकार को वह गवर्नर साहब के पास भी पहुंचेगा, तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि जो हालत उन्होंने अपने सम्बोधन में लिखी है दरअसल वह हालत आज प्रदेश की नहीं है। मैं चाहता हूं कि गवर्नर साहब हमारे इस जनतन्त्र के जमाने में ऐसे हों जो अपनी सही जानकारी हासिल करके सरकार को चेतावनी दें।

श्री अध्यक्ष--- इसके बारे में तो चर्चा आप नहीं कर सकते। इस विषय का संविधान से संबंध है। सरकार की टीका आप कर सकते हैं।

श्री उमाशंकर---अच्छा, भूमि जो सरकार की ओर से तोड़ी जा रही है, गरीब जनता के खजाने का वह पैसा है, जनता के पैसे से सरकार आबाद कर रही है उन जमीनों को, लेकिन उन जमीनों को लेता कौन है? घाघरा नदी के देवारे के बारे में बताना चाहता हूं। आज ६३ परिवार खानाबदोश होकर घूम रहे हैं गोरखपुर के जिले में। उनको जमीन नहीं दी जाती है, वही कुछ मनचले लोग और सरकारी अफसर जमीन लेते चले जा रहे हैं। कहा तो यह जाता है कि जमीन तोड़कर उनको दी जायगी जो भूमिहीन किसान हैं, जो खेती तो करते हैं, खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन दी जायगी, मगर उनको दी नहीं जाती है। दी उनको जाती है जिनके यहां दस हल की खेती घर पर है और ३० एकड़ वहां पर भी ले लिया, तीन हजार रुपया या ४ हजार रुपया यहां सरकारी नौकरी में भी लेते हैं और २ सौ एकड़ का फार्म भी बना लिया किछा में और खाम इलाके में, इस पर गवर्नर साहब ने कोई प्रकाश नहीं डाला, कोई सलाह नहीं दी। गवर्नर महोदय ने कोई प्रकाश इस पर भी नहीं डाला कि हमारी सरकार क्यों बेगुनाह पर गोलियां बरसाती चली जा रही है, कोई साल नहीं है जिसमें ४, ६, १० घटनायें न हो जाती हों। यह हमारी असफलता और अनैतिकता है। सरकार में तो नैतिकता है नहीं, नैतिकता अगर होती तो हाई कोर्ट के फैसले पर ही छोड़ कर यह सरकार चली गई होती, दूसरी सरकार आ गई होती। सरकार की ओर से यहां बयान दे दिया जाता है गोलियां चलने के औचित्य पर अफसोस। अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र के जमाने में जनता की जिन्दगी ज्यादा सुरक्षित होनी चाहिए या सरकारी कर्मचारियों की? अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जज कातिल को फांसी देता है मगर उसको पूरा मौका देता है सफाई का। इस सरकार

में सरकारी कर्मचारियों का कहीं एक रत्ती खून नहीं निकला, एक ढेला भी लगा या नहीं लेकिन लोगों को मार कर गिरा दिया गया, सरकार की ओर से उनकी सफाई दी जाती है, उन कर्मचारियों को दंडित नहीं किया जाता है बल्कि यह कहा जाता है कि जो किया ठीक किया। होना यह चाहिये कि गोली क्यों चली, गोली जिन लोगों ने चलायी, उन्हें कितनी चोट आयी, उनके कितने आदमी मरे और जनता के कितने आदमी मरे? मैंने यह बता दिया कि लोकतंत्री देशों का यह सिद्धान्त होना चाहिए कि जनता की सुरक्षा हो और सरकारी कर्मचारी भले ही अपने को खतरे में रखें। लेकिन इस उच्च आदर्श को कार्यान्वित नहीं किया जाता है यह हमारा दुर्भाग्य है।

अध्यक्ष महोदय, मैं, द्वारका प्रसाद मौर्य जी ने जो सुझाव रखे हैं उनका समर्थन करता हूं। उन्होंने बता दिया कि आज मैं स्वतन्त्र रूप से बोल रहा हूं यह सब लोगों को साबित हो गया कि इस सरकार में शायद स्वतन्त्रता नहीं है, कम से कम बोलने की। यह लोकतन्त्र की सरकार है, मैं इससे प्रार्थना करता हूं कि अपने तमाम मेम्बरों को और पूरी कैबिनेट को यह आजादी दे इस हाउस में बोलने की ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपने विचार यहां रख सकें। रहा धन्यवाद का प्रस्ताव वह तो पास हो ही जायगा, चाहे जैसे भी हो।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र गुप्ता जी के प्रस्ताव का जो राज्यपाल महोदय को धन्यवाद का है, उसका अनुमोदन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में जो इस सदन के बीच अपने भाषण में बातें बतलायीं, वास्तव में वह बहुत प्रशंसनीय है। राज्यपाल महोदय ने इस बात का संकेत किया कि यह प्रान्त भारतवर्ष में सब से बड़ा प्रान्त है। इसमें दो रायें नहीं। इस प्रान्त में विद्वान, योग्य शासक तथा शासन करने वाले लोग पैदा हुये। यहीं तक नहीं, , इस प्रान्त के नेता ही भारतवर्ष के शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर उसको सुचारु रूप से चला रहे हैं। यह बहुत बड़े गौरव की बात है और इस प्रान्त का सौभाग्य है। यहीं तक नहीं, विश्व में भी आज उनकी प्रशंसा हो रही है। इस प्रान्त के जन-नेता पं० जवाहर लाल नेहरू की आज विश्व में भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। हमारे प्रान्त के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने १७ साल तक इस प्रान्त का शासन किया वह अद्वितीय है। जाने से पूर्व वह उसकी बागडोर अपने उत्तराधिकारी एक विद्वान महापुरुष के हाथ में सुपुर्द कर दी, यह प्रशंसनीय बात है। वास्तव में राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में जो कुछ बतलाया वह अक्षरशः सत्य है, उसकी प्रशंसा करना हम उत्तर प्रदेश के वासियों का कर्तव्य है और करना चाहिये।

इसके साथ ही मैं आप के द्वारा राज्य पाल महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबोधन में कुछ बातें छूट गयीं, पता नहीं वह किस इरादे से छोड़ दिया या भूल से। वह एक बड़ा अहम मसला था कि जो इस प्रान्त में शरणार्थी आये हैं, उनका कोई ज़िक्र इस सम्बोधन में नहीं है। इन सात सालों में शरणार्थियों को बसाने के लिये कोई उचित रूप से प्रबन्ध नहीं हुआ। हमारा ख्याल है कि शरणार्थियों को अगर जल्दी से जल्दी मुआविजा दे दिया जाय तो वह अपने पैरों पर खड़े हो कर मकान भी बना सकते हैं और रह भी सकते हैं। आजतक, जहां तक मैंने देखा है, मैं शरणार्थी कमेटी में मेम्बर भी था और बनारस शहर में रहने के नाते, राज्यपाल से भी निवेदन कर चुका हूं जब कि वह वहां गये थे, और फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब शरणार्थियों ने लैंड एक्वीजीशन के द्वारा शहरों में मकान बनाने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजे। साथ ही वहां के कलेक्टर महोदय ने उनके प्रार्थना-पत्रों पर स्वीकृति दे दी कि वह लैंड अक्वायर कर सकते हैं, रुपया भी जमा होता है। फिर जब यहां की सरकार के पास सिफारिश आती है तो वह रद्द कर दी जाती है। इस क़िस्म की बीसियों उपमाएं हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस किस्म की प्रथा जारी रही तो शायद ही शरणार्थी इस देश में बस सकें। हमारी सरकार, जैसा राज्य-पाल ने बतलाया, महा विद्वान, उदार और न्यायशील है और इसको चलाने वाले तरीकों का

[श्री शिवमंगल सिंह कपूर]

भारतवर्ष पर एक अनुपम प्रभाव पड़ता । इसलिये शरणार्थियों के प्रति इस प्रकार की उदासीनता दिखलाने से शायद ही वह इस देश में बस सकें। यह तो आप की महान् उदारता होगी। आप के यहां जो वह तबाही की हालत में, परेशानी की हालत में आप के सूबे में और शहर में आये हैं तो उनको बसाना आप का, आप की सरकार का और प्रत्येक नागरिक का प्रधान कर्त्तव्य हो जाता है।

दूसरी बात मैंने राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में यह भी नहीं पाई कि आज जो हमारे ५ काबाल शहर हैं उनका शासन प्रशासक के हाथ में है और यहां की जनता की यह मांग है कि जल्द से जल्द इन पांचों शहरों में चुनाव हो जाना चाहिये । लेकिन इसका कोई संकेत महामान्य राज्यपाल महोदय के संबोधन में नहीं मिलता है । मैं आप के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह सरकार के सामने इस चीज को लायें कि जल्द से जल्द इन पांचों शहरों में चुनाव हो।

तीसरी चीज मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं कि राज्य पाल महोदय के सम्बोधन में राजनीतिक पीड़ितों का भी कोई जिक्र नहीं है। वास्तविक इतिहास जहां तक बतलाता है वह यह है कि जिस मुल्क ने आजादी हासिल की है, स्वतंत्रता प्राप्त की है और जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया है उनकी वहां की सरकार इज्जत और क़द्र करती है और सरकार के अन्दर उनका स्थान मुख्य रूप से रहता है। परन्तु मुझे खेद है कि राजनीतिक पीड़ितों ने सरकार के पास नौकरी के लिये एप्लीकेशन भेजीं तो सरकार के अधिकारी तो उनको बुलाते तक नहीं और अगर बुलाते भी हैं तो एक आध आदमी को और बाक़ी को छोड़ देते हैं तो यह प्रथा सरकार के लिये ठीक नहीं है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है उनका ध्यान रखा जायगा। जिन्होंने कंधे से कन्धा भिड़ा कर अपने देश को स्वतंत्र करवाया है, जिनकी बदौलत आज यह सरकार चल रही है, उनके लड़कों के लिये उनके परिवार वालों के लिये जरूर स्थान सरकार में मिलना चाहिये। परन्तु इसके साथ ही साथ इतना अवश्य होना चाहिये कि जो लोग योग्य हों काबिल हों उनको स्थान दिया जाय। लेकिन मैं देखता हूं कि यह नहीं होता है। मुझे खुद शिकायत है। एक सज्जन बी० ए० पास थे और उन्होंने नौकरी के लिये एप्लीकेशन दी और २० राजनैतिक पीड़ितों ने भी दीं तो केवल एक राजनैतिक पीड़ित को बुलवाया गया और १९ को छोड़ दिया गया। जो बी० ए० थर्ड क्लास थे उनको ले लिया गया और राजनैतिक पीड़ित को नहीं लिया गया। यह बड़े खेद की बात है।

मैं आप के द्वारा राज्य पाल महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें। वास्तव में हमारा प्रान्त जिस तरह से ५ साल में उन्नति के शिखर पर पहुंचा है वह प्रशंसनीय बात है हमारा प्रान्त सब तरफ तरक्की करता चला जा रहा है, विद्युत् योजनाओं की तरफ खाद्य समस्या की तरफ तथा सब ओर तरक्की कर रहा है, यह हमारे प्रान्त और देश के लिये बड़े गौरव की बात है। मैं आशा करता हूं कि आइन्दा भी इसी तरह से हमारा प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी हमारे मुख्य मंत्री के नेतृत्व में, तरक्की करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने स्थान पर बैठता हूं।

श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से महामान्य राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जुड़वाने का प्रस्ताव रखता हूं—

> "किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने राज्य में फैली हुई अस्पृश्यता तथा जातीयता को शीघ्रातिशीघ्र समूल नष्ट करने के लिये कोई ठोस उपाय अपने सम्बोधन में नहीं बतलाया।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल ने अपने संबोधन में अनेक बातें कहीं जो कि सराहनीय हैं, उसके लिये सारा सदन धन्यवाद प्रगट करता है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि इस वर्ष एक नये विभाग, समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गयी है। और उनके मंत्री भी नियुक्त किये गये हैं। यह बड़े हर्ष का विषय है। हमें आशा है कि इस समाज कल्याण विभाग की छत्रछाया में जितने भी हमारे समाज सम्बन्धी दोष हैं, जैसे अस्पृश्यता और दूसरे दोष जो समाज से सम्बन्ध रखने वाले हैं उनको यह विभाग जल्द से जल्द दूर करने का प्रयत्न करेगा।

उन्होंने अपने संबोधन में काशी के घाटों के जीर्णोद्धार का भी जिक्र किया। इसके बारे में मैं श्री अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि हमें धर्म के ऊपर गर्व करना चाहिये और हमें धर्म को सुरक्षित रखना चाहिये। लेकिन इस प्रकार बनारस में गंगा के घाटों का जीर्णोद्धार करने से ही हमारे प्रदेश और देश का भला नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की उन्नति में बाधा डालने वाली और चीजों के साथ-साथ एक बहुत बड़ी चीज है वह अस्पृश्यता और जातीयता है। अस्पृश्यता और जातीयता हमारे समाज का कलंक है। यह हिन्दू धर्म में कोढ़ का रोग है। जब तक यह रोग दूर न होगा, हमारे समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि हमारी सरकार ने अस्पृश्यता को दूर करने के लिये कोई कार्य नहीं किया। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है सरकार तो किसी न किसी रूप से अस्पृश्यता को दूर करना चाहती है और इसी लिये उन्होंने १९४७ में अस्पृश्यता निवारक कानून सबसे पहले अपने प्रदेश में बनाया। लेकिन खेद की बात है कि उस कानून में इतना बल नहीं है कि जिससे अस्पृश्यता पूर्णतया दूर हो सके। इस कानून के मुताबिक हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियों को यह अधिकार है कि समाज में हर एक मनुष्य बराबर हैं और जिस प्रकार से समाज का कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता है उसी प्रकार से पिछड़े हुये लोगों को भी अधिकार है। वे सार्वजनिक स्थानों में जा सकते हैं मंदिरों में जा सकते हैं, कुओं पर चढ़ सकते हैं, जिस प्रकार से हिन्दू समाज में रीति-रिवाज हैं वह भी उसी प्रकार के रीति-रिवाज से अपने कार्यों को कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस हर्ष और उत्साह से माननीय मुख्य मंत्री ने गंगा के घाटों का जाकर जीर्णोद्धार उद्घाटन किया है उसी उत्साह और उसी बल से उनका यह भी कर्त्तव्य है कि उसी बनारस में जो हरिजन विश्वनाथ के मंदिर में नहीं घुसने पाते हैं उन हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों की एक टोली को ले जा कर प्रवेश करायें। तब उनके लिये गौरव की बात होगी। वैसे जहां तक मन्दिरों में जाने का सम्बन्ध है मैं इसमें विश्वास नहीं करता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इतना अवश्य है कि मन्दिरों में घुसने से मनुष्य की मनोवृत्ति बदलती है। उनमें छूआछूत की भावना दूर होती है और इस भावना को रोकती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने काशी के घाटों का जीर्णोद्धार उद्घाटन किया उसी प्रकार वह विश्वनाथ के मन्दिर और ऐसे दूसरे मन्दिर जिनमें हरिजनों का प्रवेश निषेध है उनका प्रवेश करायें। जैसा कि मैंने अभी कहा हमारी सरकार बहुतेरा चाहती है अस्पृश्यता को दूर करने के लिये। इस साल भी हमारी केन्द्रीय सरकार ने हमारी राज्य सरकार को २ लाख २० हजार रुपया अस्पृश्यता निवारण के लिये दिया और हमारी सरकार की ओर से प्रदेश में हरिजन सप्ताह मनाया गया। हर एक जिले में हरिजन सप्ताह मनाया गया। वहां पर क्या हुआ यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। वहां पर ऐसा हुआ कि सब जातियों को खाना खिलाया गया। उसकी विशेषता यह रही कि ठाकुर को अलग पंक्ति में बैठाया गया, ब्राह्मण को अलग पंक्ति में बैठाया गया और मेहतर को अलग बिठाया गया। तो ठाकुर ने ठाकुर को खिलाया और ब्राह्मण ने ब्राह्मण को खिलाया मेहतर ने मेहतर को खिलाया और चमार ने चमार को खिलाया। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इससे अस्पृश्यता निवारण किया जा सकता है? इस प्रकार से किस प्रकार हरिजनों का उत्थान हो सकता है? जिस मशीनरी से आप कार्य लेना चाहते हैं उस मशीनरों के लिये मैं यह कह सकता हूं कि वह धार्मिक रीतियों के वातावरण में पली है। उसको इस प्रकार से काम करना

[श्री पुतूलाल]

चाहिये कि जिससे हरिजनों का उत्थान हो सके। जब तक इस प्रकार से काम होता रहेगा तब तक अस्पृश्यता दूर नहीं हो सकती है और उसका दूर होना असम्भव है। इसके लिये सबसे पहले उनकी गरीबी मिटाना बहुत आवश्यक है। तभी हरिजन लोग स्टैंडर्ड से रह सकते हैं। बिना पैसे के कोई ऊंचे स्तर पर नहीं रह सकता है। जब तक कोई आदमी गरीब है वह अच्छे ढंग से नहीं रह सकता है, न वह खा सकता है, न पहन सकता है और न साफ-सुथरा उसका रहन-सहन हो सकता है। साफ-सुथरी बस्ती में हर एक जाने का साहस कर सकता है लेकिन गन्दी बस्ती में कोई जाने का साहस नहीं करता है। इसलिये उनका आर्थिक. ढांचा बदलने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जब तक उनमें दरिद्रता रहेगी तब तक यह अस्पृश्यता दूर नहीं हो सकती है।

क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि जो नाम के आगे जाति सूचक उपाधियां लिखी जाती हैं वह उनको समाप्त कर दे ? शर्मा, वर्मा, त्रिवेदी लिखने की क्या आवश्यकता है ? क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिये यह नहीं कर सकती कि जो कोई नौकर रखा जायगा उसको जातिपांति को छोड़ कर विवाह करना होगा। क्या परिगणित जाति में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं ? दूसरी जाति से भी विवाह बन्धन किया जा सकता है। अगर सरकार इस प्रकार से कर दे तो यह अस्पृश्यता बहुत हद तक दूर हो सकती है। अन्तर्जातीय विवाह का सिस्टम जब तक जारी नहीं होगा यह छुआछूत दूर नहीं होगी। बहुत सी शिक्षा संस्थायें हैं जो जाति के नाम पर चलती हैं उनके नाम से जाति का नाम हटा दिया जाय तो इससे भी सहायता मिल सकती है।

अभी प्लानिंग का बहुत सा काम जिलों में हो रहा है। उनके अन्तर्गत बहुत से काम हो रहे हैं। अभी हमने देखा कि बहुत से कुयें पानी पीने के लिये बनाये गये हैं, धर्मशालायें बनायी गयीं हैं और मन्दिर भी बनाये गये हैं। वह सरकार के पैसे से बनाये गये हैं तो फिर किसी जाति विशेष के लिये उनके इस्तेमाल करने का प्रश्न क्या हो सकता है ? यह तो सार्वजनिक चीज है और सबको प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिये और सरकार को सार्वजनिक चीज डिक्लेयर करनी चाहिये और इस प्रकार का शिलालेख वहां पर लगा देना चाहिये कि सब लोगों के लिये इस्तेमाल की यह चीज है और सब इस को प्रयोग में ला सकेंगे और अगर उस पर कोई किसी प्रकार से रोक करे तो उसको दंड दिया जाय। इस प्रकार से अगर सरकार करे तो मुझे आशा है कि जल्द से जल्द यह अस्पृश्यता दूर हो सकती है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, जो धन्यवाद का प्रस्ताव मेरे मित्र श्री केशव गुप्त ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। यह बड़े सन्तोष की बात है कि हमारे इस प्रदेश ने सतत् उन्नति की है और वह अन्य प्रदेशों की बनिस्बत अग्रगामी रहा है। जिन सफलताओं का संकेत महामान्य राज्यपाल ने किया है वह सन्तोष और हर्ष का विषय है। सबसे बड़ी सफलता जैसा कि उन्होंने कहा हमारी अन्न समस्या के सम्बन्ध में है कि हम आज उस में आत्मनिर्भर हैं और जनता ने इससे बड़ा सन्तोष और शांति प्राप्त की है। कंट्रोल का हटना जनता के लिये बहुत ही दुःखदायी हुआ है। इसी तरह से जहां जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये गये हैं वहां भी नयी आशा और नये जीवन का संचार हो रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य दिशाओं में भी, जैसा कि इस सम्बोधन से विदित है, हमने तरक्की की है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सामाजिक न्याय और अधिक उत्पादन और रोजगार के आधार पर ही बनने वाली है। उन्हीं लाइसेन्स पर हमारे प्रदेश में भी आगे काम होगा।

किन्तु कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जिनका अभाव इस सम्बोधन में थोड़ा खटकता है। हमारी सफलता की मुख्य कसौटी यह है कि हमने जनता के जीवन स्तर को कितना ऊंचा

उठाया है और कितना सुखी बनाया है। क्या हम इस प्रश्न का उत्तर "हां" मे दे सकते हैं? मैं समझता हूं कि इसका उत्तर अभी संदिग्ध है। मैं इस पर इशारा नहीं कर रहा हूं कि हमने जो कुछ किया बिलकुल अपर्याप्त है, हमें अभी बहुत कुछ करना है और जो करना है वह उससे जो अभी तक हुआ है, कहीं अधिक है। मैं इस ओर भी इशारा नहीं कर रहा कि जैसा एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट से विदित होता है हमारा जितना खर्च हो रहा है उतना परिणाम नहीं निकल रहा है। मेरा कहना यह है कि जो चीजें बन चुकी है उन से पर्याप्त लाभ नहीं पहुंच रहा है जैसी कि आशा की जाती थी। यह चीज जनता को अधिक खटकती है जब वह कुएं के पास पहुंच कर भी प्यासी रहती है। अस्पताल खुल गये है लेकिन डाक्टर नहीं हैं या दवा नहीं मिलती, स्कूल हैं लेकिन अच्छी तरह से शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं होते, किसी कारण से भी या तो शिक्षक अयोग्य हैं या कर्त्तव्य शिथिल। इस तरह थाने मौजूद हैं लेकिन उनसे जनता को कितनी रक्षा का आश्वासन मिलता है यह मैं नहीं जानता। दुखी लोग न्यायालयों में न्याय की आशा ले कर जाते है लेकिन उनको वहां न्याय नहीं मिलता बल्कि जो कुछ गांठ में होता है उसे भी गवां कर लौट आते हैं। इस दृष्टि से जो प्रगति हुई है उसको नापें तो उस में बहुत उत्साह और आशा नहीं दिखाई पड़ती। इसलिये मेरे विचार से इस स्थिति की ओर ध्यान देना और सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है। बुनियादी समस्या यह है कि इस सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा की स्थापना करना चाहते हैं लेकिन जहां व्यक्तिगत न्याय और व्यक्तिगत सुरक्षा उपलब्ध न हो तो क्या ऐसी बुनियाद पर सामाजिक न्याय और समाजिक सुरक्षा की इमारत खड़ी हो सकती है? हमें जो हमारी त्रुटि है उसको देखना चाहिये और त्रुटि यह है कि हमारा शासन यंत्र दोष पूर्ण है, कर्मचारी अपना कर्तव्य भलीभांति पालन नहीं कर रहे हैं। उसका भी एक बुनियादी कारण है। आज हम ऐसी व्यवस्था के मातहत काम कर रहे हैं जिसका केवल भौतिक मूल्यों पर ही जोर है नैतिक मूल्यों की ओर उसने ध्यान देना छोड़ दिया है। हमारी एक सेक्यूलर स्टेट है जिसके मानी हम लगाते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्म क्या है? और जगह उसका कुछ भी हो—संप्रदाय अथवा क्रीड कुछ रहा हो, इस देश में उसका अर्थ सदा "right conduct" या सदाचार ही रहा है। यही वास्तव में धर्म का पर्यायवाची है। फिर यदि हम सदाचार से भी निरपेक्ष या विरक्त बन जायें तो समाज कैसे चलेगा? यदि भौतिक प्रगति के साथ-साथ स्वस्थ और सदाचारी नागरिक का निर्माण नहीं होता तो हमारी प्रगति स्थायी नहीं हो सकती। राष्ट्र सम्पन्न हो भी जाय लेकिन सुखी नहीं हो सकता, मैं यह नहीं कहता कि सरकार moral reform करे लेकिन शिक्षा द्वारा वह व्यक्ति का निर्माण अवश्य कर सकती है। पर हम आज शिक्षा के ढांचे को बदलने में लगे हुये हैं उसके कन्टेन्ट (content) को नहीं नैतिकता और आध्यात्मिकता को हमने उससे निकाल दिया है। इस अवस्था की ओर हमारे नेता भी हमारा ध्यान दिला रहे हैं, स्वयं राज्यपाल महोदय और हमारे मुख्य मंत्री ने अपने लेखों में इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह होते हुये भी और यह जानते हुए भी कि यह बड़ी भारी त्रुटि है, महामान्य राज्यपाल ने अपने संबोधन में इस का कोई जिक्र नहीं किया और न संकेत किया कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन कर के चरित्रवान नागरिक का हम निर्माण कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में मैं तो दो कोटेशन्स दे कर अपने भाषण को समाप्त करूंगा। आज के समाज की क्या अवस्था है इस पर राज्यपाल के एक आर्टिकिल से उद्धरण देना चाहता हूं वह आज की दशा का अक्षरशः चित्रण करता है। वह इस प्रकार है—

"In many spheres of life we see and permit a blatant materialism encouraging lower instincts, harnessing the loyalty of the ignorant, invoking in them a desire for sectional gains. In the result we see the world riven by bitterness, nation set up against nation, Labour against Capital, Party against Party, class against class, caste against caste, one group against another, each fighting for material benefit to the exclusion of the other. We find a situation in which grievances are not cured, they are only exploited-circumstances in which there are tensions but no harmony.

[श्री शम्भू नाथ दुबेदी]

Uncontrolled by spiritual values, man seeks the triumph of materialism by creating dissa-tisfaction and undermining stability by trying to dominate others, by enslaving them, by destroying first freedom in life and finally the freedom of the spirit.

आज की दशा का यह वास्तविक चित्रण है । इस सम्बन्ध में चार लाइनों का एक कोटेशन मुझे चीफ मिनिस्टर के आर्टिकिल से लेना है जो उन्होंने को-एक्जीस्टेंस (co-existence) के बारे में लिखा है । यह नेशनल को-एक्जीस्टेंस ही (national co-existence) नहीं बल्कि सोशल को-एक्जीस्टेंस (social co-existence) के बारे में भी इतना ही लागू होता है —

"Coexistence will become possible only if and when men come to realise that above all economic and political theories stands the doctrine of the virat Purusha. this doctrine teaches that we all races, all nations, all moving things, all that exists are organically connected with one another as members of one world corpus; that for this reason no member can have interests other than, or opposed to the interests of another,"

यही भावना हममें जागृत होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि यह धर्म ही से आ सकती है जिसका कि हमें शिक्षा में समावेश करना होगा यदि हम राष्ट्र का कल्याण चाहते हैं ।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के सम्बोधन सम्बन्धी धन्यवाद के प्रस्ताव में मैं यह संशोधन रखता हूं कि निम्नलिखित उस प्रस्ताव के अन्त में जोड़ दिया जाय—

"परन्तु दुःख है कि राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में—

(क) खाद्यान्न विशेषकर मोटे अन्न की गिरती हुई क़ीमतों एवं अन्य दैनिक व्यवहार में आने वाली आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतें स्थिर रहने से उत्पन्न किसानों की गम्भीर आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया ।

(ख) ग़रीब जनता के संरक्षण के बजाय सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके प्रति अवहेलना से उत्पन्न उनके संकटमय जीवन की ओर ध्यान नहीं दिया और न इसके संकट के निवारणार्थ कोई उचित क़दम उठाने का जिक्र किया ।

(ग) भूमिहीन एवं उद्योग विहीन (बेरोजगार) ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की ओर कोई संकेत नहीं किया ।

(घ) सामाजिक असमानता को दूर करने के हेतु कोई सक्रिय कदम उठाये जाने की ओर प्रकाश नहीं डाला ।"

अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं तीन चार बातों पर कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं और सुझाव के रूप में ये बातें कहना चाहता हूं कि आज हमारे गांवों में क्या हालत है । पिछले दिसम्बर में जब सेशन हो रहा था, बराबर ये प्रश्न किये गये कि हमारे खाद्यान की क़ीमतें काफी घट रही हैं और किसानों में बड़ी बेचैनी है कि आखिर किस प्रकार से वे अपना जीवनयापन कर सकते हैं । विशेषकर इस दृष्टि से देखें कि बाजारों में और भी दैनिक व्यवहार की जितनी चीजें हैं उनकी कीमतें बराबर वैसी ही बनी हुई हैं । मैं तो यह बतला देना चाहता हूं कि जब एक गांव में मैं लोगों के पास गया, जब कि ज्वार की फसल कट रही थी, लोगों ने कहा और विशेष कर के इस बात को कहा कि कम से कम किसानों की स्थिति को सुधारने के लिये या तो जो अन्न हैं उसका प्राइस कंट्रोल होना चाहिये अथवा जो अन्न की कीमतों में कमी हुई है उसके साथ ही साथ और जो वस्तुयें बाजारों में

मिलती हैं उनकी भी क़ीमत उसी तौर पर प्रोपोर्शनली घटानी चाहिये । खास कर ऐसे लोगों की संख्या जिनके ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है उनकी संख्या इस प्रदेश में ७०, ८० प्रतिशत है । तो इतने बड़े जनसमुदाय का ख्याल रखना होगा और उसके लिये फूड प्राइसेज को स्थिर करना होगा । यह एक बड़ी विकट समस्या है और हमारी सरकार जब बराबर उन्नति के लिये कटिबद्ध है और बराबर ऐसा प्रयास कर रही है कि जो सिंचाई के साधन हैं वे बढ़ाये जायं । बंधियां ज्यादा बनायी जायं जिससे किसानों की तरक्की हो और अन्न का उत्पादन बढ़े । इसके लिये यह कहा जाता है कि उनकी सिंचाई की दरें बढ़ायी जायं । उनके ऊपर और कर लगाये जायं तो रुपया कहां से आवे और अगर रुपया लिया भी जाता है तो उनकी स्थिति को तो नहीं भूलना चाहिये । उनकी शक्ति कितनी है, कितना दे सकते हैं जब तक इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो उनकी आशाओं पर हम कुठाराघात करेंगे, उनके हृदय को ज़बर्दस्त धक्का लगेगा और शक्ति के बाहर, उनके ऊपर यदि कोई काम किया जाता है तो असंतोष होगा और कोई कोआपरेशन नहीं होगा । मैं तो यह देखता हूं कि बराबर लोगों में असंतोष की भावना बढ़ रही है । आखिर यह तो निश्चित चीज है कि अन्नों की क़ीमतें घट गयी हैं और फिर भी सारा बोझ उनका बढ़ा हुआ है । यदि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम उनके रेप्रेजेन्टेटिव्ज यहां पर हैं, यहां पर एकत्रित हो कर उनकी बातों को समझते हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं यदि हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर भी यह आशा रखते हैं कि श्रमदान हो और आगे की बड़ी बड़ी योजनायें जो हैं उनमें वह को-आपरेट करें और रुपये से पैसे से अल्प बचत योजना में हमेशा रुपये दे कर के कोआपरेट करें, तो यह सम्भव नहीं है । हम शक्ति भर ही काम ले सकते हैं । अगर आप हम उनको समृद्ध बनाने के लिये कदम उठाते हैं तो उनसे उतना ही काम ले सकते हैं जितनी उनकी शक्ति हो, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया है और उत्तर यह दिया गया कि कन्ज्यूमर्स को फ़ायदा होगा यदि खाद्यान्नों की क़ीमतें गिर रही हैं । लेकिन आप देखेंगे कि फसलें जब कट कर आती हैं तो उनकी क़ीमतें काफी गिरी हुई होती हैं लेकिन अगर चार छः महीने बाद कीमतें बढ़ जाती हैं तो वह फायदा न तो प्रोड्यूसर्स को और न कन्ज्यूमर्स को होने वाला है बल्कि जो इन वस्तुओं में डील करते हैं उनको फायदा होता है और कन्ज्यूमर्स फिर भी मारे जाते हैं । तो न तो कन्ज्यूमर्स को फायदा होगा और न किसानों को । बीच में जो क्रय विक्रय करते हैं वे फायदा उठा लेते हैं । जैसे गेहूं की क़ीमत ८ रुपये और १० रुपये मन तक हो गई थी, लेकिन आज १७ रुपये मन है । तो जो होर्ड करने वाले हैं उनको फायदा होने वाला है किसानों को कोई क़ीमत नहीं मिल रही है । ज्वार ३ रुपये और ४ रुपये मन बिक रही है और उनकी दैनिक व्यवहार की जो वस्तुयें हैं उनको वे खरीद नहीं पा रहे हैं और जब यह हालत है तो असंतोष होगा और हमारा प्रदेश तरक्क़ी नहीं कर सकेगा यदि उनके लिये इसका प्रबन्ध हम नहीं करेंगे । इसलिये मैं कह रहा हूं कि ग्रामीण जनता को काफी परेशानी है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

दूसरा जो विशेष प्रश्न हमारे सामने है वह ला ऐंड आर्डर सम्सेबन्धितहै । आप गांवों में चले जाइये तो हर कोई यह देखेगा कि जो गरीब हैं जो साधन विहीन हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं है । न तो पुलिस आफिसर्स उस पर ध्यान देते हैं न हमारे जिलाधिकारी, क्योंकि उसमें वह शक्ति नहीं है कि वह लखनऊ में आ कर जो साधन और सत्ता से युक्त हैं उनके पास पहुंचेंगे और वह उनकी एन्क्वायरी करायेंगे । न किसी को कोई भय है कि उनसे उनका कुछ बन बिगड़ जायगा और इसलिये उनकी कोई ऐप्लीकेशन और रिपोर्ट हो तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । आज बराबर इसकी दौड़ लगी हुई है कि हम सत्ता सम्पन्न हों और हमारे हाथ में सत्ता होनी चाहिये क्योंकि हमारी जो भी शक्तियां होंगी उनकी पूर्ति भी उसी के द्वारा ही होगी यह जो दिक्कतें या परेशानियां होंगी वह भी तभी दूर हो सकती हैं जब हम साधन सम्पन्न हों लेकिन अगर आप गरीब हैं, कोई आपकी पहुंच नहीं है तो कोई आप की सुनने वाला नहीं है और यह निश्चित है कि ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद हमारे गांवों में है । उनका कोई साधन नहीं है । बराबर ऐसे केसेज हुये हैं और

[श्री तेज प्रताप सिंह]

मैंने देखा है कि अनलाइसेंस्ड आर्म्स के लिये गरीब लोगों को पकड़ा गया जब कि वे निर्दोष थे और उसमें बराबर फेब्रीकेशन हुआ। किसी ग़रीब के यहां एक बन्दूक रख दी गयी और कहीं-कहीं शराब की बोतलें रख दी गयीं जिनका कि न बन्दूक से कोई वास्ता था और न शराब से कोई वास्ता था और उनको सताया जाता था और कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जो साधन सम्पन्न हैं और अमीर हैं जो धौंस दे सकते हैं कि हम तबादला करा सकते हैं उनकी सुनी जाती है, लेकिन जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है उसकी नहीं सुनी जाती है। सारी ग़लतियां आफिसर्स की हैं ऐसा मैं नहीं मानता। आफिसर्स में कुछ सच्चरित्र भी हो सकते हैं। चरित्र हीनता तो आज सब में है। इसमें उनका कोई दोष नहीं। लेकिन जो सत्ता सम्पन्न गुट्ट है वह लखनऊ आ कर सरकार में कह सुन कर किसी तरह से मेनिपुलेट करके जब २४ घंटे में किसी आफिसर का ट्रान्सफर करा सकता है तो आखिर सर्विसेज में डिमोरेलाइजेशन क्यों न होगा? उसी की सुनी जायगी जो सत्ता रखता है, उसमें प्रभाव रखता है आफिसर्स की हालत की भी यह दुर्दशा है। वे गरीबों की अवहेलना करते हैं। यही मनोवैज्ञानिक कारण है जिससे वे जो उनके खिलाफ कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता उनकी वे नहीं सुनते, लेकिन जिन आदमियों के हाथ में सत्ता है या सत्ता सम्पन्न व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं या उनकी शिकायत कर के कुछ उनका बना बिगाड़ सकते हैं उनकी वे सुनते हैं। इन कारणों पर भी ध्यान देना चाहिये तभी हमारे जानोमाल की हिफाजत हो सकती है जो कि आज नहीं है। जो सामाजिक असमानता है, जिसके पास कोई भूमि नहीं है उसके बारे में स्पष्ट नीति होनी चाहिये। उद्योग-धन्धे नहीं हैं उनके बारे में भी स्पष्ट नीति होनी चाहिये।

भूमि के बारे में आन्दोलन चल रहा है कि भूमि का बटवारा होना चाहिये। माननीय मौर्य जी ने काफी उस पर प्रकाश डाला है, उन पर हमें अमल करना चाहिये। दूसरे हमारा कार्पोरेशन खुला है, काटेज इंडस्ट्रीज के लिये रुपया दिया जाता है लेकिन उससे ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जो उनका प्रोडक्शन है उसकी बिक्री और खपत कहां हो सकती है और जो बिग इंडस्ट्रीज हैं उनके मुकाबले में कैसे कम्पीट कर सकती हैं इसका भी हमें इन्तजाम करना होगा। इतना बड़ा समाज जुलाहों का है। यह भी गृह उद्योग है। उनको रुपया दिया जाता है लेकिन माल की कोई खपत नहीं होती है तो फिर लाखों घरों की जीविका कैसे चल सकती है? इस ओर हमें ध्यान देना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि जो प्रकाश मैंने डाला है उस पर सरकार ध्यान देगी।

*श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्री गुप्त जी ने रक्खा है उसका समर्थन करता हूं। गत दो दिनों से इस सम्बोधन के सम्बन्ध में यहां पर वाद विवाद चल रहा है और अन्य सदस्यों की तरह मैंने भी प्रयास किया कि जो सदस्य उधर से बोले या इधर से बोले उनकी आलोचना और समालोचना के सम्बन्ध में मैं जान सकूं कि वे इस शासन के सम्बन्ध में अथवा शासन जिन नीतियों से प्रेरित होकर चल रहा है उसके सम्बन्ध में कौन से परिवर्धन अथवा संशोधन देते हैं। जहां तक नीतियों का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि दोनों ओर के सदस्य इस बात से सहमत हैं कि जिस नीति से प्रेरित होकर के शासन चल रहा है, जो आधारभूत नीति है इस शासन की वह ठीक है, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता वर्तमान परिस्थिति के ढांचे को देखते हुए, लेकिन शासन के जो डिटेल्स हैं, जो छोटी-छोटी और मोटी-मोटी बातें हैं उनके सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन अवश्य हो सकते हैं और उस ओर सुझाव भी आये हैं। मसलन पुलिस से सम्बन्ध रखने वाले, प्रशासन, नियोजन, सिंचाई, और इसी प्रकार की और दूसरी चीजें। यहां पर अछूतों और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिछड़े वर्ग की उन्नति के सम्बन्ध में भी चर्चा की गयी । मैं इस सम्बन्ध में एक बात कह देना चाहता हूं और वह यह है कि आज हमारे इस शासन का और भारतवर्ष के शासन का एक मात्र उद्देश्य है इस देश की जनता को और ऊंचा उठाना, वह चाहे कितने पिछड़े हुये वर्ग के हों अथवा हरिजन हों अथवा अछूत हों उनकी सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना । हमने इस शासन में और जो महान् संस्था इस शासन को चलाती है उस महान् संस्था ने हाल ही में कहा है कि जब तक सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता और समानता इस देश में स्थापित नहीं हो जाती उस समय तक यह स्वराज्य प्राप्त करना बिलकुल निरर्थक है और इसके कोई माने नहीं हैं । लेकिन जब मैं आप से कहता हूं कि इस देश के अन्दर सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिये उस समय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चाहे आप आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक समानता कानून के जरिये से कर दें, इस व्यवस्थापिका सभा में ऐसा विधेयक पास कर लें कि जिससे कि आर्थिक असमानता दूर हो जाय लेकिन जहां तक सामाजिक समानता, सामाजिक स्वतंत्रता का सवाल है, सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रश्न है उसका हल हमारी जेहनियत से, हमारे दृष्टिकोण से, हमारी परंपराओं, हमारे कन्वेंशन से हमारे ट्रेडीशन में परिवर्तन से ही हो सकता है और जब तक हम हम अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे वह हरिजनों का सवाल हो या ऊंची जाति वालों का, जब तक हम अपने रुख में परिवर्तन नहीं करते हैं, तब तक हम अपने रोजमर्रा के दैनिक जीवन में जिस तरह से सोचते हैं उस सोच में परिवर्तन नहीं करते हैं उस समय तक यह सामाजिक समानता होना असंभव है, चाहे इधर के बैठने वाले उधर चले जायं अथवा उधर के बैठने वाले इधर आ जायं । यह नहीं हो सकता ।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह देश शताब्दियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा है । उस गुलामी में हमारी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता चली गयी है, इसमें हमारे अधिकारों का हनन हो गया है । उस समय हमारे देश में ऐसी परंपरायें प्रचलित की गईं कि जिन प्रथाओं ने हमारे सम्पूर्ण जीवन का विनाश कर दिया । आज यहां कोई भी दल या कोई भी सदस्य इन सारी की सारी परंम्पराओं और प्रथाओं को एक बार में ही समाप्त करना चाहे, या यह चाहे कि यह सब एक दम से नष्ट हो जायं तो यह असंभव सा प्रतीत होता है ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जब तक हमारी मनोवृत्तियों में, हमारी जहनियत में परिवर्तन नहीं होता उस समय तक कोई भी शासन क्रांतिकारी सामाजिक समानता पैदा नहीं कर सकता इस देश में । हम जानते हैं कि पिछले दिनों में जब से इस प्रदेश में और इस देश में कांग्रेस का शासन आया है उसने राजनैतिक समानता और आर्थिक समानता की स्थापना करने के लिये इस देश में बहुत से कार्य किये हैं और हम यह भी जानते हैं कि उन कार्यों के परिणाम स्वरूप आज हरिजनों में अथवा पिछड़ी हुयी जातियों में राजनैतिक समानता विद्यमान है । नहीं कहा जा सकता आज यह कि इस देश का कोई भी वर्ग ऐसा है जिसको राजनीतिक समानता प्राप्त न हो और जो शासन आज काम कर रहा है और महान योजनायें और व्यापक योजनायें इस समय देश में प्रचलित होने जा रही हैं निश्चय ही उनके फलस्वरूप इस देश में आर्थिक समानता विद्यमान हो जायगी निकट भविष्य में । लेकिन सामाजिक समानता एक ऐसा प्रश्न है जो कि केवल शासन और कानून के जरिये ही नहीं ठीक किया जा सकता । प्रजातंत्रीय आधार पर बनी हुयी कोई भी सरकार हो उसको दो दिशाओं में कार्य करना पड़ता है ।

[श्री कृष्णचन्द्र शर्मा]

एक तो वह जिन उसूलों और सिद्धांतों को प्रतिपादित करना चाहती है कार्यान्वित करना चाहती है उसकी दिशा में वह जनमत को तैयार करती है, शिक्षित करती है। दूसरे वह किसी न किसी तरीके से जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है, चाहे वह प्रतिक्रियावादी भावना हो अथवा प्रगतिशील भावना हो, दोनों का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। आज इसलिये इस शासन का दोहरा कार्य है। एक ओर तो वह जनमत को शिक्षित करता है और वह ऐसे कानून बनाता है जिससे कि जनता की भावना में तबदीली हो, फेसिलिटेट हो, आसान हो, जनता की भावना की तब्दीली। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सरकार का ताल्लुक है और शासन का सम्बन्ध है, वहां तक उसने एक कदम उठा दिया है निश्चित रूप से, दृढ़ता-पूर्वक इस देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सामानता के लिये, आर्थिक स्वतंत्रता के लिये। अब दूसरे वर्गों का कार्य है जो कि शासन के बाहर हैं कि वे ऐसा वातावरण और ऐसी फिजा तैयार करें इस देश के अन्दर जिससे कि सामाजिक समानता हम इस देश में पैदा कर सकें और जब मैं यह बात कहता हूं तो मैं सम्मान से अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूं जिन्होंने पिछले वर्षों में सामाजिक समानता और स्वतंत्रता की बात इस सदन में और सदन के बाहर कही है। मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं। मैं यह भी महसूस करता हूं कि हरिजनों की उन्नति होनी चाहिये, मैं यह भी जानता हूं कि वह शासन और वह समाज जो बहुजनों के हितों के आधार पर स्थापित नहीं रहता वह सुरक्षित नहीं रह सकता। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि यह कर्त्तव्य केवल शासन का ही नहीं केवल महाजन का ही नहीं या आप उसको चाहे कोई नाम दें, उनका ही नहीं, बल्कि उनकी भी जिम्मेदारी है जो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करना चाहते हैं। मैं पूछ सकता हूं कि आज हरिजनों में अस्पृश्यता है या नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि आज उनमें विषमता और मतभेद आपस में है या नहीं। और अगर है, यदि आज जाटव मेहतर के यहां और भंगी के यहां खाना नहीं खा सकता है, शादी विवाह नहीं हो सकता तो यह कौन सा शासन कानून बनाये कि एक ब्राह्मण अथवा क्षत्री चमार और मेहतर की लड़की से शादी करले? किस तरह से शासन वह कानून बना सकता है, असम्भव है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत सम्मान के साथ कि आप बहुमत की भावनाओं को सम्मानित करते हुए, उसका ख्याल करते हुये उसकी प्रतिष्ठा करते हुये अपने अधिकारों अपने हकों और अपने दावों का कार्य शुरू करें। मैं एक चेतावनी की बात कहता हूं, ऐसा न हो कि जब हम अधिकारों की, हकों की बात कहें, तो हम इस देश में एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को जन्म दें, ऐसा न हो कि जब हम इस तरह की बात कहें, उस वक्त हम जिन्नावाद की भावना को यहां पर प्रोत्साहन दें क्योंकि यदि हमने पृथकत्व और पृथकवाद की भावना को प्रोत्साहन दिया तो उससे कम से कम सामाजिक समानता की भावना तो पैदा नहीं होगी और कोई चीज चाहे भले ही पैदा हो जाय क्योंकि कोई भी सामाजिक सामानता इस देश में जब भी आयेगी तो वह शांति से आयेगी, वह सलाह से आयेगी, वह सद्भावना से आयेगी, वह मित्रता से आयेगी, वह हमारे और आपके आपसी मतभेदों की समाप्ति पर आयेगी, वह द्वेष, घृणा, नफरत के आधार पर नहीं आ सकती। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब भाइयों से, सब माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम अधिकारों की, हकों की बात करें, तो एक संयत भाषा का सचमुच निश्चित रूप से हम प्रयोग करें।

(इस समय २ बजकर २५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, पीठासीन हुए।)

दूसरी बात इसी के सम्बन्ध में, इसी मनोवृत्ति के सम्बन्ध में पुलिस के सम्बन्ध में है। हम सभी सदस्यगण, चाहे इस सदन में कहीं पर भी बैठे हों, यह जानते हैं कि पुलिस में बहुत उन्नति की आवश्यकता है, पुलिस की जहनियत में परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुत से काम उसके जरिये से हो रहे हैं जो कि इस देश में और इस प्रदेश में नहीं होने चाहिये। मैंने पिछले दिनों

में निवेदन किया था कि इस पुलिस के कुशासन को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर और प्रांतीय लेविल पर हम कोई ऐसी मशीनरी ईजाद करें, कोई ऐसी मशीनरी बनायें जो कि इस पुलिस के कुशासन को रोक सके ।

*श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय केशव गुप्त जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो बहुत से साथियों ने अपने संशोधन दिये जिनमें उन्होंने अपना खेद प्रकट किया चन्द बातों के सम्बन्ध में कि उन पर कोई प्रकाश महामान्य राज्यपाल ने नहीं डाला, उनको भी मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा और समझने की कोशिश की । मैं यह मानता हूं कि इस वर्ष जो सम्बोधन दिया गया वह शायद बहुत ही छोटा था और पिछले चार साल का जो हमारा अनुभव है उनमें तो मैं यह कह ही सकता हूं कि इतना छोटा सा सम्बोधन कभी नहीं दिया गया था । जैसा कि एक साथी ने कहा उसकी भाषा तो एक सूत्र की भाषा थी और फिर यदि किसी की समझ में वह न आये तो इसमें किसी का दोष ही क्या है । मैं समझता हूं कि सूत्र की भाषा भी अगर हो मगर वह थोड़ा विस्तार से हो तो वह आसानी से समझ में आ सकती है । जहां तक संशोधनों में जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया है कि इनके ऊपर प्रकाश नहीं डाला गया उनमें से यदि देखा जाय तो बहुत सी बातें तो इसलिये कही गयीं कि उन साथियों ने शायद उस सम्बोधन को पूरी तरह से पढ़ा नहीं । कुछ बातें इसलिये भी कही गयीं कि वह यह चाहते थे कि जो उनका दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को राज्यपाल महोदय रखते तो अधिक अच्छा होता । कुछ बातें इसलिये भी उनमें आयीं कि जिनकी बाबत यदि कुछ संकेत सम्बोधन में होता तो अधिक अच्छा था । जहां तक कि राज्यपाल महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के ऊपर संकेत किया, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कोई दो रायें नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमारे देश को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और उसका श्रेय हमारे माननीय पं० जवाहर लाल नेहरू के लिये है । यह भी ठीक है कि युद्ध का खतरा है और हमको उसमें अपनी एक कंस्ट्रक्टिव जो नीति रही है, वह चलानी है । हमारे सूबे ने भी तरक्की की, इसके ऊपर भी कोई ज्यादा भिन्नता मुझको दिखायी नहीं देती । जिन भाइयों ने कुछ बात कहीं, उनका अगर कोई मतभेद था तो एग्जिक्यूशन पर था । जो योजनायें बनायी गयीं उनके एग्जिक्यूशन में कुछ दोष रह गये । तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो ध्यान दिलाया उनके लिये कोई स्थान इस सम्बोधन में होना भी नहीं चाहिये था । मेरा अपना विचार है कि जो सम्बोधन होता है उसका जो खास अभिप्राय है, जो मंशा है वह यह है कि राज्यपाल महोदय एक जनरल आउट लाइन हमारी सरकार की जो नीति है, जो विशेष समस्यायें इस प्रदेश के सामने हैं उनके सम्बन्ध में क्या मोटी आम नीति है, उसके ऊपर थोड़ा सा संकेत करते हैं और पिछले साल के अन्दर जो काम होते हैं और भविष्य में जो योजनाएं उनकी बनें, कुछ उनका थोड़ा सा जिक्र होता है । उन्होंने भी कहा है कि मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहता ।

यह बात अपनी जगह सत्य है कि फूड के मामले में अगर हम देखें, इर्रिगेशन के मामले में, ट्यूबवेल्स के मामले में, या जो पशु धन है उसको देखें, बनों को देखें तो चारों तरफ यह बात मालूम होती है कि हमारे इस प्रदेश ने बहुत उन्नति की है । विद्युत् की जो बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं बिजली बनाने की, उनमें भी बहुत कुछ हम को सफलता प्राप्त हुयी है । एक बात मैं जरूर इस सिलसिले में चाहता था कि यदि थोड़ा संकेत इस तरफ भी होता कि हमारी जो बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें जो टाइम शेड्यूल है उसकी तरफ भी अगर ध्यान अधिक दिया जाय कि उन्हें टाइम शेड्यूल के अन्दर कम्पलीट कर दिया जाय तो बड़ी अच्छी बात होगी ।

इसके साथ साथ यह भी एक शिकायत की गयी कि अनइम्पलायमेंट जो हमारे देश के अन्दर बढ़ रहा है उसकी बाबत कोई बात नहीं कही गयी । मैं उस बात चीज को बढ़ाना नहीं चाहता। एक आध आदमी ने संकेत किया । राज्यपाल महोदय ने उस बेकारी की बाबत स्पष्ट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नवल किशोर]

तौर से कह दिया कि "हमारी सरकार की यह सुविचारित नीति है कि नये उद्योगों की स्थापना करने के लिये अधिक से अधिक प्रोत्साहन दे। इस सम्बन्ध में कई प्रस्तावों के ऊपर विचार हो रहा है और समय आने पर वे प्रस्ताव आपके सामने रखे जायेंगे। मुझे विश्वास है कि यह योजना न केवल वर्तमान उद्योगों को ही और सुदृढ़ बनावेगी वरन् नये उद्योगों के विकास को भी उत्तेजना देगी।

यह भी उन्होंने बताया कि एक स्टेट फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की भी स्थापना हमारे यहां हो चुकी है जिससे कि काटेज इंडस्ट्रीज और जो मीडियम साइज उद्योग धंधे हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। तो उससे जो एक समस्या अनएम्प्लायमेंट की है वह यदि बिलकुल नहीं तो कुछ अंश में दूर हो जायगी।

हरिजन भाइयों की तरफ से यह भी सवाल आया, वह ठीक भी था, मगर मैं यह बात नहीं समझ पाया कि कौन सी एक नयी नीति सरकार ने अभी बदली या बनायी जिसके ऊपर कि कोई आम तौर से रोशनी डालने की आवश्यकता थी। जहां तक हरिजन भाइयों का सम्बन्ध है खुद अभी एक साथी ने कहा कि सरकार ने १० परसेंट के बजाय १८ परसेंट के लिये सीट्स में सेफगार्ड किया है और जैसा कि अभी मुझसे पहले स्पीकर महोदय ने कहा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिन का सम्बन्ध हमारे कानूनों से इतना नहीं है जितना कि एक जनरल पब्लिक ओपीनियन क्रिएट करने की बात पैदा हो जाती है और इस सम्बन्ध में मुझे भी एक शिकायत है और वह यह है कि मैंने जो अबकी बार देखा, जो तहसीलों में हरिजन कानफ्रेंसेस हुयीं, कि हरिजन भाइयों में भी कुछ हरिजन तबके ऐसे हैं जिन में आपस में भी छुआछूत की विचारधारा चलती है और उस तरह भी, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वह भी हमारे साथ उनमें इस बात की कोशिश करें कि वह धारणायें खत्म हो जायं। इस सम्बन्ध में जो सब से बड़ी बात थी वह यह कि सामाजिक कल्याण विभाग की बात को स्पष्ट शब्दों में सम्बोधन में व्यक्त किया गया कि उस कार्य के लिये मंत्री की नियुक्ति हुयी है और एक नया डिपार्टमेंट खोला गया है और हमारे कांस्टीट्यूशन के अन्दर जो एक डायरेक्टिव क्लाज है कि हम हर एक व्यक्ति के लिये राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता और समानता चाहते हैं उसकी पूर्ति की गई। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है।

शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में इस प्वाइंट पर मतभेद हो सकता है कि हमारी शिक्षा की रूपरेखा ठीक है या नहीं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि हमारे प्रदेश में शिक्षा के कार्य में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। हमारे यहां बहुत से स्कूल कायम हुये हैं। यहां पर जो विश्वविद्यालय थे उनमें कुछ कमियां थीं उनके कानून में भी कुछ संशोधन किये गये हैं। इसके अतिरिक्त बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय और गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय खोलने की ओर संकेत है। वे भी हमारी स्टेट में बनने वाले हैं। इसके अलावा एक चीज का अवश्य ही हमें अभाव सा मालूम पड़ता है वह यह कि अभी हाल में कांग्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन अवाडी में हुआ था जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गये थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह था कि हमें अपने देश में सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी की स्थापना करना है। मैं आशा करता था कि उसकी कुछ झलक इस सम्बोधन में अवश्य मिलेगी लेकिन मुझे खेद है उसकी ओर कोई संकेत नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि अवाडी कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास हुआ है वह केवल प्रस्ताव ही नहीं है परन्तु वह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिये एक डायरेक्टिव है। वह पार्टी जिसके हाथ में आज शासन सत्ता है, वह कांग्रेस पार्टी आज इस प्वाइन्ट के ऊपर कमिटेड है कि वह समाजवाद के ढांचे की स्थापना करेगी।

इसके अलावा लैन्ड रिफार्म्स की बात भी कही गयी। उस कांग्रेस सेशन में यह भी हुआ था कि हमको कहीं न कहीं भूमि की सीमा को फिक्स कर देना चाहिये। मैं समझता हूं कि जबकि आज भूदान का एक आंदोलन हमारे देश में चल रहा है तो हमारी सरकार को भी भूमि के बारे में अपनी कुछ नीति निर्धारित करनी चाहिये।

एक यह भी शिकायत की गयी और जायज की गयी कि आजकल गल्ले का भाव दिन पर दिन घट रहा है और मोटे अनाज का जो भाव है वह गेहूं की तुलना में बहुत ही कम है। जबकि गेहूं १६-१८ रुपया मन बिक रहा है मटर और चना का भाव केवल ५-६ रुपया मन है। इसलिये इस समय ऐसी परिस्थिति आ गयी है कि हमारे किसान जो कि देश की बैक बोन हैं, उनकी हालत कमजोरी होती जा रही है। इसलिये उनका भी भाव फिक्स करने के लिये सरकार को कोई कदम उठाना चाहिये और महामान्य राज्यपाल को भी उसका कोई संकेत अपने संबोधन में अवश्य देना चाहिये था। भाव के घटने में हमें कोई आपत्ति न होगी। अगर और भी जो दूसरे कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी कीमत कम हो जाती है तो। लेकिन हम देखते हैं कि किसानों की चीजों की ही कीमत कम होती जा रही है। जबकि और चीजों की कीमत नहीं घट रही है।

इसके साथ ही साथ जैसा कि केशव जी ने स्वयं कहा और उससे मैं भी पूरी तरह से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि "वन मैन वन प्रोफेशन" यानी एक आदमी को एक व्यापार करने की आज्ञा होनी चाहिये। यह उनका बहुत ही अच्छा आईडिया है। मैं उसकी पूरे दिल से ताईद करता हूं।

श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत उठा-बैठी करने के बाद आपने समय दिया। इसके लिये धन्यवाद है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर है और हमेशा से दूसरे सूबों को खाद्य पदार्थ देता आया है और देता रहेगा। तो जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है सबसे ज्यादा आबादी किसानों की है और वह हमेशा अपनी गाढ़ी कमाई से दिन रात मेहनत करके चीजें पैदा करते हैं तो उनके सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने जिक्र नहीं किया है। उनकी कीमती चीजों का मूल्य हमेशा कम होता जा रहा है और इससे किसानों पर जो असर पड़ेगा उसे सरकार नहीं सोचती है। वह कहां से लगान देगा कहां से आबपाशी की बढ़ी हुयी दर को अदा करेगा और कैसे अपने घर का खर्चा चलायेगा। इस तरफ सरकार बिल्कुल खयाल नहीं करती है। इसी प्रकार हमारे राज्यपाल महोदय ने बतलाया कि हमारी सरकार ने सिंचाई के बहुत से साधन जुटा दिये हैं लेकिन सरकार ने इधर ध्यान नहीं दिया है कि आबपाशी की दर बहुत ज्यादा बढ़ी हुयी है इसलिये किसान पानी नहीं ले रहा है। वह उसको अदा नहीं कर पाता है। राज्यपाल महोदय ने यह तो बतला दिया कि सरकार ने इन इन चीजों में तरक्की की है। लेकिन बहुत सी बातों में जो सरकार ने तरक्की की है उस पर परदा डाल दिया है। जो सूबे में और तरक्की हुयी है उनमें से कुछ मैं सरकार के सामने रख रहा हूं।

सरकार ने खुद ही अपने आप "हरिजन कल्याण" में निकाला था कि इस सूबे में जितनी जातियां हैं उनको तीन श्रेणियों में बांट दिया है---(१) सुपीरियर क्लास, (२) बैकवर्ड क्लास और (३) हरिजन क्लास। एक तो इससे सरकार ने जातिपांत का भेदभाव पैदा कर दिया है। जो लोग आगे बढ़ने के लिये कोशिश करते हैं तो सरकार जातिपांत का नाम लेकर उनको तरक्की नहीं करने देती है और जब वह कोई आगे बढ़ने की बात कहते हैं तो वही मसला सुना देती है कि "उत्तम खेती मध्यम बान निषद चाकरी भीख निदान"। खेती करना सबसे अच्छा है। क्या बैकवर्ड और हरिजन ही खेती करते रहें। दूसरी कौमें क्यों नहीं करतीं? अगर नहीं करती हैं तो हरिजनों और बैकवर्डों को ही खेती करना क्यों उत्तम है? साढ़े छै हजार गजेटेड आफिसरों में से तीन हजार बैकवर्ड और हरिजन बना दिये जावें और जब तक उनका रेशियो उन कौमों के बराबर पूरा न हो जाय तब तक उनको इधर तरक्की न दें और अब जो करीब साढ़े तीन हजार गजटेड आफिसर्स बनेंगे उनके बच्चे पढ़ेंगे तो वह भी तरक्की कर जायेंगे। लेकिन सरकार हमें तो वही मसला सुना देती है। लेकिन अपने बच्चों को सरकारी नौकरियों में ही घसीटना चाहती है।

पिछले दिनों में पढ़ने लिखने के सम्बन्ध में आपने यह कहा है कि जो लड़के फर्स्ट क्लास निकलेंगे वह हाई एजूकेशन पा सकेंगे और थर्ड क्लास लड़के टेक्नीकल एजूकेशन में

[श्री हरिप्रसाद]

लगा दिये दिये जायेंगे। आज हरिजनों और बैकवर्डों का कोई भी आदमी किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल या हेड मास्टर नहीं है और यहां तक कि मास्टर भी नहीं है फिर उनको थर्ड क्लास मार्क्स मिलेंगे ही और उनको तरक्की नहीं करने देंगे और हमेशा उनको खेती में ही लगाते रहेंगे। सरकार को इधर भी ध्यान देना चाहिये।

दूसरे चोरी और डकैती की तरफ हमारे सूबे ने काफी प्रगति की है। ब्रिटिश हुकूमत में यह इतनी नहीं थीं, जितनी अब पैदा हो गयी हैं। रास्ते चलते माल लूट लेते हैं, कपड़ा उतार लेते हैं और औरतों के लंगोट तक लगवा देते हैं किसानों के मारपीट के बारे में जब भी मामला रखा जाता है तो मंत्री जी कह देते हैं कि हमें इसकी खबर नहीं है। इस तरह से पुलिस को बराबर बढ़ावा देते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि मारपीट, चोरी-डकैती वगैरा बढ़ती चली जाती है।

तीसरी प्रगति हमारे सूबे ने सिफारिशों में की है। जब कहीं नौकरी होती है तो चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो शिक्षा में क्वालीफाइड हो लेकिन वह नहीं लिया जाता है और सिफारिशी को ले लिया जाता है। जब सरकार से पूछा जाता है तो कह देती है कि सिफारिश से नहीं लिये जाते हैं। क्वालीफिकेशन्स नहीं होती हैं या फिर सूटेबिल कंडीडेट नहीं मिलते हैं। पता नहीं सूटेबिल कंडीडेट कैसे पैदा होते हैं। क्या क्वालीफिकेशन्स मानी जाती हैं क्या सूटेबिल कंडीडेट कभी हरिजनों में मिलता नहीं है? कौन सी क्वालीफिकेशन्स है जिससे वह सूटेबिल कंडीडेट बन सकें। रंग से बनेगा बहू बेटियों से बनेगा, या किस चीज से बनेगा?

रिश्वत का बाजार आजकल इतना बढ़ा हुआ है कि हमारे यहां, मैं अपने जिले की बात बतला रहा हूं, बरखेड़ा थाने में एक गांव में डकैती पड़ी। उस औरत ने बयान किया कि जब दारोगा जी सुबह गये तो कहने लगे कि तुम लोग रात में छत पर चढ़े चढ़े डाका डलाते रहे। गांव से बारह मील पर दो डाकू पकड़े गये जो कि पुलिस की वर्दियां पहने थे। जब कभी पुलिस की वर्दियां पहने हुए डाकू पकड़े जाते हैं तो पुलिस कह देती है कि डाकू नीलाम में पुलिस की वर्दियां ले आते हैं और उनको पहनकर डाका डालते हैं। लेकिन क्या सरकार ने कभी यह भी ख्याल किया है कि पुलिस की पेटियां तो नीलाम नहीं हुआ करतीं। तो फिर पुलिस की पेटियां डकैतियों में कहां से आ जाती हैं और जब वह आ जाती हैं तो सरकार उस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती? पुलिस कहती है कि किसानों के पास बहुत रुपया हो गया है और सरकार भी कहा करती है कि किसानों के पास दो रुपया मन गन्ने के भाव में इतना रुपया हो गया है कि छप्परों में रुपया रखते हैं, शीरे की जगह शक्कर खाने लगे हैं, जो के बजाय गेहूं खाने लगे हैं, पक्के मकान बन गये हैं। गांव वालों को भी तो पक्के मकान अच्छे लगते हैं, उन को भी तो पंखे की हवा अच्छी लगती है, उन्हें भी रबड़ी की मिठास अच्छी लगती है। लेकिन आये दिन लोग उनको लूटते हैं। किसान की चीजों के भाव गिरते जाते हैं। लेकिन दूसरी चीजें उसको उसी कीमत पर मिलती हैं। सरकार कहती है कि किसान दो सेर के भाव में बड़ा मालदार है लेकिन वह नहीं समझती कि कंट्रोल का जो दस रुपये का जोड़ा था वह ३४ रुपये में उसको मिला और जहां पहले पुलिस वाले दस रुपया ले कर काम कर दिया करते थे वहां अब दो सौ और पांच सौ रुपया मांगते हैं। सरकार खुद भी जानती है कि डेढ़ सौ रुपये का जो एक पुलिस का दरोगा है वह रोजाना फर्स्ट क्लास में चलता है, तांगे में एक रुपया देकर बैठता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता है, उसके घर में जैसा सामान होता है वैसा शायद मुख्य मंत्री जी के घर में भी न होगा। लेकिन ३४ रुपया पाने वाला सिपाही २४ घंटे काम करता है। अगर सिपाही की तनख्वाह बढ़ाने को कहते हैं तो जवाब दिया जाता है कि रुपया नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, लाल झंडी तो आपने बड़ी जल्दी दिखादी।

ब्रिटिश हुकूमत में रिश्वत में फलफूल की डालियां जाती थीं। लेकिन अब तो यहां तक रिश्वत बढ़ गयी कि बहू बेटियां पेश होने लगीं।

अधिष्ठाता---मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वह जो भाषा का प्रयोग करें वह पार्लियामेंटरी होनी चाहिये। जो आपने यह कहा कि वह बेटियों की रिश्वत देते हैं यह बिलकुल अनपार्लियामेंटरी है।

श्री हरिप्रसाद---अगर अनपार्लियामेंटरी है तो वापस लेता हूं। लेकिन बात सत्य थी और सत्य बात कही जाती है।

अधिष्ठाता---बहुत सी बातें सत्य भी हों तो ऐसी भाषा में कहनी चाहियें जो अनपार्लियामेंटरी न हो।

श्री हरिप्रसाद---जब आप साल भर में एक आध बार मौका देंगे तो जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। अगर चार छः बार आप मौका दें तो ठीक से बात भी कहूं। जब एक ही बार मौका मिलता है तो हम अपने ठीहे पर नहीं रहते। हमें जल्दी में होश नहीं रहता कि हमको क्या क्या कहना चाहिये। जितना होश रहता है उतनी बात ठीक तरह से कहता हूं।

अधिष्ठाता---अब आप का समय समाप्त हो गया।

*श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो इस सदन में माननीय राज्यपाल महोदय ने सम्बोधन किया और गुप्ता जी ने उसके लिये धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया उसके समर्थन में मैं यहां खड़ा हुआ हूं।

महामान्य राज्यपाल ने इकोनामिक और सोशल इमेंसिपेशन के बारे में जो सुझाव सरकार की पालिसी के यहां रखे वह बहुत सूक्ष्म रूप में और बहुत ही उचित रूप में और सरलतापूर्ण रखे गये थे। मैं उसके लिये उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उससे सरकार की पालिसी का पूरा प्रदर्शन हो जाता है। मगर फिर भी उसमें कई ऐसी चीजें रह गयी हैं जिनकी ओर माननीय राज्यपाल महोदय का ध्यान नहीं दिलाया गया है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने उनका जिकर किया है। मैं भी इस थोड़े से समय में उनका जिकर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जो मेरी नजर में आया वह यह है कि स्त्रियों की शिक्षा के बारे में माननीय राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कोई भी जिकर नहीं किया है। मैं इस विषय में पर बहुत कुछ कहना चाहता था। क्योंकि मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां पर नारी समाज का उत्थान करने की बहुत ही जरूरत है। आज उनकी बड़ी दयनीय हालत है। उनका सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार होना बहुत आवश्यक है। मैंने कई मर्तबा इस हाउस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। अपने वर्तमान मुख्य मंत्री की सेवा में भी इस विषय पर लिखकर मैंने दिया था और मैं आशा करता था कि इस पर कोई न कोई कार्यवाही की जायगी। परन्तु डेढ़ साल हो गया है। अभी तक उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है और न सरकार ने कोई कानून ही उसके लिये बनाने का विचार किया है। वहां पर इस प्रकार की कुप्रथा है कि उसका बन्द किया जाना जरूरी है। वहां पर कई प्रथायें, अभी तक इस प्रकार की प्रचलित हैं जैसे कन्याओं का बेचना, स्त्रियों को बेचना और पत्नी का बेचना। यह प्रथायें अभी तक वहां पर चली आती हैं। इसको बन्द करने के लिये कानून बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। क्योंकि अब हमारा देश आजाद हो गया है। आजाद मुल्क में इस प्रकार की कुप्रथा चलती रहे, यह हमारे लिये अच्छी बात नहीं मालूम होती है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र इस विषय पर सरकार अपना ध्यान दे और कोई ऐसा कानून बनाये जिससे यह जो हमारे यहां कुप्रथा चली आती है वह प्रथा शीघ्र से शीघ्र रोकी जा सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट]

इसके अलावा कई किस्म की और भी इकनामिक डिसेबिलिटी जो हमारे स्त्री समाज के बरताव में प्रदेश में होती है उसकी ओर सरकार का ध्यान कई मर्तबा आकर्षित करता रहा हूं। खासकर पर्वतीय प्रदेश की दशा तो और भी खराब है। अभी पी० डब्लू० डी० के मिनिस्टर साहब हमारे यहां गये थे और उन्होंने बागेश्वर के मेले को देखा था। हजारों की तादाद में औरतें वहां पर आयी थीं उन्होंने वहां पर एक भी औरत के पैर में जूता नहीं देखा होगा, पर्याप्त मात्रा में उनके अंग पर वस्त्र भी नहीं देखा होगा तो फिर उनके भोजन की हालत क्या होगी इसका तो अनुमान सहज ही में किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर सारा पर्वतीय ढांचा इस प्रकार का है कि जिसकी हालत बहुत गिरी हुयी है क्योंकि वहां की हालत गरीबी की वजह से दिन बदिन गिरती जाती है और बेरोजगारी का जो सवाल है वह बहुत ही जटिल हो रहा है। खासकर स्त्री समाज की हालत तो बहुत खराब है। वह बेचारी सवेरे ४ बजे से लेकर रात के १२ बजे तक कोल्हू की तरह से काम करती रहती है। उनको घास खोदना और मजदूरी करना पड़ता है बल्कि हर किस्म का काम उनको करना पड़ता है जिससे उनकी हालत बहुत दयनीय दशा में है। फिर भी उनमें सोशल डिसेबिलिटी है और उनको डिसेबिल कर दिया गया है। उनके लिये कोई साधन नहीं है जिससे वह अपनी रोजी कमा सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। अगर उनसे उनके पति नाराज हो गये तो फिर उनको ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ता है, या भीख मांगना पड़ता है या वेश्यावृत्ति अख्तियार करनी पड़ती है। यह एक बहुत ही अपमानजनक बात है। हमारे देश के नगरों में इस किस्म की प्रचलित कुप्रथाओं का सुधार न हो तो यह हमारे लिये एक शर्म की बात है और इस सदन को इस पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और कोई ऐसा हल सोचना चाहिये कि इस कुप्रथा का अन्त हो। नहीं तो भारत आजाद हो गया, और भारत माता की आजादी के लिये जो इतनी कुर्बानी की है, जो असली मातायें हैं, जो असली बहनें हैं जिनसे भावी नागरिक पैदा होंगे, यदि यह कुप्रथायें बनी रहीं और ऐसी हालत समाज की रही तो क्या भावी सन्तानें अच्छी हो सकती हैं और उनसे हमारे देश का उत्थान हो सकता है? संस्कृत में एक श्लोक है :—"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः।" तो मैं सरकार का ध्यान खास कर इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इस पर बड़ी गम्भीरता पूर्वक सोचे और जिस उदासीनता से अब तक इस मसले को लिया गया है उस तरह से भविष्य में उसकी अवहेलना न की जाय।

इसके अलावा दूसरी समस्या जो मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि सरकार अखबारों के जरिये यह खबर देती रहती है कि डेवलपमेंट का बड़ा बड़ा काम हो रहा है। यह सत्य है कि करोड़ों रुपयों में से अधिकांश धन डेवलपमेंट स्कीम में खर्च हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट के काम में कहां तक कामयाबी हुयी है इसको देखने की कोशिश सरकार नहीं करती है। सरकार का यह इमफेसिस होता है कि जहां एक रुपया खर्च हो तो सत्रह आने का काम लिया जाय और अगर सत्रह आने का काम न हो तो कम से कम पंद्रह आने का काम तो होना ही चाहिये। तभी हम सरकार को समझ सकते हैं कि वह इन चीजों में दिलचस्पी ले रही है। हमारे देश के जो टैक्सपेयर्स हैं वे बड़ी मुश्किल से अपना टैक्स दे पाते हैं लेकिन देखने की बात यह है कि जो टैक्स पेयर्स अपने खून पसीने को बहा कर इतना धन खजाने में जमा करते हैं वह धन किस रूप में खर्च होता है उसकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। हम देखते हैं कि लाखों रुपये बजट में रखे जाते हैं, बड़े बड़े डेवलपमेंट और रचनात्मक कार्य की स्कीमें चल रही हैं मगर वास्तव में कार्यरूप में चार आने का काम भी रुपये में नहीं होता है। यह देख कर दिल को बहुत दुख होता है। अगर कोई योजना बनायी जाय तो हमको चाहिये कि इस बात की कोशिश करें कि उसमें १६ आना खर्च हो, तभी हम अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। तभी हम अपने देश के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं और तभी हम अपने देश के भविष्य को बना सकते हैं। टैक्स पर टैक्स रोज बढ़ते जाते हैं और टैक्स का रुपया जमा करके बड़े-बड़े डेवलपमेंट की स्कीमें लांच की जाती हैं मगर उस रुपये में से काफी हिस्सा ठेकेदारों की जेबों में या घूसखोरी में चला जाता है और रुपये में चार आने का भी काम नहीं होता है। यह बड़े ही दुख की बात है।

तीसरी बात जो मैं सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं वह पर्वतीय प्रदेश के बारे में है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि पर्वतीय प्रदेश की हालत यह है कि वहां के लोगों की परचेजिंग कैपिसिटी दिन पर दिन गिरती जा रही है और वहां के लोगों के अन्दर बहुत बड़ा अनइम्प्लायमेंट है। तो सरकार को चाहिये कि वहां की स्थिति के ऊपर विशेष ध्यान दे और वहां के लोगों की आर्थिक हालत को सुधारे। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि वहां जमीनों की समस्या बड़ा भयंकर रूप धारण कर रही है, लोगों की आबादी बढ़ी जा रही है, लेकिन जमीन तो ऐसी चीज है नहीं जो बढ़ायी जा सके। तो सरकार को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे उस इलाके के लिये जमीन मुहय्या करके दी जा सके। यह बड़ी अच्छी बात है कि सरकार सबसीडी के तौर पर १०,१० रुपये मन तक भाड़ा देकर उस इलाके में बाजरा आदि भेज रही है मगर इस किस्म के चैरिटेबिल इंस्टीट्यूसंस को पाल कर हमेशा के लिये कोई कौम डिजेनरेटेड हो जाती है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह कोई ऐसी योजना बनावे जिससे पर्वतीय प्रदेश के लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उनको इम्प्लायमेंट का जरिया मिल सके, वे अपनी रोजी कमा सकें, और अपने जीवन को आजाद मुल्क के नागरिक की तरह से इज्जत के साथ व्यतीत कर सकें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, आप की अनुमति से महामना राज्यपाल के सम्बोधन पर धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करना चाहता हूं। कल जब मैं विरोधी दल के माननीय नेता का भाषण सुन रहा था तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि अभी हाल में ही, बहुत थोड़े दिन हुये कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने दल के पास जो एक गश्ती चिट्ठी भेजी थी जिसमें उन्होंने प्रजासमाजवादी दल की व्याख्या की थी सम्भव है कि वैसी ही व्याख्या उनके भाषण को सुनकर हर एक के दिमाग में आती हो। उसमें उन्होंने कहा है कि पेटी एक्स कांग्रेसमैन, "बुरजुआज, फ्रस्टेटेड पालिटिशियन्स, डिकेइंग ग्रूप" उप चुनाव में जब वह उनसे हाथ मिला लेते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद समाजवादी बदल गये हैं। जब वे ऐसे प्रमाण उपस्थित करते हैं तो जरा दुख होता है। यदि वह कोई रचनात्मक सुझाव देते तो हमें मान्य हो सकते थे। माननीय उपाध्याय जी ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि हर्ष है कि बहुत कुछ प्रगति हुयी है किन्तु उन्होंने साथ में यह भी कहा कि कांग्रेस समाजवादी दल की नकल करके अब समाजवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही है। मैं एक बार एक नाटक रास्टांड का पढ़ रहा था, उसमें एक पात्र मुर्ग था और उस मुर्ग को इसका भ्रम हो गया था कि यदि मैं सबेरे बांग न देता तो शायद सबेरा न होता और सूर्य न निकलता।

मैं निवेदन करूं कि जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है या सरकारी कर्मचारियों के कम वेतन के सम्बन्ध में है मैं समझता हूं कि इस देश में और इस प्रदेश में वैषम्य है और अन्य डेमोक्रेटिक मुल्कों की तुलना में वैषम्य है। लेकिन जब कोई कम्युनिस्ट इस बात को कहता है तो मुझे बहुत दुख होता है। कम्युनिस्टों के देश में, रूस में, मास्को में एक घरेलू नौकर का वेतन २५० रूबल है जो १९ रुपये के बराबर होता है और उसके मुकाबिले में वहीं पर एक मंत्री का वेतन २५,००० रूबल मासिक है। इसलिये जब वह हमारे यहां के खिलाफ आर्थिक वैषम्य की बात करते हैं तो यह बहुत अच्छा नहीं मालूम पड़ता। इसमें संदेह नहीं कि हमारे यहां अभी भ्रष्टाचार है, परन्तु बहुत कुछ दूर हुआ है, इसमें भी सन्देह नहीं हजारों आदमी जेल भेजे गये, काम से निकाले जा रहे हैं। हमें संतोष होना चाहिये कि हम इन तमाम बातों की ओर ध्यान देते हैं और सतर्क हैं। जब सभी लोग हमारे भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हमें दुःख होता है। हमारे यहां की न्याय प्रणाली के बारे में किसी को कुछ कहने का साहस नहीं है जबकि आज ही के अखबार में हमने पढ़ा कि रूस के सुप्रीम कोर्ट के ५ न्यायाधीश भ्रष्ट पाये गये। मैं आपको २१ जुलाई, सन् ५२ के पेकिंग के एक दैनिक अखबार की बात सुनाता हूं जिसमें उसने प्रकाशित किया था कि वहां के दो न्यायाधीश वांग और यंग थे और वे न्यायाधीश पद से इसलिये हटाये जा रहे हैं कि उन्होंने अपने ३ साल के शासन में पहले ने ४३ और दूसरे ने ३३ स्त्रियों के साथ

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

बलात्कार किया था। जो लोग हमारे शासन की तुलना कम्युनिस्टों के शासन से करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां ऐसा शासन नहीं है और यह समझकर हमें थोड़ा सन्तोष अवश्य होता है और हमें गर्व है कि हमने अपनी नयी डेमोक्रेसी में अपने ५-६ वर्ष के समय में प्रजातंत्र की परम्पराओं को कायम रखा है। इतनी बात सही है कि अभी वैषम्य है। आमदनी में है लेकिन यदि इस प्रकार की बातें करने के अलावा यदि प्रजा समाजवादी भाई इस प्रगति में सहयोग दें तो अच्छा हो बजाय इसके कि केवल वह इस प्रकार की बातें ही करते रहें। आज हमारे यहां नहरें बन रही हैं, किसान को सुख मालूम होता है, आज जब नहर में उसका खेत पड़ जाता है तो फी एकड़ पीछे ९ मन गेहूं और साढ़े १२ मन भूसा और वह भी १४ रुपए मन गेहूं के दाम उस को सरकार से मिलते हैं तो उसको पाकर किसान खुश होता है, लेकिन हमारे प्रजासमाजवादी भाई एक नया नारा लगाते हैं कि नहरें पाट दो, सिंचाई की नहरें पाट दो। वही समझें कि इससे किसान का लाभ होगा या नुकसान होगा, यह पूरे प्रकार से हमारी प्रगति में बाधा है। कल इस सदन में उपचुनाव के सम्बन्ध में हस्तक्षेप की बात की गयी थी। आपने कभी सुना नहीं होगा, कल्पना नहीं की होगी कि वह कितनी गन्दी बात है कि आज हमारे प्रजातंत्र में इतना गंदापन आ सकता है कि उपचुनाव के क्षेत्र में यह कहा जाय कि चुनाव के दिन रूस की पलटन आवेगी और पलटन आकर विरोधी का समर्थन करेगी और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे मित्र क्षेत्र में मामूली विरोधी वालन्टियरों ने यह कहा कि रूस की पलटन आवेगी और आकर इस क्षेत्र में खड़ी रहेगी और चुनाव में जो उनका समर्थन करेगा उसका साथ देगी।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—किस उप चुनाव में यह बात कही गयी ?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—महराजगंज के उपचुनाव के क्षेत्र में यह बात कही जा रही है। मैंने यह अपने कानों से सुना है और मुझे सुनकर दुख होता है कि आज कितना हम गिर गये कि उपचुनाव के सम्बन्ध में रूस और चीन की बात कर रहे हैं। यह बात सही है कि आज वैषम्य है। प्रजासमाजवादी दल भी जानता है और सोचता है और हम भी देश के प्रति आस्था रखते हैं और सोचते हैं और इस ओर हमको अवश्य ध्यान देना है और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी भी उस ओर ध्यान देंगे। चकबंदी के बारे में मुझे नहीं मालूम कि प्रजा समाजवादी दल की क्या राय है लेकिन मुझे दुख है कि यही समाजवादी दल के लोग यह कहते फिरते हैं कि यह सरकार कितनी निकम्मी है कि चकबंदी कर रही है और तुम्हारे खेतों के टुकड़े-टुकड़े कर रही है। कितना गंदा प्रचार किया जा रहा है। यह कहा जाता है कि सरकार कितनी निकम्मी है इसने मृत्यु कर लगा दिया है और हम तुममें से अब अगर कोई मरेगा तो उसके खेतों के इन्दराज कराने पर भी कर लगेगा। ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं। पता नहीं है कि इनके दिमागों में कहां तक सफाई है। जहां तक किसानों की आमदनी की बात है उनकी आमदनी १ हजार ७० करोड़ रुपये है और इसका बहुत ज्यादा अंश देहातों का भाग है और शहरी आमदनी का भाग केवल ४९१ करोड़ है। अगर आप रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को देखें तो मालूम होगा कि सरकार की पंचवर्षीय योजना की चाहे जितनी खींचातानी कर लें लेकिन हमारे समूचे देश में ३ करोड़ एकड़ भूमि में खेती होती है वहां सवा करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है जहां जंगल है। एक हजार पीछे ४०८ किसान भूमि रहित हैं और जहां इन ४०८ को भूमि देने का सवाल है तो वह सब सवाल तो केवल नारों की बुलन्दी से तो नहीं हल किये जा सकते। एक बात ध्यान देने योग्य है और माननीय मुख्य मंत्री जी भी उस पर ध्यान देंगे कि इस भूमिहीन की समस्या को हल करना है। एक बात और। शहरों में तो जाकर यह कहा जाता है कि चीजों का दाम घटाओ और देहातों में जाकर यह कहा जाता है कि यह सरकार तो निकम्मी है कि गल्ले का दाम गिराती ही चली जाती है। हमारे शहर के रहने वालों की आमदनी प्रति व्यक्ति पीछे ५५८ है, लेकिन देहात के रहने वालों की आमदनी १९१ रुपया फी कस है तो इन ५५८ और १९१ रुपये के बीच में जो वैषम्य है हम अपनी प्रगति को उससे स्पष्ट नहीं कर पाते हैं इस वैषम्य को दूर करने के लिये

हमने बहुत से उपाय किये हैं और किये जा सकते हैं। लेकिन पंचवर्षीय योजना ने जो प्रगति की है उससे आज बहुत सी जगहों में देहातों की हालत बदल गयी है। जो कुटीर उद्योग देहातों में चालू हो गये हैं उससे हालत बदल रही है। अर्थशास्त्री समझते हैं और जहां तक कि मैं रिपोर्टों को देखता हूं मैं कह सकता हूं कि केवल नारों को बुलन्द कर देने से बेकारी को दूर नहीं किया जा सकता है। अब समय समाप्त हो रहा है इसलिये केवल यही निवेदन है कि जो भी विरोधी हो वह सही होना चाहिये, विरोध अवश्य करना चाहिये लेकिन जो यहां का विरोध हो वही बाहर का हो, जो यहां कहा जाय, वही बाहर भी कहा जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय श्री राजनारायण जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रजातांत्रिक देश के इतिहास में वहां के मुख्याधिकारी द्वारा श्री राज्यपाल द्वारा दिया हुआ भाषण उसके इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा मानी जाती है। इस दृष्टिकोण से अगर हम परसों माननीय राज्यपाल द्वारा दिये हुए संबोधन को देखते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है मैं तो यह आसानी से कह सकता हूं कि अवाडी सेशन में सोशलिस्ट पेटर्न आफ सोसाइटी की घोषणा के बाद जो भाषण यहां दिया गया यह अत्यन्त ही नीरस और शुष्क भाषण माना जा सकता है और जैसा कि मेरी हमेशा शिकायत रही है, इस भाषण का आधार बिल्कुल खोखला है। जो प्रगति का चित्र इसमें दिखलाया गया है अगर यह वास्तविक होता तो अत्यन्त प्रसन्नता होती लेकिन जिन आंकड़ों के आधार पर और जिस विवेचना के आधार पर यह संबोधन बनाया गया है इससे केवल वर्तमान के लिए ही खतरा नहीं है बल्कि भविष्य के लिये भी खतरा है। मैं यह चाहता हूं कि आदरणीय सदन इस खतरे के प्रति सावधान रहे। आखिर इस संबोधन में इस बात का दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का पिछले तीन सालों में जितना अनुमानित व्यय था उसका ६० फीसदी खर्च किया गया, किन्तु श्रीमन् आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि मेरे पास फाइव ईयर प्लान की प्रोग्रेस रिपोर्ट के पृष्ठ १८ में उन्हीं तीन सालों के लिये उत्तर प्रदेश का ५१ प्रतिशत खर्चा बतलाया गया है यानी ९ फीसदी कम हो गया। इसके साथ ही साथ दावा यह किया गया कि हमने सिंचाई के मामले में अपने टार्गेट को पूरा कर लिया। उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि हमारा टार्गेट सन् १९५३-५४ में १२ लाख ३३ हजार एकड़ के लिये था लेकिन वह पूरा नहीं हो सका और केवल ७ लाख ४७ हजार एकड़ जमीन सींची। कहा यह जाता है कि हमने फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफीशियंसी हासिल कर ली। मैं तो किदवाई साहब की इस बात से सहमत हूं कि सेल्फ सफीशियंसी जितनी पहले थी उतनी आज भी है। केवल कंट्रोल हटने से यह सफीशेंसी हो गई। हमें तो ऐसा मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश भी जितना सरप्लस था उतना ही आज भी है। इसलिये यह प्रगति का आधार भी पूर्णतया विवादग्रस्त है। वी० टी० कृष्णमाचारी के शब्दों में जो प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन है किसी प्लान की कामयाबी इससे साबित होती है कि उससे नेशनल पर कैपिटा इनकम में कितनी वृद्धि हुई। राष्ट्रपति का भाषण हुआ। उन्होंने बतलाया कि भारतवर्ष में पर कैपिटा इनकम २६३ हो गई है। अब श्रीमन्, यू० पी० में देखिये कि पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी है। ८७ फीसदी जनता देहात में रहती है। लेटेस्ट बुलेटिन जो० यू० पी० गवर्नमेंट का निकला है अगस्त सन् १९५४-५५ का उसके आधार पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देहाती जनता की पर कैपिटा इनकम सन् १९५०-५१ में जब प्लान शुरू हुआ था उस समय २१२ रु० थी लेकिन अब जब कि प्लान को चार साल खत्म होते आ रहे हैं वह पर कैपिटा इनकम १९१ रु० हो गई है जिसको कि परिपूर्णानन्द जी ने खुद माना है। २१ रु० प्लान पीरियड में यह पर कैपिटा इनकम देहाती लोगों की घटी है जिसको स्वयं परिपूर्णानन्द जी ने माना है। शहरी लोगों की २०० रुपये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

पर कैपिटा इनकम अधिक बढ़ी है जो कि देहाती जनता के मुकाबले में कम होनी चाहिये थी लेकिन बजाय घटने के बढ़ी है।

बेकारी की समस्या को कहा जाता है कि हल हो रही है। बहुत खुशी की बात होती अगर ऐसा होता लेकिन इम्पलायमेंट एक्सचेंज के आंकड़े क्या कहते हैं। प्लान पीरियड के पहले, इस स्टेटिस्टिक्स बुलेटिन में लिखा हुआ है कि १ लाख ७४ हजार कैंडिडेट राजस्टर हुए ४८ में, जिनमें ६१ हजार आदमियों को जगहें दी गईं लेकिन इतनी कोशिश के बाद अब क्या हो रहा है? रजिस्ट्रेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ३ लाख ५३ हजार सन् ५३ में रजिस्टर हुए थे लेकिन जाब्स देने के जो आंकड़े हैं वे कम हो गये हैं। ४५,८२९ आदमियों को ही नौकरियां दी गईं जब कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जितनी भी भर्तियां हों वे एम्पलायमेंट एक्सचेंज के जरिये हों। आप जानते हैं कि सब डिपार्टमेंटों को हिदायतें दी गई हैं कि उसी को भर्ती करो जो इम्प्लायमेंट में रजिस्टर्ड हो।

आप इंडस्ट्रीज को भी देख लीजिये। उनकी हालत भी यह है कि स्पेंडिल्स और लूम्स जो वर्क कर रहे हैं उनकी संख्या भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। सन् १९५३ में कानपुर में १२ हजार ८४ लूम्स थे जो अब कुल १० हजार ५४ रह गये हैं। स्पेंडिल्स जिनकी तादाद पहले ६८२ थी अब कुल ५२७ है। शुगर प्रोडेक्शन के फीगर्स को अगर देखिये तो मालूम पड़ेगा कि चीनी पहले सन् ५१ में ८ लाख ३४ हजार टन पैदा हुई थी जो घटकर १९५४ में ५ लाख ६० हजार टन रह गई। जूट का प्रोडेक्शन जिसके बारे में वृद्धि की बात बहुत जोर से हो रही थी फाइव ईयर प्लैन पीरियड में घट गया। १९५०-५१ में जहां वह २ हजार टन था अब उसका प्रोडेक्शन कुल १ हजार टन हो गया है। वही हालत मजदूर वर्ग की है जैसा कि प्ले आफ और रिट्रेन्चमेंट के फीगर्स को देखने से मालूम होता है। अगर इसी तरह से एग्रीकल्चरल प्राइसेज और इंडस्ट्रियल प्राइसेज को देखा जाय तो मालूम होगा कि ज्यों ज्यों प्लैनिंग का काम हो रहा है, वह बढ़ रही है। आप सिंचाई रेट का मजाक उड़ा सकते हैं लेकिन मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी से कहूंगा कि वह इनके इन्डेक्स फीगर्स को देखें जो कि ७६.५ एग्रीकल्चरल प्राइसेज की और ९० इंडस्ट्रियल प्राइसेज की हैं और जो बाहर से इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनका परसेन्टेज १९४८ के मुकाबले में बढ़ गया और आज १०४.६ है। अब मैं कहां तक आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करके आपको परेशान करूं? मैं तो एक चित्र सरकारी आंकड़ों के आधार पर आपको देना चाहता था कि किस प्रकार जो माननीय राज्यपाल महोदय का सम्बोधन है वह वस्तुस्थिति से परे है और अगर ऐसे ही आंकड़ों के आधार पर या स्थिति के आधार पर हम भविष्य की कल्पना करते रहें तो फिर अबादी का स्वप्न बहुत दूर ही रहेगा।

जेल के प्रशासन की बहुत प्रशंसा की गई और कहा गया कि संसार के एक अग्रगण्य दंड शास्त्र विशेषज्ञ यहां आये थे और उन्होंने इसकी तारीफ की। मैं आपसे क्या कहूं? मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान एक कमेटी की रिपोर्ट की तरफ, जो सन् ४६ में बनी थी, दिलाना चाहता हूं। हालांकि आजकल कमेटी की बात करना बेकार सा है इसलिये कि उनकी रिपोर्टें केवल लाइब्रेरी में सजाकर रखने के काम ही आती हैं। लेकिन खैर, सन् १९४६ की कमेटी की सिफारिश में एक बात थी कि एक जो इन्सपेक्टर जनरल आफ प्रिजन है उसके हाथ में ही ३० हजार बन्दियों को रख देना उचित नहीं है। इस कमेटी के सदस्य हमारे माननीय कमलापति त्रिपाठी भी थे और उसकी रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि प्रिजन ऐडमिनिस्ट्रेशन में सुधार होना चाहिये। यह स्वयं सरकार की बनाई हुई कमेटी थी जो कि आज तक अनइम्प्लीमेंटेड पड़ी हुई है। आज जेलों की जो हालत है और वहां बन्दियों और

हवालातियों के साथ जैसा व्यवहार होता है उसे आप जानते ही हैं और इस कमेटी की रिपोर्ट में भी है लेकिन उसके बावजूद भी प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की यहां जो चर्चा हुई, उसे आपने सुना।

इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया कि भविष्य के लिये क्या होगा? अगर भविष्य के लिये यह सोचा जाय कि एक शोसल वेलफेयर मिनिस्ट्री बना देने से ही सोशल वेलफेयर का काम पूरा हो जायगा तो मैं समझता हूं कि वह होने वाला नहीं है। आपके सामने इसका नमूना प्लानिंग मिनिस्ट्री का है। आप यह कह सकते हैं कि यह मिनिस्ट्री बना देने से हम सोशल वेलफेयर को इम्फैसाइज कर देंगे लेकिन एक मिनिस्ट्री बना देने से या डाइरेक्टरेट सोशल वेलफेयर बना देने से या सर्वे कर लेने से सोशल वेलफेयर का मतलब वह पूरा नहीं हो सकता। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी देखेंगे तो सोशल सर्वेज पहले से हो चुके हैं इसमें नयी कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं। बल्कि मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा कि हम एक नया सर्वे करायें कमेटी के जरिये। पुरानी सर्वे ही हमारे काम में आ सकती है। दरअसल सोशल वेलफेयर का काम तो प्लानिंग का ही काम था और शायद कहीं भी किसी स्टेट में बनी भी नहीं। तो मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता कि इस प्रकार मिनिस्ट्री बना देने से कोई काम होने वाला है। आवश्यकता इस बात की है कि हमने सदन में जो प्रस्ताव उपस्थित किया था कि हम इस देश में पूंजीवाद को आमूल समाप्त करेंगे, पूंजीवाद चाहे कारखाने में हो, चाहे बड़े जमींदारों में हो, इसको तो मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं तो यह कहूंगा कि श्रीमन्, कल से लेकर आज तक जो भाषण हुए हैं यहां वे सब हमारे संशोधन के समर्थन में ही हुए हैं।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय केशव गुप्त जी ने जो महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। चूंकि हमारी सरकार ने अपने प्रान्त में जो भी कुछ काम किये हैं उनको हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जगह जिस बुद्धि और विचार से देखता है उसी तरह की वह अपनी बातें रखता है। अगर कोई विकास की दृष्टि से देखता है तो उसके सामने विकास की बात आती है और बुद्धि हीनता से देखता है, अगर उसकी विकासता देखने के लिये चलता है तो उसको वैसा ही दिखाई देता है। यों तो अगर आप देखें तो हमारी सरकार ने प्रान्त के कोने कोने में जहां हम कह रहे थे कि अन्न की कमी है, पानी की कमी है, दवा की कमी है उन जगहों में कोई ऐसी बात नहीं है कि आज वह समस्या पूरी नहीं की जा रही है या पूरी नहीं हुई। सरकार के पास कोई जादू का डंडा तो है नहीं जिससे सारी समस्याएं एक दिन के अन्दर हल हो जायं। यह भी सोच लें कि ब्रिटेन ने ४३ वर्षों के अन्दर दुगनी आय को बढ़ाया है और अमरीका ने ४४ वर्षों के अन्दर सवा दो गुनी बढ़ायी है। जापान ने ३४ वर्षों के अन्दर अपनी आय को दुगुना किया है। हिन्दुस्तान जो सातवां वर्ष पूरा कर चुका है और हमारा प्रान्त किस प्रगति के पथ पर चल रहा है इसको भी देखने की जरूरत है। कितने स्कूल खुले। कितनी पूंजी आपके पास है उसको भी आपको देखना है। जब कि हिन्दुस्तान में सारी चीजें होने के बावजूद भी यहां बनती नहीं थीं और बाहर बनती थीं बनी हुई चीजें ले करके कितना मुनाफा उठा सकते थे इसको भी हमें देखना था।

लेकिन साथ ही मुझे सरकार का ध्यान एक चीज की ओर दिलाना है। अभी आपने सुना होगा मेरे एक साथी ने कहा है कि मेरे पूर्वी जिलों में जहां पर गुबरी इस्तेमाल करते हैं जिसको जानवर खा करके पाखाना करके छोड़ देते हैं उसमें से अन्न निकालकर पूर्वी जिले के लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं भी इसको कहने के लिये उपस्थित हुआ हूं। पूर्वी जिले के लोग जिनकी हालत

[श्री धनुषधारी पान्डेय]

चिन्ताजनक हो रही है इसमें मिर्जापुर है झांसी है, टेहरी-गढ़वाल के लोगों की भी हालत चिन्ताजनक है। लेकिन जब यह प्रश्न उठता है तो जिन मेरे साथियों ने इन शब्दों को सुनाया है कि वहां की हालत बड़ी चिन्ताजनक है मुझे कहना है कि उसके विकास की तरफ ध्यान दें सरकार को ध्यान देना चाहिये कि लोग वहां क्या करेंगे। पिछले दिनों हमें मुकाबला करना पड़ा हमें सहन करना पड़ा और सुनना पड़ा कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों की समस्या को ला करके खड़ा कर दिया गया। लेकिन जिस नीति और न्याय को ले करके हम और आप यहां कंधे से कंधा मिलाये बैठे हैं तो सचमुच जो हमारे प्रान्त के अन्दर पिछड़े हुए जिले हैं उनकी दशा को सुधारने के लिये उनके विकास की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये। मैं आपका ध्यान उन जिलों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिन जिलों में अभी तक आपने लोककल्याण की तरफ एक इंच भी काम नहीं किया है। क्या वह जिले आपके यहां के नहीं हैं जहां पचास-पचास नदियां बहती हैं जहां लोग बाढ़ से तबाह हैं नाना प्रकार की कैलेमिटीज से तबाह हैं और जहां नाना प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं? लेकिन जब हम उन जिलों की समस्याओं को आपके सामने रखते हैं तो उन्हें उसी तरह से तौला जाता है जिस तरह से पचास साल पहले तौला जाता था। अगर सरकार चाहती भी है तो आप बीच में रोड़ा अटकाने के लिये प्रयत्न करते हैं। फिर आप एक तरफ पिच भी करते हैं और दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि हमारे दिल में दर्द है हम चाहते हैं कि उनकी हालत सुधरे। आप यह भी कहते हैं कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सरकार अगर कुछ करना भी चाहती है तो आप उसमें रोड़ा अटकाते हैं। सात साल के अन्दर सरकार ने जो नहरें बनवायी हैं ट्यूबवेल लगवाये हैं उनमें भी आप रोड़ा अटकाते हैं आप कहते हैं कि हम दिल्ली सरकार में मिलने जा रहे हैं। इसको जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आपके दिल में दर्द भी है और आप इस तरह से दिल्ली में मिलने की बात भी करते हैं। इसको जब मैं सोचता हूं तो समझ नहीं पाता हूं कि किस तरह आपसे कहूं किस तरह न कहूं। मैं सरकार का ध्यान फिर पिछड़े जिलों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर आपके दिलों में इन पिछड़े हुए जिलों के रहने वालों के लिए दर्द है तो आप इधर ध्यान दें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि शहरों के मुकाबले में देहाती क्षेत्रों में सचमुच कुछ नहीं किया जा रहा है। कितने अस्पताल शहरों में खुले, कितने स्कूल शहरों में खुले लेकिन देहातों के लिए क्या है? अगर कहीं पर स्कूल खुला तो उसमें जो लड़के पढ़ते हैं उनकी नौकरी का कहीं प्रबन्ध नहीं हो सकता है क्योंकि वह कोई इंडस्ट्री से सम्बन्धित स्कूल नहीं है। उनको आर्ट में शिक्षा मिलती है और आर्ट में शिक्षा पाने वाला बेकार घूमेगा क्योंकि उससे वह कोई काम नहीं पा सकता। शहरों के अन्दर जहां भी आप देखें लखनऊ में देख लीजिये, कानपुर में देख लीजिए, रुड़की में देख लीजिए या बनारस में देख लीजिए, सभी जगह ऐसे स्कूल मिलेंगे जहां किसी न किसी इंडस्ट्री की शिक्षा दी जाती हो। लेकिन देहातों में आपको एक भी स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा और खासकर पूर्वी जिले जो हैं वहां कहीं भी ऐसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है जिसके सहारे कि वहां पर जो भुखमरी आदि फैलती है, उसको रोका जा सके। अगर इन जिलों से भुखमरी को दूर करना है बेकारी को दूर करना है तो सरकार इधर भी ध्यान दे जिससे कि हमारा संकट दूर हो और जो नानाप्रकार की समस्यायें हैं वह दूर हों।

स्वास्थ्य के बारे में मुझे इस सरकार का ध्यान दिलाना है। इसमें भी जो प्रयत्न सरकार ने किये हैं वह शहरी क्षेत्रों में ही किये हैं। देहाती क्षेत्रों में कुछ भी नहीं किया है। २०, २० मील तक कोई अस्पताल नहीं और वह क्षेत्र नदियों से चारों तरफ

से घिरे हुए हैं। अगर कोई बीमारी हो जाती है तो मरीज को वह कहीं ले नहीं जा सकते। छः छः महीने तक उनका सम्बन्ध जिले से टूटा रहता है। ऐसी दशा में मेरा विश्वास है कि सरकार उस तरफ भी ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ मैं श्री केशवगुप्त जी के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय केशव गुप्त जी ने सदन के समक्ष उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। जहां तक सम्बोधन का सम्बन्ध है उसमें महामान्य राज्यपाल महोदय ने हमारी सरकार के कार्य को दर्शाया है। जो कार्य हमारी सरकार ने जनता के हित के लिए किये हैं उनको भली भांति भिन्न-भिन्न तरीकों से, भिन्न-भिन्न ढंग से आप लोगों के सामने रखा है और जो कार्य हमारी सरकार करने जा रही है उनको भी हमने अगले कार्यक्रम में आपको बतलाया है। मैं आपको यह बता देना उचित समझता हूं कि जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है उन्होंने सबसे पहले प्रदेश की जो खाद्य समस्या है उसको अधिक से अधिक सफल बनाने में पूर्ण प्रयत्न किया है। जहां तक किसान की खेती का सम्बन्ध है, सिंचाई में काफी उन्नति की गयी है। इसका आप चाहे जितना विरोधी होते हुए विरोध करें, लेकिन हमारे प्रान्त की समस्त जनता भली भांति जानती है कि जब से हमारा यह शासन प्रान्त या देश में हुआ उसमें हमारी जनता के हित के लिए अवश्य हमारी सरकार ने उन्नति की है और जनता को उसके द्वारा लाभ पहुंचा है। यह मैं मानने के लिए तैयार हूं कि उतना लाभ न पहुंचा हो जितना हम सोचते हैं या सोचा करते थे। वह तो एक स्वाभाविक बात है कि ज्यों-ज्यों आदमी को भोजन मिलता है, पहले वह यह सोचता है कि कुछ भी मिले मुझे बुरा भला चूंकि मैं भूखा हूं, वह मुझे मिले। लेकिन जब उसे भोजन मिल जाता है तो पहले वह चाहता है कि मुझे चना मिले, फिर गेहूं मिले और फिर हलवा पूरी की बात सोचता है। इसी प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति सोचता है। तो आज आप लोगों की इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं और सरकार भी उतनी जल्दी आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती जा रही है कि आप लोगों को विरोध करने का कोई मौका न दे ताकि आप लोग जनता में जाकर यह न कह सकें कि सरकार यह नहीं कर रही है। आप जितनी बातें जनता में जाकर सरकार के विरोध में, सरकार के प्रति कहते हैं उतनी बातें सरकार आपसे पहले कर देती है। हमारे इस देश के नेता बड़े चतुर हैं, इसे आप ही नहीं विश्व जानता है, वह विश्व विख्यात हैं। सारी जनता जानती है कि हमारे नेताओं ने समय-समय पर जैसी भी देश की परिस्थिति देखी है वैसा परिवर्तन किया है और करते रहे हैं और करते जा रहे हैं।

बेकारी का सवाल यह है कि देश का हर एक निवासी चाहे वह सरकार में हो या सरकार से अलग हो वह चाहता है कि हमारे प्रान्त में ही नहीं बल्कि हमारे देश में बेकारी न रहे। सरकार भी यही चाहती है लेकिन उसका विरोध करने के लिये सब के सब लोग तैयार हैं। परन्तु वह यह नहीं बतलाते कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा बेकारी दूर हो। जहां तक हमारी समझ का सम्बन्ध है, मेरी व्यक्तिगत सम्मति है कि मैं आपसे भी और अपनी सरकार से भी यह निवेदन करूंगा कि यहां के उद्योग धंधे तभी पनप सकते हैं जब बड़ी-बड़ी मिलों के द्वारा जो सामान उत्पादन किया जाता है उसका वितरण विदेशों में हो और हमारे देश में एक भी मशीन की बनायी हुई चीज न बिके, बल्कि हमारे यहां जो प्रतिदिन के काम में आने वाली चीजें हैं वह हमारे देश की बनी हुई चीजें ही बाजारों में मिलें, ताकि अधिक से अधिक हमको रोजगार मिल सके और उत्पादन अधिक हो। मसलन कपड़े का प्रश्न है, कपड़े की मिलें हैं उनका सब सामान

[श्री हरिसिंह]

विदेशों में जाने दीजिये ताकि हमारे देश में धन आये और हमारा देश धनाढ्य हो। हम खादी बनायेंगे और उसमें अधिक से अधिक लोग रोजगार में लगेंगे और हमारे देश को लाभ होगा। मैं माननीय विरोधी सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने खादी में कितना काम किया है? सब से ज्यादा उनके लोग ही खादी के काम में लगे हुये हैं। उसमें तीन आने रुपया जब गवर्नमेंट देती है उस पर बढ़ा देते हैं फिर भी इतनी महंगी पड़ती है कि किसान खादी न पहनकर मिल का कपड़ा पहनने के लिये मजबूर हो जाता है और वह खादी इतनी महंगी होती है कि वह नहीं पहन सकता है।

मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे कर्तव्य की पूर्ति तभी हो सकती है यदि हम अपने देश की बनी हुई चीजों को ही बरतें और उनका उचित प्रयोग करें और मशीनों की बनी हुई चीजों का प्रयोग न करें। मुझे दुख हुआ कि अभी एक लेनोटाईप मशीन ८५ हजार रुपये में लाई गई है जो छपाई का काम करती है और इससे हजारों आदमियों की रोजी खत्म हो जाती है क्योंकि यही कम्पोजिंग का काम करती है। टाईपिंग का काम करती है और छापे का काम भी करती है। मैं यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की मशीनों को बिल्कुल हटा दिया जाय और ज्यादा से ज्यादा लोगों के जरिये काम कराया जाय।

जहां तक कागज का सम्बन्ध है हमारी सरकार ने सन् १९३७ ई० में एक योजना बनाई थी कि हम हाथ का बना कागज ही प्रयोग में लायेंगे। जिस रोजगार में हमारे लाखों आदमी लग सकते हैं और उनको रोजी मिल सकती है लेकिन उसकी जगह आज सब जगह मिल का बना हुआ कागज ही प्रयोग में लाया जाता है। यदि हम ऐसी योजनायें बनायें और उन पर अमल करें तो हमारे यहां से बेकारी बहुत जल्दी दूर हो सकती है। यदि हम मशीनों की बनी चीजों का प्रयोग ही बन्द कर दें तो न केवल हम अपने प्रदेश की बल्कि सारे देश की बेकारी को दूर कर सकते हैं।

जहां तक गांवों की बेकारी का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आपने ट्रैक्टर लगाकर करोड़ों आदमियों को बेकार कर दिया है। जिस काश्तकार के यहां चार-चार हल लगते थे आज उनके यहां ट्रैक्टर की वजह से एक हल भी नहीं चलता है और हल चलाने वाले बिचारे मारे-मारे फिरते हैं। इसलिये मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप समस्या का हल बताने की कृपा करें ताकि हम और हमारी सरकार उस पर विचार करे और इस बेकारी की समस्या को हल कर सकें।

जहां तक मजदूरों की समस्या का प्रश्न है, मजदूरों में हरिजन वर्ग ही नहीं आता बल्कि ब्राह्मण, क्षत्री, शूद्र और वैश्य आदि सभी आ जाते हैं जो कि खेतिहर मजदूर हैं मैं उनके बारे में कहता हूं। उनकी समस्या बड़ी विकट है। उसको आज नहीं तो कल हमें हल करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं देखता हूं कि सम्बोधन में मजदूरों का प्रश्न था ही नहीं। हरिजनों का तो नाम निशान ही मिटा दिया गया है। उसमें हरिजन समस्या की कोई बात ही नहीं रखी गयी है मानों इस प्रान्त में हरिजनों की कोई समस्या ही नहीं है।

अभी एक बात मेरे साथी माननीय कृष्णचन्द्र जी शर्मा ने कही कि किन्हीं जाटव की लड़की की शादी वाल्मीकि के लड़के के साथ कर दी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि महाराज यह तो आपकी शिक्षा का ही फल है। यह जो बीज आपने बोया है यह उसी शिक्षा का फल है। आपने ऊपर से नीचे तक ऐसा बीज बो दिया है कि चाहे कितनी ही पार्टी के द्वारा प्रचार किया जाय लेकिन भाई-भाई नहीं मिल सकते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि कितने ब्राह्मणों ने अपनी लड़कियां वैश्यों को ब्याह दीं, ठाकुरों ने खत्रियों को ब्याह दीं या किसी और कौम को ब्याह दी हों? यह तो जाटव ही कौम है जिसने

अपनी लड़की प्रोफेसर जसवन्त सिंह बाल्मीकि जी को ब्याह दी। एक नहीं ऐसे २५ उदाहरण मौजूद हैं जहां जाटवों ने बाल्मीकियों को अपनी लड़की ब्याह दी है।

श्री देवदत्त मिश्र---श्री राजगोपालाचारी जी ने अपनी लड़की की शादी देवदास गांधी के साथ की थी। ऐसे और भी उदाहरण हैं।

श्री हरिसिंह---यह उदाहरण नहीं है। क्या किसी बाल्मीकि को भी ब्याही है?

अधिष्ठाता---मैं श्री हरिसिंह जी से कहूंगा कि वह एक दूसरे से बात न करें बल्कि अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरिसिंह---यह मैं कहना चाहता हूं कि यह उदाहरण नहीं है। पूज्य बापू जी ने एक बाल्मीकि लड़की को अपने पास रख कर उसकी शादी हरिजन से कर दी थी और उसको अपना दामाद बना दिया था। यह कोई उदाहरण नहीं है। मैं आज सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि मैं अपनी बहिन बेटी की शादी करने के लिये तैयार हूं यदि आप अपनी बहिन बेटियों की शादी छोटे वर्ग के हरिजनों में करने को तैयार हो जाइये। आप अपने भाव बदलने के लिये तैयार हो जाइये।

कुछ सदस्य---आज आपने अपनी बात कही।

श्री हरिसिंह---जहां तक हरिजनों की समस्या का प्रश्न है, हमारी सरकार ने उसके लिये काफी प्रयत्न किया है कि उनका उत्थान हो। लेकिन जितना हम चाहते हैं उतना काम नहीं हुआ है।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े ध्यान से सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों के भाषणों को सुन रहा था। हमारे राज्य ने जिन परिस्थितियों में आज जो प्रगति की है वह उल्लेखनीय कही जा सकती है। यह बात सही है कि हमें बहुत से काम करने हैं और किये जा रहे हैं और किये जायेंगे। किन्तु जिस उद्देश्य को रख कर जिस प्रकार जिस ढंग से आलोचना की गयी है वह तो ऐसी आलोचना है कि अगर एक कोट्यधीश के घर में जायें जो कि सब प्रकार से साधन सम्पन्न है, वहां पर भी अगर आप चाहें तो कमियां और त्रुटियां निकाल सकते हैं तो हमारा देश जैसा गरीब है उसमें त्रुटियां और कमियां निकालना कोई ऐसी बात नहीं जो आश्चर्यजनक हो। आज विरोधी दल या हमारे ही दल के राजनीति के आलोचक बन्धुओं को वस्तु स्थिति को सामने रखकर आलोचना करनी चाहिये। हम मानते हैं और राज्यपाल के भाषण में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि अभी बहुत कुछ राज्य को सर्वांगीण उन्नति की दशा में अग्रसर करने का कार्य बाकी है।

मैं एक चीज के संबंध में जैसा कि अभी हमारे मित्र आदरणीय हरिप्रसाद जी ने जिक्र किया, जिस प्रश्न में बहू बेटियों का जिक्र किया गया और हमारी नैतिकता का निदर्शन किया, उस चर्चा को सुन कर हम लोगों में किसी भी व्यक्ति का जिसके अन्दर मनुष्यत्व है, पुरुषत्व है, लज्जा से मस्तक अवनत हो जाना चाहिये। उसी प्रश्न को जिस हर्ष के साथ पार्श्व में बैठे हुये सदस्यों ने एन्ज्वाय किया आज हमारी नैतिकता को चुनौती देता है। इस प्रकार की स्थिति का जिसे ज्ञान हो उसके पुरुषत्व ने, उसके मनुष्यत्व ने उसको चैलेंज नहीं किया कि उस नरकंकाल के रूप में अधिकारी को खींच करके सरकार के सामने लाते और उसको भी पुरस्कार देते। परन्तु आजकल का फेशन हो गया है कि हम अगर किसी की आलोचना करते हैं तो उसके संबंध में कुछ वास्तविक कुछ फिक्टीशश (काल्पनिक) कह जाते हैं। इस प्रकार की बातें कहने से ही हम अपने पक्ष का समर्थन कर सकते हैं। जिस प्रश्न का उल्लेख हमारे आदरणीय मित्र ने किया अगर वह सही है तो मैं यह कहूंगा के उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया जहां पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवदत्त मिश्र]

माननीय नारायण दत्त जी ने अवादी कांग्रेस का उल्लेख किया हमारे भाई नवल-किशोर जी ने भी उल्लेख किया कि हमारे राज्यपाल के संबोधन में सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। शायद उन्होंने ध्यान से या तो भाषण को पढ़ा नहीं या तो उस पर ठीक-ठीक विचार नहीं किया। राज्यपाल महोदय ने मेरे पास अंग्रेजी की प्रति है----कहा है--

"This is an essential step forward in the attainment of the basic principle of the Constitution, *viz.* the creation of a Welfare State designed to secure and protect "a social order in which justice-social, economic and political-shall inform all the institutions of the national life".

अधिष्ठाता---आप इसका अनुवाद भी कर दें।

श्री देवदत्त मिश्र---हमारे राज्य पाल महोदय ने यह कहा है कि विधान में जिन मौलिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों की सिद्धि के लिये यह कदम आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है। सिद्धांत यह है कि कल्याणकारी शासन ऐसा बनाया जाय कि जिसमें उसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था कायम हो जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय से राष्ट्रीय जीवन की सब संस्थाओं को ओतप्रोत कर दे।

पार्लियामेंट में और कांग्रेस में इस संबंध में प्रस्ताव पेश करते हुये प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम यह कोई ऐसी नयी बात नहीं करने जा रहे हैं। यह तो हमारे संविधान के आरम्भ में ही इस प्रकार का लक्ष्य लिखा हुआ है कि इस प्रकार से करेंगे किन्तु उसको स्पष्ट करने के लिये उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का सोशल पैटर्न सिस्टम अपने यहां चाहते हैं। यह सब संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप ही है। हम जब यह कहते हैं कि हम उस दशा को जिसका उल्लेख इस प्रस्ताव के संबंध में किया गया है उसका प्रतिपादन करेंगे। यह चीज स्पष्ट है।

(इस समय ३ बजकर ४८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

एक बात मैं जरूर कहूंगा और इसकी ओर अपने आदरणीय मुख्य मंत्री का भी ध्यान आकर्षित करूंगा और वह यह है कि आज राज्य सरकार का ध्यान शहरों से हटकर देहातों की तरफ ज्यादा जाना चाहिये। जैसा कि अभी माननीय परिपूर्णानन्द जी ने आंकड़ों से सिद्ध किया है और जिसका समर्थन माननीय नारायण दत्त जी ने किया है उससे यह मालूम हो रहा है कि शहरों की आमदनी जो है वह बढ़ रही है और देहातों की आमदनी घट रही है। इसको देखते हुये यह आवश्यक है कि हमारे राज्य में जो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कारपोरेशन स्थापित हुआ है इसकी जो पूंजी है वह पूंजी शहरों के उद्योग-धंधों में लगाने की अपेक्षा देहात के उद्योग-धंधों को बढ़ाने में लगाई जाय। कम से कम उसका एक रेशियो निश्चित हो जाना चाहिये कि इस कारपोरेशन की जितनी पूंजी है उसका ६० फीसदी या ८० फीसदी रुपया देहातों के उद्योग-धंधों को उन्नत करने में खर्च किया जाय और बाकी शहरों के लिये खर्च किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज शहरों के उद्योग-धंधों को समुन्नत करने के लिये शहरों के कैपिलिस्टों के पास काफी पूंजी है और उनके पास काफी सरप्लस बचत है। उनको प्राइवेट रूप से जो सुविधा दी गयी है या दी जाने वाली है उनको देखते हुये इस बात की कोशिश की जानी चाहिये कि शहरों के उद्योग-धंधों को समुन्नत करने के लिये शहरों के जो बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट हैं उनकी पूंजी ही उस तरफ लगायी जाय और दूसरी तरफ राज्य की तरफ से देहात के उद्योग-धंधों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसको हमारे आदरणीय मित्र श्री केशवगुप्त जी ने उपस्थित किया है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू (जिला इलाहाबाद)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजनारायण जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं दो दिन से महामहिम राज्यपाल जी के व्याख्यान पर जो संशोधन हुये उनको सुन रहा था। जहां तक महामहिम राज्यपाल जी के भाषण का संबंध है उसमें जो यह कहा गया है है कि जो योजनायें कार्यान्वित हो चुकी हैं और जो होने को हैं और जो उन्होंने रखी हैं और उन पर जो संशोधन आये हैं उनको देखते हुये यह सिद्ध होता है कि इन योजनाओं को कार्यरूप में लाना या सही तरीके पर चलाना सरकार का कार्य है। और जिस प्रकार से जो योजनाएं चल रही हैं उनको भी माननीय अध्यक्ष महोदय जनता देख रही है और जो काम हो रहा है उसको भी। अध्यक्ष महोदय मुझे आपके सामने एक आध बातें और रखना है।

पांच कन्टोन्मेन्ट टाउन्स में म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं हो रहा है। उनमें इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को भी सरकार ने आर्डिनेंस द्वारा ले लिया था। और यही विश्वास दिलाया था कि उसमें शीघ्र ही चुनाव करा दिये जायेंगे लेकिन आज तक उसकी कोई चर्चा नहीं की गयी यद्यपि कई बार उस बारे में पूछा गया और प्रश्नों के द्वारा भी पूछा गया परन्तु कोई उत्तर सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि मैं इलाहाबाद बोर्ड का सदस्य रहा हूं और उसी बोर्ड के सदस्य माननीय जवाहर लाल जी तथा श्रद्धेय टंडन जी जैसे व्यक्ति रह चुके हैं लेकिन उसको बोर्ड को भी इस सरकार ने यह विश्वास दिला कर कि इसको कारपोरेशन बनाया जा रहा है, ले लिया। लेकिन इतने दिनों के बाद भी वहां बोर्ड में अभी तक कोई चुनाव नहीं किया गया है तथा ऐडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया गया है जिसको २ हजार रुपया महीना जनता के पैसे में से दिया जाता है। अब जनता चाहती है कि वहां जनता का राज्य हो, बोर्ड का चुनाव हो और उसमें जनता के आदमी आवें। परन्तु सरकार के द्वारा इस विषय में कोई प्रकाश नहीं डाला गया।

दूसरी बात पुलिस के संबंध में है। वहां पर पुलिस के बहुत से अत्याचार बढ़ रहे हैं। चित्तौरी में कांड हुआ उसके लिये यहां पर एडजर्नमेंट मोशन लाये गये, जनता ने जांच की मांग की, सरकार से पास डेप्युटेशन आये लेकिन उसने कोई भी ध्यान उस पर नहीं दिया।

अभी साल भर ही हुआ है वहां पर कुंभ दुर्घटना हो गयी। जिसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बैठायी गयी उसने भी रिपोर्ट दे दी है। यदि आप उन लोगों को जिनके विरुद्ध शिकायतें थीं या कमेटी ने जिनको दोषी ठहराया, कोई दंड नहीं देना चाहते थे तो कमेटी पर जनता का रुपया बेकार ही क्यों खर्च किया जब जांच समिति ने एक चीज पेश की और उस पर सरकार को विश्वास था तो जिन लोगों के कारण यह दुर्घटना हुई उनको अवश्य ही दंड देना चाहिये था।

इसके अतिरिक्त आजकल बेकारी की समस्या भी बहुत बढ़ गयी है। सन् ४७ में हमारे यहां ३०० रिक्शा थे लेकिन आजकल उनकी तादाद ५ हजार हो गयी है। पांच हजार का मतलब है १० हजार रिक्शा चलाने वाले हुये। आप यह भी जानते हैं कि ३ वर्ष में रिक्शा चलाने वाले को टी० बी० हो जाती है या वह मर जाता है। इस तरह की आज बेकारी की समस्या है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस समस्या के लिये क्या कोई हल ढूंढा गया है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो बोर्ड इस समय सरकार के अन्तर्गत है उसका चुनाव अवश्य होना चाहिये और जल्दी होना चाहिये। मैं जानता हूं कि किस वास्ते वहां पर प्रशासक को रक्खा गया है। जब लोगों को वहां के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायतें हुईं तो सरकार ने एक आर्डिनेंस के द्वारा उसको हटा दिया और हम लोग भी हटा दिये गये। अब सरकार को शीघ्र से शीघ्र यह चाहिये कि वहां जनता द्वारा चुनाव करायें तथा जिन लोगों ने कुंभ दुर्घटना में दोष किया है उनको उसका दंड दिया जाना चाहिये और अगर दिया गया है तो हमें यह मालूम होना चाहिये कि उनको क्या दंड दिया गया।

[श्री कल्याणचन्द मोहिले]

शहर की जमींदारी का प्रश्न बहुत दिनों से सरकार की नजर में है। उसके लिये एक कमेटी भी बन गयी है लेकिन आज तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ है और न उसके बारे में माननीय सदन को कुछ बताया गया है। अतः जल्द से जल्द वह मामला सदन के सामने रक्खा जाना चाहिये।

इन सब बातों को देखते हुये यह मालूम हो सकता है कि शासन किस प्रकार से चल रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि शीघ्र से शीघ्र जो सुझाव मैंने रक्खे हैं उनको भी इसमें शामिल कर दिया जाय।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल महोदय के संबोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय केशव गुप्त जी ने रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इस बात का अहसास करता हूं कि जो बातें माननीय राज्यपाल जी ने अपने संभाषण में दी हैं उनके बारे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी कार्य हुआ है वह उत्तम ही हुआ है। और जिन परिस्थितियों में यह कार्य हुआ है अगर उनका ध्यान रक्खा जाय तो यह कहना होगा कि उसमें संदेह नहीं है कि ऐसी परिस्थितियों में जो कार्य हुआ है वह अत्यन्त उत्तम हुआ है। हमारे माननीय पं० गोविन्द बल्लभ पंत के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तरक्की करता रहा और हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री के नेतृत्व में भी हमारा प्रदेश तरक्की करता रहेगा, इसकी हमें पूर्ण आशा है क्योंकि आप सुयोग्य शासक, विद्वान और न्यायप्रिय हैं सबको एक दृष्टि से देखने वाले हैं, राज्य की कोई समस्या आपकी आंखों से ओझल नहीं है जिसे आप न जानते हों। उससे हमें पूर्ण आशा है कि वे हमारे प्रदेश की भविष्य में पूर्ण उन्नति करेंगे।

आज कुछ समस्यायें इस प्रकार की हैं जिनका कि जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूं। और इनका जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने संभाषण में नहीं किया है। उन्होंने अपने सम्भाषण में कहते हुये श्रमिकों का जिक्र किया है लेकिन उनका उद्देश्य केवल उन श्रमिकों से है जो कि कारखानों में काम करते हैं। उन्होंने प्रदेश के उन मजदूरों की ओर जो देहातों में खेतों में काम करते हैं कोई विशेष क्या कतई भी ध्यान नहीं दिया। इससे पहले भी जब सदन के समक्ष आपका सम्भाषण हुआ था आपने उनका कोई जिक्र नहीं किया। पहले भी कहा गया है कि यह जटिल समस्या है और देश के उत्पादन में किसानों और खेतिहर मजदूरों का पूर्ण भाग रहा और जिस प्रकार से किसानों की दिक्कतों को हम समझते हैं वह हल होनी चाहिये और सरकार को उस पर पूर्णतः विचार करना चाहिये। यह बड़ी अच्छी बात है और उसी प्रकार से खेतिहर मजदूरों की दिक्कतें भी हल होनी चाहिये। आज अन्न की समस्या हल हो गयी लेकिन उससे यह नहीं समझना चाहिये कि हमारे देश से भुखमरी चली गयी, आज भी हमारे देश में भुखमरी है और उसे दूर करना है। आज कपड़े का कंट्रोल हट जाने से और कपड़े की दिक्कतें हट जाने से यह मतलब नहीं लगाना चाहिये कि आज हमारे देश में कोई नंगा नहीं है। अभी भी बहुत से लोग हमारे देश में नंगे हैं। जमींदारी प्रथा के समाप्त होने से यह मतलब नहीं निकल सकता कि सब लोगों को जमीन मिल गयी है। आज चकबन्दी का कानून पास होने से यह अर्थ होता है कि रहने की जमीन की समस्या हल हो गयी है।

आज भी बहुत से गरीब भाई हैं जिनके पास रहने के लिये स्थान नहीं है और जो बेचारे सड़कों पर और पेड़ों के नीचे अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। हम तो देखना चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भूखा न रहे, हमारे देश में कोई नंगा न रहे, हमारे देश में कोई गृह हीन न रहे, हमारे देश में कोई अशिक्षित न रहे। गांव-गांव में स्कूल खोलने की जो स्कीम है उसका यह अर्थ नहीं होता है कि हमारे देश से निरक्षरता चली गयी है। आज जिनकी इच्छा भी पढ़ने की, पढ़ाने की है लेकिन वे मजबूर होकर अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हमारे देश में सच्चे अर्थ में समानता होनी चाहिये। कुछ लोग हैं जिनके पास कई कई रोजगार हैं।

मैं तो कहता हूं कि एक आदमी के पास एक ही रोजगार रहना चाहिये। जो आदमी दफ्तर में काम करता और अगर उसके पास भूमि है तो उसको भूमि पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। दोनों जगहों में से एक ही जगह पर उसको काम करने का अख्तियार होना चाहिये। जहां तक उद्योग धंधों की बात है, बड़े-बड़े उद्योग धंधे खोलने से हमारा काम नहीं चलेगा। बड़े-बड़े उद्योग धंधों को छोटे-छोटे उद्योग धंधों में परिणत करें तभी यह काम चल सकेगा। गांव-गांव में घरेलू उद्योग धंधे खोले जायेंगे तभी हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। जो भूमि बंजर पड़ी है उसमें नियमित रूप से खेती करके और खाद आदि देकर हम उसको उपजाऊ बनाने की कोशिश करें तो कुछ हद तक जमीन की समस्या हल हो सकती है। जो बड़े-बड़े ट्रैक्टर्स के द्वारा खेती करने की प्रथा है और जो उसके लिये सहायता दी जाती है उसको बन्द करके बैलों के द्वारा खेती करने से ही हमारी बेरोजगारी की समस्या हल हो सकेगी।

इसके अतिरिक्त जो गोवध निरोध का कानून बनने वाला है उससे हम सब लोग सहमत हैं। लेकिन उसी के साथ यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में गायों की नस्ल बढ़े तो ऐसी संस्थायें जो गायों से प्रेम रखती हैं या वे भाई जो गायों से हार्दिक प्रेम रखते हैं वे जान सकते हैं कि हमको गायों की सेवा किस तरह से करनी है। मैं तो इस मामले में इंगलैण्ड की मिसाल आप के सामने रखना चाहता हूं कि वहां गौ का कितना सम्मान है और वहां की गौ कितना दूध देती है और हमारे देश की गौ कितना कम दूध देती है। हम अपने को गौ का पुजारी कहते हैं और हमारे लिये बड़े शर्म की बात है कि गौ के पुजारियों की ही गौ कम दूध दे तो यह बहुत ही दुख की बात है और हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये। हम जानवरों की कद्र करते हैं और गौ की कद्र करते हैं लेकिन हम अगर देखें कि उनको कितना चारा देते हैं, कितना उन का सामान करते हैं तब हमें असली प्रेम मालूम हो सकता है। इस संबंध में कानून पास होने के पहले हमें चाहिये कि हम उन चीजों को अमल में लाने की कोशिश करें और उसी हालत में वह कानून कार्यान्वित हो सकता है और उसका ठीक फायदा हो सकता है।

मैं आपके सामने इस समय खेतिहर मजदूर का प्रश्न भी रख देना चाहता हूं। उनकी भी बहुत सी दिक्कतें हैं। उनके बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये, पांचवीं कक्षा तक अनिवार्य शिक्षा हो, सरकारी नौकरियों में उनको स्थान मिले, उनकी सहकारी समिति बनाई जाय जिससे उनके घरेलू उद्योग धंधों की उन्नति हो। उनकी मजदूरी की दर और समय भी निश्चित होना चाहिये कि वह इतने समय तक मजदूरी करें और उनकी दर भी बढ़नी चाहिये। उनके लिये हर तरह की सहूलियत पैदा हो और रोजगार और घरेलू धंधे उनको देना चाहिये और उनमें उनको सहायता देनी चाहिये और उनका सम्मान भी हमारे समाज में बढ़ना चाहिये। हमारे समाज में मेहनत करने वालों का सम्मान बहुत कम है, हमारे यहां मेहनतकशों का सम्मान भी उसी प्रकार का होना चाहिये जिस प्रकार का वकील साहबान और दूसरे डिग्री पाने वालों का होता है। इस तरह से मेहनतकशों का भी आदर बढ़ना चाहिये और सबको समानता की वेदी पर आना चाहिये और यहां हमारा प्रयत्न होना चाहिये और हमारे यहां से गरीबी उसी समय जा सकती है जब हम एक दूसरे की दिक्कत को अपनी दिक्कत समझेंगे।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)——अध्यक्ष महोदय, जो बातें यहां राज्यपाल के भाषण के सम्बन्ध में कही गई हैं उनके बारे में कुछ कहने के पहले, मैं एक दो बातें निवेदन के रूप में सदन के सामने रखना चाहता हूं। यदि हम उन बातों को बराबर ध्यान में रखें तो शायद, यह साल तो चला गया, आगे के सालों में जो समय हमारे पास राज्यपाल के भाषण पर विचार करने के लिये होता है उसका कुछ अच्छा उपयोग हो सके।

यह जाहिर सी बात है कि राज्यपाल अपने भाषण में अपनी उस समय की सरकार की नीति को ही व्यक्त करते हैं। सरकार की नीति से अलग, स्वतन्त्र रूप से वे किसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

दूसरी चीज का जिक्र नहीं कर सकते। यह तो लोकतन्त्र शासन का सिद्धान्त है कि जो हेड आफ दि स्टेट है, चाहे वह किन्ग हो, राज्यपाल हो या कोई भी हो वह तो 'आन एन्ड विद् दि एडवाइस आफ दि मिनिस्टर्स' ही चलता है और मिनिस्टर्स के परामर्श के बगैर, अलग कोई चीज नहीं करता और इसी से दूसरा सिद्धान्त भी निकलता है कि 'हेड आफ दि स्टेट कैन डू नो रांग' यानी किसी गलत काम की जिम्मेदारी हेड आफ दि स्टेट की नहीं वरन् वहां के मंत्रिमंडल की है। एक तो यह ध्यान में रखने की बात है।

दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिये कि राज्यपाल का ऐड्रेस कैसे दिया जाता है। हमारा संविधान अधिकतर इंगलैण्ड के संविधान की नकल है। जो चीज हमारे सामने नई आती है तो हम उसके लिये 'मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस' की ही सहायता लेते हैं। तो हमें इंगलैण्ड की ही मिसाल सामने रखनी चाहिये कि वहां किस किस्म का एड्रेस होता है, दिल्ली में किस किस्म का होता है और-और स्थानों पर जहां-जहां इस किस्म की शासन पद्धति है वहां पर कैसा ऐड्रेस होता है। ऐड्रेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें गवर्नमेंट जितने भी काम कर चुकी, कर रही है या आगे करेगी उन सब की चर्चा उसमें हो। उसमें दो-चार कानूनों की चर्चा होती है। यह नहीं कि जितने कानून बनने वाले हैं उन सब की चर्चा उसमें हो। कोई दो-चार कानून जो बड़े महत्व के हैं जिनकी तरफ जनता का और माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है या ऐसे कानून जिनके लिये जनता को प्रतीक्षा होती है कि गवर्नमेंट क्या बनाने वाली है उनका जिक्र उसमें होता है और जैसा कि राज्यपाल ने जिक्र किया है मन्दिरों और दूसरी धार्मिक संस्थाओं में रोकथाम करने वाले कानून बनाने का वैसे कानूनों का जिक्र होता है।

मैंने इस सदन में काफी पहले कहा था कि इस किस्म का हम कानून बनाने वाले हैं लेकिन आप जानना चाहते होंगे कि क्या हुआ। एक बार नहीं कई बार प्रश्न हुये। लेकिन अड़चनें होती हैं। उसी किस्म का मद्रास में एक कानून चल रहा है। उस पर एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कह दिया कि वह तो कानून के अनुसार अल्ट्रा वायरस है। इसका परिणाम न केवल हमारा बल्कि जहां-जहां इस किस्म के कानून चल रहे थे उन सबको उनके ड्राफ्ट्स को बदलना पड़ा। तो आप जानना चाहते होंगे कि मन्दिरों में या दूसरी संस्थाओं में सुधार के लिये क्या हुआ। उसका जिक्र करना जरूरी था। इसी तरह से दूसरे कानून होंगे। जो नई नीति की बात होती है उसी का जिक्र ऐड्रेस में किया जाता है। मसलन् गोवध निषेध का जिक्र है। वह नई चीज है उसके जिक्र करने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन जितने काम हो रहे हैं उन सब कामों के सम्बन्ध में कोई जिक्र आम तौर पर नहीं किया जाता। उदाहरण के लिये हरिजनों के लिये हम २० लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब १ करोड़ करें तो उसका जिक्र नहीं आयेगा, क्योंकि वह कोई नई बात नहीं है, नई नीति की बात नहीं है इसलिये उसकी चर्चा ऐड्रेस में नहीं होती, कहीं भी नहीं होती आगे भी नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिये। जो काम हो रहे हैं या उनको आपको करना हो या जो काम नहीं हो रहे हैं उनको करना हो या जो काम हो रहे हैं उनकी गतिविधि को बदलना हो तो उन सब बातों की चर्चा उसमें नहीं की जा सकती है। अगर हम सब इस बात को ऐड्रेस पर विचार करते समय ध्यान में रखें तो बहुत सुविधा हो और जितने संशोधन इसमें आये हैं इतने संशोधनों की आवश्यकता आगे चल कर नहीं होगी।

दूसरी बात एक और भी है कि कई बातें ऐसी होती हैं जिनका कि जिक्र बजट में हो सकता है और बजट में ही होना भी चाहिये। अब थोड़े ही दिनों के बाद, एक हफ्ते के अन्दर करीब-करीब बजट पास होने वाला है मेरा ख्याल है कि कई प्रश्न यहां थे जिनका

उत्तर शायद कुछ हद तक यह मैं नहीं कह सकता कि सब लोगों को संतोषजनक होगा या नहीं होगा लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका उत्तर जिस हद तक देने की इस समय गवर्नमेंट की हिम्मत है उस हद तक उन्हें संतोष न हो और उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें बजट में जरूर मिल जायगा। लेकिन इस समय मेरी जबान बन्द है और मैं बजट के सम्बन्ध में इस समय कुछ भी नहीं कह सकता। इसी तरह की और कई कमियां हैं जो माननीय सदस्यों को ऐड्रेस में देखनी पड़ी होंगी। वैसे तो और बहुत सी बातें कही गई हैं, मैं उन सब को नहीं कहता क्योंकि वही बातें बजट में दुहराई जावेंगी लेकिन दो-तीन बातें ऐसी हैं जिन पर चर्चा करनी है। पुलिस और करप्शन की बात जैसे है वह तो बारहमासी चीज है। उसका जिक्र होता रहता है और आगे चल कर भी होगा और पुलिस के बजट के समय भी होगा इसलिये मैं उस सम्बन्ध में नहीं कह सकता। एक बात जरूर है कि जब इन सब बातों की चर्चा होती है तो बात ठीक कहने की होती है, लेकिन कहने के ढंग की बात होती है। अगर हम यह कहें कि खराबी है, करप्शन है, बुराइयां हैं तो हैं। जहां तक उसका जिक्र करना है वह तो करना चाहिये कोई बुराई अच्छी चीज तो नहीं है और किसी के लिये भी अच्छी बात नहीं है कि बुराई पर परदा डाला जाय। लेकिन जहां तक बुराई है वह अफसोस की चीज हो सकती है लेकिन अगर दुःख के सिवा कोई दूसरा स्वर सुनाई पड़ता है तो उसे सुनकर मुझे बड़ा अफसोस होता है। माननीय सदस्य सोचें कि जब इन चीजों की चर्चा होती है आया यह लांछन की ही चीज है या और कोई बात भी है, चाहे छोटे से छोटा अहलकार हो या बड़े से बड़ा अहलकार हो--सब हिन्दुस्तानी हैं। आज कोई अंग्रेज नहीं है। अगर सचमुच इतना व्यापक भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश में है, देश में है तो क्या राष्ट्रीय चरित्र स्वतंत्रता के बाद बहुत गिर गया यह सोचने की बात है। चरित्र को इतना गिरा दिया है यह मुझे विश्वास नहीं होता। बुराइयों को मैं भी दमन करना चाहता हूं। जो भी उपाय मुझे बतलाया जाय और जो भी मेरी शक्ति में है उसे मैं दमन करने को तैयार हूं और इसमें भी मुझे कोई सन्देह नहीं है कि हर माननीय सदस्य की मुझे उसमें सहायता होगी। अंग्रेजी में एक शब्द है 'मेसोकिस्ट'। हमें उसी की आदत हो गई है। हम अपने को बहुत बुरा समझने लगे हैं। विदेशियों का भी कहना है कि हमें कुछ तपस्या करने की आदत सी हो गई है। हम अपनी बुराई का खुद विज्ञापन करते हैं। इससे आने वाले लोगों पर क्या असर होगा देश और प्रदेश में क्या असर होगा इसको आपने नहीं सोचा है जो बड़ी तेजी के साथ हम इस बात का विज्ञापन करते हैं कि अंग्रेजी शासन के जाने के बाद हम कुछ पतित हो गये हैं। इतना ही मुझे इस विषय पर इस समय कहना है और अधिक मुझे इस समय नहीं कहना है।

हमारे पहाड़ों से सम्बन्ध रखने वाले कई माननीय सदस्यों ने पहाड़ों की समस्या का जिक्र किया। मैं उनकी बाबत भी बतलाऊंगा और कुछ बातों का जिक्र करूंगा लेकिन दो एक जनरल बातें भी बतला देना चाहता हूं। कुछ हम लोगों का ऐसा ख्याल है कि जितनी बातें राज्यपाल महोदय के एड्रेस में कही गई हैं उनमें बिल्कुल गलत तस्वीर दिखाई गई है, हमारे प्रदेश में कहीं भी किसी किस्म की तरक्की नहीं हुई है। झारखंडे राय जी इस वक्त यहां नहीं हैं। उनको इतना तो दीखा कि आजमगढ़ जिले में, उनकी तहसील में, उनके गांव के पास कुछ पानी का प्रबन्ध हुआ। अगर वह थोड़ी सी निष्पक्षता का चश्मा और लगा लें तो उन्हें बहुत सी चीजें दिखलाई देंगी। और लोगों की बाबत तो कुछ नहीं कहता लेकिन जिस वक्त माननीय नारायणदत्त जी अपना भाषण दे रहे थे तो मुझे टेनिसन की दो लाइनें याद आईं :

"His honour not rooted in dishonour stood,
And faith unfaithful kept in falsely true."

मुझको ऐसा विश्वास नहीं होता कि सचमुच उनको इस प्रदेश में कोई तरक्की दिखाई नहीं देती। मुझको ऐसा लगता है कि कुछ पार्टी की मजबूरियां हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसा कहना आवश्यक प्रतीत होता है और उनको प्रगति देख नहीं पड़ती। कागजात के

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

आंकड़ों में क्या लिखा है उस पर अगर बहस की जाय तो यह स्टैटिस्टीशियन की सभा हो जायगी जिसमें सबको दिलचस्पी न होगी। हो सकता है कि कहीं कुछ रुपया ज्यादा खर्च हो गया हो, लेकिन यह मैं नहीं मान सकता कि जहां ४ आने खर्च होना चाहिये था वहां १ रुपया खर्च हो गया हो। हां, कुछ ज्यादा हो गया हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि नहरें कोई उठा कर नहीं ले जा सकता, जो खेतों में पैदावार बढ़ी है न उसे ही कोई उठा कर ले जा सकता है, वह सभी को दीखेगा। देहातों में जो स्कूल खुले हैं, जो अस्पताल वहां खोले गये हैं उनको कोई उठा कर नहीं ले जा सकता।

सेल्फ सफीशेंसी आफ फूड की बात जब कही जाती है तो इससे यह मतलब नहीं है कि इस प्रदेश के हर जिले के हर परिवार के हर सदस्य को पेट भर खाने को मिलने लगा, ऐसा नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में गवर्नमेंट को अपने खर्चे से अन्न बांटना पड़ा और कुछ पूर्वी जिलों में भी अन्न की कमी है। अगर ऐसा न होता तो वहां टेस्ट वर्कस क्यों खोले जाते। कई हजार आदमी काम कर रहे हैं। लेकिन यह ओवरआल पिक्चर का जिक्र किया जाता है। पूरी तस्वीर रखनी होती है, एक जगह विशेष की तस्वीर नहीं दिखाई जाती। अन्न बहुत हो गया है, अन्न के भाव गिर गये और इसका परिणाम यह होगा कि देहात के लोग तबाह हो जायंगे। गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा मसला है कि अन्न बहुत हो गया है। सस्ती होनी चाहिये, ठीक है, लेकिन ऐसी सस्ती अगर हो कि जिससे हमारे अधिकांश लोग जो देहातों में रहते हैं तबाह हो जायं, इसके लिये विचार करना है। गुड़ के भाव गिरे हैं और अनाज के भी भाव गिरे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्न ज्यादा पैदा हुआ है। महज इस वजह से कि कंट्रोल हट गया है और इस वजह से बाजार में अन्न आ गया है, ऐसा नहीं है। तो इस बात में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये कि जो कुछ सामने है उसका असर ही हमें देखने को मिलता है। यह ठीक है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों के पास खाने को कम है, अन्न नहीं है। उसका प्रबन्ध हो रहा है और करना भी होगा। मैं यह कह रहा था कि हमारे पहाड़ी मित्रों ने पहाड़ की कई समस्याओं का जिक्र किया। मैं पहाड़ का रहने वाला नहीं, उन सब जगहों के नाम से भी पूरा परिचित नहीं जिनका कि जिक्र हुआ, उन जगहों से परिचित नहीं, लेकिन हां, इतना विश्वास दिला सकता हूं कि पहाड़ के जिले चाहे अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, टेहरी-गढ़वाल हो या गढ़वाल हो, वह सब हमारे प्रदेश के वैसे ही एक अंग हैं जैसे कि मैदानी जिले और हमको उन जिलों की उन्नति का, उन जिलों की तरक्की का उतना ही खयाल है और होना चाहिये जितना कि किसी और जिले का हो सकता है। जैसे किसी ने कहा है चेन की सब से कमजोर कड़ी पर ही चेन की मजबूती निर्भर करती है, अगर हमारे किसी भी जिले की हालत खराब हुई या वहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो उससे सारे प्रदेश का स्तर गिरता है। किसी एक दो शहर की हालत बयान कर देने से प्रदेश की हालत अच्छी नहीं हो सकती इससे ज्यादा, इस वक्त, मैं समझता हूं कि आश्वासन देना संभव नहीं है और जरूरत भी न होगी।

पहाड़ के सम्बन्ध में एक बात यह कही गई कि कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जो फ्रान्टियर पर पड़ते हैं—इन्डो तिब्बतियन फ्रान्टियर पर। और यह कहा गया कि वहां के लोगों का खासतौर से ख्याल करना चाहिये। मैं एक-दो बातें बतला देना चाहता हूं कि इस फ्रान्टियर पर जो लोग रहते हैं उनका हम को ध्यान है। वे बहुत गरीब लोग हैं और उनकी तरक्की का ख्याल हमको एक तो इसलिये कि वे हमारे प्रदेश के रहने वाले हैं, इसलिये करना चाहिये और दूसरे इसलिये कि स्ट्रेटिजिक दृष्टि से भी हमको उनका ख्याल करना चाहिये। मैं बहुत थोड़ी सी चर्चा करता हूं इस बात की कि उनके लिये अब तक हमने क्या किया है और आगे क्या करने का विचार है। यह जो साल चल रहा है, जो मार्च में खत्म होगा उसमें वहां पर एनिमल हस्बेंडरी, शिक्षा, मेडिकल और उद्योग में १ लाख ५२ हजार रुपया खर्च हुआ है और अगले साल में कोई २३ लाख से

कुछ ऊपर खर्च करने जा रहे हैं, उस साल में जो अगली अप्रैल से शुरू होगा। इसमें मैंने चार चीजों का जिक्र किया, एनीमल हस्बेंड्री, एजूकेशन, मेडिकल और इंडस्ट्रीज। सड़कों का जिक्र नहीं किया। उसकी मद कुल है १ करोड़ ३६ लाख रुपया जो तीन-चार सालों के भीतर खर्च होने वाला है और इसमें से करीब १५ लाख रुपये के तो इस साल खर्च होगा और हम आशा करते हैं कि करीब ६० लाख रुपये के हम अगले साल खर्च करेंगे। इससे अन्दाजा हो सकता है कि अगर इतना खर्च हो जायगा। तो पूरी अगर नहीं, तो भी बहुत कुछ सुविधा हो जायगी रोजगार वगैरह के मामले में और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने में।

इसी सिलसिले में माननीय उपाध्याय जी ने बदरीनाथ मन्दिर के सम्बन्ध में कुछ बातों का जिक्र किया। मुझको सुनकर आश्चर्य हुआ और दुःख हुआ। बदरीनाथ मन्दिर अभी कुछ दिन पहले तक मेरे डिपार्टमेंट्स में से था, लेकिन आज तक किसी ने भी उन बातों का जिक्र नहीं किया कि वहां कहां क्या कुछ बन रहा है, उत्तर प्रदेश के बाहर बन रहा है या हवाई जहाज की कोई सैर करने जा रहा है देखने के लिए। मुझको सुनकर सचमुच आश्चर्य हुआ और मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूंगा यदि वह इन बातों को थोड़े विस्तार में दें और उनका पूरा ब्योरा बताने की कृपा करें, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनकी जांच करने की जरूरत है। एक तो स्वयं वहां के मन्दिर की दृष्टि से और दूसरे उस दृष्टि से भी जब कि हम एक नया कानून बनाने जा रहे हैं और बड़े-बड़े मन्दिरों को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं, तो एक जगह जहां हम काम कर रहे हैं, वहां अगर गलती है तो वह गलती कल्टीप्लाई होकर के न जाने कितनी बड़ी गलती हो जायगी। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह हमें पूरा ब्योरा दें ताकि हम उसकी जांच कर सकें।

यहां पर कुछ हरिजन भाइयों का जिक्र हुआ। उनके सम्बन्ध में जैसा मैंने कहा कोई नयी नीति हमारे सामने हो, ऐसा नहीं है। जो उनके प्रति नीति है वह ऐसी है जो कि हमारे संविधान में जगह पाती है और इस सदन में कई बार उसकी चर्चा हो चुकी है। उनकी बाबत जो कुछ गवर्नमेंट अब तक करती रही है वह भी आपके सामने है और आगे बजट के समय में आपके सामने विस्तार में आ जायगी। इसलिये जो कुछ कार्य किया गया उसका मैं जिक्र नहीं करता। यह मैं मानने के लिये तैयार हूं कि अभी और रुपया खर्च करना चाहिये। लेकिन क्या हरिजनों के मामले में या शिक्षा आदि के मामले में---शिक्षा को इसके साथ में यों ले रहा हूं कि इस बात का भी जिक्र हुआ कि शिक्षा की प्रगति कुछ रुक गई और हमको इस बारे में सलाह दी गई कि अनिवार्य शिक्षा की घोषणा कर दी जाय या अगर इस साल न कर सकें तो साल दो साल के अन्दर कर दी जाय। माननीय सदस्यों को याद होगा कि आज से छः सात साल पहले ही यह संकल्प उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रखा था कि हम चाहते हैं कि १० साल के अन्दर शिक्षा अनिवार्य कर दें और उस संकल्प के सिलसिले में यहां पर कई हजार स्कूल खोले भी गये। इधर स्कूलों में रीओरियेंटेशन वगैरह की कई बातें हुईं, जिनकी वजह से नये स्कूलों का खुलाना रुका हुआ था लेकिन गवर्नमेंट अपना वादा भूली नहीं है। हम कोशिश करेंगे---अगले साल की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितनी जल्दी हो सके जो कांस्टीटयूशन के डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमारे ऊपर कर्तव्य आया है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके सम्बन्ध में भी बजट के समय में आपको विस्तार से मालूम हो सकेगा।

एक जो और यहां सवाल आया था कि हरिजनों के लिए मकान बनाने की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया है। इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि पिछले साल बजट में उसके लिये ७० हजार रुपया था और इस साल १ लाख ७० हजार रुपया आपको शुरू में दिखाई पड़ा था जिसमें से कि बहुत सा रुपया खर्च हो चुका है और कुछ अभी खर्च होना बाकी है। दस हजार रुपये के बारे में अभी-अभी मेरे

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

सामने एक चीज आयी है---झांसी जिले में कुछ हरिजनों की बस्तियां थीं जो कि बाढ़ में बह गई थीं उसके लिए हमने दस हजार रुपया अभी-अभी मंजूर किया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले साल ७० हजार रुपया और इस साल एक लाख ७० हजार रुपया इस कार्य के लिए रखा गया था, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ रुपया खर्च हुआ है। इतना और कह दूं कि हरिजनों में इतना सब लोग मानेंगे कि उनमें भी सबसे बिगड़ी हुई अवस्था भंगियों की है। तो इस वक्त जो मकान बनाने की बात है वह खासतौर से भंगियों के लिए की जा रही है। १९५३-५४ में ४ लाख १० हजार रुपया ५ बड़े-बड़े शहरों कैंबाल टाउंस में भंगियों के लिए मकान बनाने के वास्ते उनको दिया गया है और २५ लाख ५७ हजार रुपया और देने का विचार है, जिसमें से कि ११ लाख रुपया दिया जा चुका है। इस रकम में केवल ३ लाख, ८२ हजार रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया की सब्सिडी है और बाकी सब रुपया यू० पी० गवर्नमेंट खर्च कर रही है लोन लेकर। इसमें से करीब ११ लाख रुपया दिया जा चुका है, म्युनिसिपैलिटियों को बांट दिया गया है और १० लाख रुपये की आपके सामने सप्लीमेंटरी डिमांड्स पेश होंगी। यह कुल रुपया म्यूनिसिपैलिटीज को जब सदन उन्हें मंजूर कर देगा बांट दिया जायगा जिसके माने यह होंगे कि २५,५७,००० रुपया म्युनिसिपैलिटियों को दिया जा रहा; एक लाख सत्तर हजार का जो बजट था यह उसके अलावा है। तो इससे कुछ इस बात का अन्दाज होगा कि यद्यपि इस मसले का पूरा-पूरा हल न हो गया हो, लेकिन हम इस बात को भूले नहीं हैं और जो साल के शुरू में रखा था उससे काफी इस साल ज्यादा खर्च किया है और करते हैं और भविष्य में भी करेंगे। इस विषय में ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जायगा।

स्त्रियों के वेलफेयर का जिक्र हुआ, खासतौर से कुछ पहाड़ी क्षेत्रों का जहां नायकों की बात है। तो उसके लिये जो कानून है वह आपको मालूम ही है। उसके लिए विस्तार से नहीं कहता। उन नायक गर्ल्स के लिए जो होम्स बने हुए हैं उनकी देखभाल पहले भी होती थी और अब भी होती है। यह समस्या सभी जगह है; कुछ आर्थिक कारणों से वहां कुछ ज्यादा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर के सोशल वेलफेयर की मिनस्ट्री बनायी गयी थी, जिसको नारायणदत्त जी फिजूल समझते हैं। इन सब बातों को सोच करके यह मिनिस्ट्री बनायी गयी। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना ही काफी नहीं होता। ऐसे बहुत से कामों के लिए एक मिनिस्टर होंगे जिनके जिम्मे कितने ही काम हैं। जब सोशल मिनिस्ट्री के कामों का प्रगणन हुआ था, तो खासतौर से उनमें वीमेन्स वेलफेयर का जिक्र था। तो मुझे आशा है कि पहाड़ में और जहां भी इस किस्म की मारेलिटी इत्यादि की बात होगी या और भी स्त्रियों के उत्थान के सम्बन्ध में आर्थिक या किसी रूप में सहायता करने के सम्बन्ध में कोई प्रश्न होंगे उनको यह सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री अच्छी तरह से डील कर सकेगी, क्योंकि उसके पास इसी तरह के काम हैं। और जहां तक आचार्य जी की बात है उनको इस किस्म के कामों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी है।

खेतिहर मजदूरों का भी जिक्र आया उनके सम्बन्ध में राज्यपाल जी के सम्बोधन में जिक्र नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसलिये कि वहां कोई नई नीति का जिक्र नहीं है। हम जानते हैं कि खेतिहर मजदूरों का सवाल उठ रहा है। श्री झारखंडे राय मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि नहर बन रही है, सरकार कुएं खुदवा रही है। उसकी वजह से देहातों में बेरोजगारी और बढ़ रही है। यह बात हो सकती है। लेकिन इस डर से नहर न खोदी जाय, यह तो बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन बहरहाल चाहे नहर की वजह से या लैंड रिफार्म की वजह से बेरोजगारी बढ़ी हो, वह यहां काफी है। नहर खोदी जाय या न खोदी जाय, यह दूसरी बात है, लेकिन बेरोजगारी है, शहर में

भी और देहात में भी है। उसका कोई न कोई साल्यूशन होना चाहिये। यह बात नहीं है कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जैसा कि हमारे मित्र ने बतलाया, राज्यपाल जी के ऐड्रेस में उस प्रश्न का जिक्र है, लेकिन उसका जो साल्यूशन है वह भी लिखा हुआ है। अनएम्पलायमेंट के सम्बन्ध में एम्पलायमेंट के जो आंकड़े नारायण दत्त जी ने सुनाये उनसे क्या मालूम होता है? मान लिया जाय कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज में किसी एक आदमी का नाम भी न हो, तो क्या उससे यह साबित होगा कि नौकरी उतने आदमियों को मिल गयी तो बेकारी की समस्या हल हो गयी। वहां नौकरी के लिए जो नाम दर्ज होते हैं वह खास तरह के लोग होते हैं, पढ़े-लिखे आदमियों के, मिस्त्री के या और इसी तरह के लोगों को नौकरी मिल जाना कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। अगर एक आदमी का भी वहां नाम न हो तो भी अनएम्पलायमेंट का सवाल घट सकता है, हमारे सामने तो उसका भी तरीका सोचना है। वह इंडस्ट्री से ही सम्भव हो सकता है और तरीके से नहीं, इससे कुछ लाभ तो मानना ही पड़ेगा। एक भाई ने कहा कि हम अपने यहां बड़ी-बड़ी मशीनों को न लावें। यह सही है कि हमको अपने देश में बड़ी-बड़ी मशीनें नहीं लानी हैं, लेकिन इसके बगैर काम भी नहीं चल सकता। आज जिस जमाने में हम रह रहे हैं, मशीनों की भी उसमें कितने ही कामों के लिए जरूरत पड़ती है। उन्होंने जो यह कहा कि हम अपने यहां का माल मशीनों का बना हुआ बाहर भेजें और बाहर का मशीन इत्यादि का माल न लें तो इससे भी काम नहीं चलेगा। कौन देश इस बात पर राजी हो जायगा कि वह आपका माल तो खरीदे, लेकिन आप उसका एक पैसे की चीज न खरीदें। तो मशीनें तो हमको वहां की खरीदनी ही हैं। लेकिन अगर सोच विचार के मशीनें रखी जायं, तो भी कितने आदमी वहां लग जायेंगे उन बड़े बड़े कारखानों में। सारे देश की बात छोड़ दीजिये, आप उत्तर प्रदेश की बात लीजिये जहां पर ६ करोड़ की आबादी है, यहां पर कितने आदमी बड़ी मिलों में लगेंगे? असम्भव बात है कि बेरोजगारी का सवाल इस तरह से हल हो सके। इसका तरीका हो सकता है छोटे उद्योग-धंधों द्वारा उनको काटेज इंडस्ट्रीज कहा जाय या कुछ भी कहा जाय, उससे ही यह सवाल हल होगा। वह चीज हमारे सामने है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगले बजट पर आप लोगों को अन्दाजा लग जायगा कि हम कितने सिद्धिशाली इसको हल कर रहे हैं, लेकिन एक दम हल नहीं हो सकता है, क्योंकि काटेज इंडस्ट्रीज पुराने ढंग से तो चल नहीं सकती हैं। कम से कम आजकल काटेज इंडस्ट्रीज को चलाने के लिये बिजली की आवश्यकता है। अभी हमारे प्रदेश में आधे में बिजली नहीं है। जब और हमारे पावर स्टेशन्स बन जायेंगे तो पूरे प्रदेश में बिजली हो जायगी। जब हमारा रिहन्द डैम बन जायगा तो सब जगह बिजली हो जायगी और हमारे उद्योग-धंधे चल सकेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि काटेज इंडस्ट्रीज आगे बढ़ें। अगर बढ़ती हैं तो हम आशा करते हैं कि बेरोजगारी का प्रश्न मुख्यतः काटेज इंडस्ट्रीज के बल पर और बड़ी इंडस्ट्रीज के बल पर हल हो सकेगा। इधर हमारा ध्यान नहीं ऐसी बात नहीं है।

खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में मुझे कोई नई बात नहीं कहनी है। जो हमारा रेजेज है वह हमारे प्रदेश में लागू हो गया है सिवाय पहाड़ों के। १२ जिलों में तो पूरी तरह से लागू हो गया है और जो जिले हैं उनमें ५० एकड़ और उसके ऊपर के फार्मों पर लागू है। अगले साल सब के लिये लागू हो जायगा। लेकिन यह सवाल कोई सहल नहीं है, बड़ा टेढ़ा है। हमने एक रुपया रोज मजदूरी तय कर दी है। लेकिन हमारे माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि क्योंकि मेरी अपेक्षा उनका ज्यादा सम्बन्ध है। अब काश्तकार यह कहते हैं कि एक रुपया हम नहीं दे सकते हैं। अगर अनाज का भाव गिरा तब तो असम्भव हो जायगा। क्योंकि देहातों की इकोनामी ऐसी है कि कभी काश्तकारा को आसानी होती है अनाज देने में और कभी रुपया

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

देने में आसानी होती है। लेकिन सरकार की तरफ से तो मजदूरी रुपये के रूप में ही फिक्स हो सकती है। अगर अनाज का भाव गिरता है तो वह नहीं दे सकते हैं।

एक सज्जन ने बतलाया कि यह जो इंस्पेक्टर्स रखे हैं वह फिजूल हैं, नालायक हैं निकम्मे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई मुकद्दमे नहीं चलाये। सब जानते हैं कि यह कोई कागनीजेबिल आफेन्स नहीं होता है। आप मजदूरी न दें तो पुलिस कोई मुकद्दमा नहीं चला सकती है। इतनी बड़ी-बड़ी मिलें खड़ी हुई हैं। उनमें भी मजदूर काम करते हैं। अगर उनकी मजदूरी नहीं मिलती तो पुलिस जाकर नहीं दिलाती। जिसको मजदूरी नहीं मिलती उसको मुकद्दमा चलाना पड़ता है, तब मुकदमा चलता है। अगर इस बात की शिकायत है कि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली और उन्होंने मुकद्दमा चलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गयी तब आप शिकायत कर सकते हैं। या तो सब को मजदूरी पूरी मिलती गयी या अगर मजदूरी नहीं मिली तो किसी ने शिकायत नहीं की। तो उस में गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। हमको यह मानना चाहिये कि जो कानून बना है उस पर पाबन्दी हो रही है। हमारे लिए इससे ज्यादा करना मुमकिन नहीं है और देखने की बात होगी कि मिनिमम वेजेज का तरीका कैसे चलता है।

मैं और ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। इतना ही निवेदन करता हूं कि दूसरे सिलसिलों में भी कई बार पहले कह चुका हूं कि हम इस बात का दावा नहीं करते कि हमने कोई बुद्धि केन्द्रीभूत करके अपने अन्दर रख ली है, न हम इस बात का दावा करते हैं कि इस देश या इस प्रदेश के उत्थान की फिक्र सब से ज्यादा हमीं को है और किसी को नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लोग जो इधर उधर बैठे हुये हैं, हमारे विचारों में चाहे जितना मतभेद हो लेकिन हम सब चाहते हैं कि इस प्रदेश की सर्वतोमुखी उन्नति हो। मौजूदा साधनों को देखते हुए गवर्नमेंट के लिए जितना करना सम्भव था उसे गवर्नमेंट ने किया और जितना आगे करना सम्भव होगा उतना करेगी। राज्यपाल जी के सम्बोधन में तो उसका छोटा सा दिग्दर्शन है। बाकी चीजें आपके सामने हैं। और मैं श्रद्धा करता हूं कि जो भी गवर्नमेंट आगे प्रयत्न करेगी उसमें सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जैसा कि हम लोग सभी लोगों के सहयोग के इच्छुक हैं।

इन शब्दों के साथ मैं श्री केशव गुप्त जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल आपकी अनुमति से जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसके ऊपर दो रोज से बराबर चर्चा होती रही। केवल नारायणदत्त जी के भाषण को और विचारों को छोड़कर अगर हम सभी भाषणों का निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सभी लोग महामना राज्यपाल के सम्बोधन का स्वागत करते हैं और जो नीति उन्होंने अपने सम्बोधन में पिछले दिनों की, और भविष्य की मोटे-मोटे शब्दों में हमारे सामने रखी है, उसका स्वागत करते हैं। करीब-करीब २० या २२ संशोधन इस भवन के सामने उपस्थित हुए। उनमें अनगिनत बातें कही गयीं। माननीय मुख्य मंत्री, बाबू जी ने कुछ का समाधान करने का प्रयत्न किया और बहुत कुछ समाधान भी किया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत सी बातें इसमें ऐसी कही गयीं कि जिस नीति पर हमें चलना अनिवार्य है, जो नीति हमारे संविधान में मान ली गयी है, वह नीति नहीं अपनायी गयी। यह बिलकुल अतिशयोक्ति है, ऐसा कहना गलत है। संविधान में हरिजनों या पिछड़ी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जातियों के लिए पूरा संरक्षण दिया गया है और उसमें कुछ कर्तव्य स्टेट्स और यूनियन के ऊपर रख दिये गये हैं। उन्हें उनको करना ही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों का हम कितना ख्याल रख रहे हैं। आपने देखा कि १९५०–५१ में जहां ४ लाख ६७ हजार केवल हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लिए रखा गया था वहां १९५४–५५ में ७० लाख रुपया रखा गया है और बराबर वह रकम बढ़ती रही है। वह रकम उस रकम से अलग है जिसका लाभ हमारे हरिजन विद्यार्थी अपनी प्रारम्भिक शिक्षा काल में डि० बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड के स्कूलों में फीस माफी की सूरत में उठाते हैं। इसलिये उसका यहां पर जिक्र होना कोई आवश्यक नहीं था। हां, मैं मानता हूं कि बहुत कुछ करना बाकी है। वह समस्या गम्भीर है। उसमें अभी और करना बाकी है। लेकिन उसका जिक्र होना आवश्यक नहीं था। इसके साथ ही साथ कुछ लैंड रिफार्म्स का जिक्र किया गया। लैंड रिफार्म्स के बारे में सब को मालूम है कि जितना सुधार इस दिशा में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है उतना शायद किसी सरकार ने नहीं किया है। हमने जमींदारी को खत्म किया। हमने चकबन्दी के कार्य को आरम्भ किया और हमने यह भी कैद लगा दी है कि तीस एकड़ से ऊपर भविष्य में कोई हस्तान्तरण नहीं कर सकता।

हां, लेकिन ३० एकड़ से अधिक किसी के पास वर्तमान भूमि हो तो उसके बटवारे का प्रश्न है। उसके लिये हमारी कांग्रेस संस्था यह जोर डाल रही है हमारे प्रदेश पर कि वह कोई न कोई जल्द से जल्द सीलिंग कायम करे। मुझे आशा है कि हमारी सरकार निकट भविष्य में कोई कदम इसके लिये उठायेगी। जहां तक श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य जी ने इस प्रश्न को सामने रखा उनको तो उन कठिनाइयों का बहुत ज्ञान है क्योंकि वह बहुत दिनों तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं। उनको स्वयं इसका ध्यान है कि उसमें कितनी कठिनाइयों का सामना इसमें स्टेट को करना पड़ेगा। इसमें कितनी अड़चनें हैं जिनको सुलझाना पड़ेगा जब कि उस उद्देश्य को पूरा किया जा सकेगा जो कि उन्होंने अपने संशोधन के अन्दर रखा है। इसलिये उन कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा।

इसके साथ भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया है। मैं तो यह कहता हूं और हमेशा कहता हूं कि भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश में ही है यह बात नहीं है। अन्य स्टेट में भी इस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है। मैं एक बार इरिगेशन इंजीनियर मि० ए० सी० मित्रा से बात कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि आपके जो यह पतरोल हैं यह बहुत भ्रष्टाचार फैलाते हैं। उन्होंने इस बात को माना कि उनके यहां भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि यह बिलकुल सही है लेकिन क्या किया जाय। उन्होंने बतलाया कि वह सारे पतरौलों को एक बार निकाल चुके हैं। लेकिन दूसरे जो नये रखे गये हैं वे भी भ्रष्टाचार फैलाते हैं तो इसका क्या इलाज किया जाय? उन्होंने मुझ से पूछा कि इलाज बतलाइये कि किस तरह से यह बन्द किया जाय। आपने देखा कि आपने २८ हजार पटवारियों को अलग कर दिया और उनके स्थान पर लेखपालों को रखा तो क्या इससे भ्रष्टाचार बन्द हो गया है? यह तो आपको मानना पड़ेगा कि मनुष्य का स्वभाव है कि अगर वह परिस्थितिवश ऐसा करता है तो उस परिस्थिति को जब तक बदला नहीं जायगा उसमें सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि वह परिस्थिति का शिकार होता रहेगा। वरना आप भरसक प्रयत्न करें, दूसरे तरीके से आप चाहें कि उसको बन्द कर दिया जाय वह बन्द होना असंभव है।

जहां तक बेरोजगारी का संबंध है उसका भी जिक्र किया गया। उसको तो सभी मानते हैं हमारे पं० जवाहर लाल नेहरू और हमारी कांग्रेस संस्था भी इस बात को तसलीम करती है कि हमारे देश में बेरोजगारी है और हमारे यहां बहुत बेकारी है। लोगों को रहने के लिये मकान नहीं है और दूसरी भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं लेकिन आप याद रखिये कि यह एक रोज में हल होने वाली चीज नहीं है। इसमें समय लगेगा। क्या आप नहीं जानते हैं कि रूस को कितना समय अपने देश की पंचवर्षीय योजना को बनाने में लगा था?

[श्री केशव गुप्त]

उसको करीब १० साल अपनी दस साला योजना को बनाने में लगे थे। सन् १९१७ ई० में जब कि उनको शासन मिला उसके बाद सन् १९२८ में वे अपनी पंच साला योजना आरम्भ कर सके थे। हमने तो इन सात सालों के अन्दर अपने यहां पंचवर्षीय योजना बना ली और उनको आरम्भ भी कर दिया है और अब उसके करीब करीब ३ वर्ष पूरे हो गये हैं और उसमें कुछ काम भी हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने एक बात कही कि गलत आंकड़े दिये जाते हैं। मैंने जब अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो यह बात कही थी कि जितना रुपया इन ५ सालों के अन्दर लगना चाहिये उसका ५१ फीसदी रुपया हमने खर्च कर दिया है और अपने यहां जो इस्टीमेंट थे उनका ७८ फीसदी कर दिया है। इसलिये यह बात कहना कि गलत आंकड़े दिये जाते हैं यह बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। बेकारी का प्रश्न एक महान् प्रश्न है। मैं आपको बताऊं कि इसकी ओर भी ध्यान दिया गया है और हमारी संस्था और हमारी सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है। हमने खासतौर से इस बात का एलान कर दिया है कि हमारे यहां सोशलिस्ट पैटर्न पर आर्थिक ढांचा हम करने जा रहे हैं। सोशलिस्ट पैटर्न कोई किसी एक देश की बपौती नहीं हो सकती है। उसका सहारा जो चाहे वह ले सकता है। विज्ञान के द्वारा सब उन्नति कर सकते हैं वह किसी से मांगने वाली चीज नहीं है। रूस में जिस प्रकार का सोशल पैटर्न बना उस प्रकार का चीन के अन्दर नहीं बना है और जिस प्रकार से चीन और रूस के अन्दर बना है वह यूगोस्लेविया के अन्दर नहीं बना है। हर एक काम देश और काम के अनुसार होता है और उसके अनुसार ही हर एक देश अपने यहां आर्थिक समस्या और सामाजिक समस्या हल करना चाहता है। और उसके हल निकालने की कोशिश करता है। उसी तरह से हम भी अपने यहां अपने देश में उसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात को मानना चाहिये।

जहां तक संविधान की बात है उसमें इस बात को मान लिया गया है कि हम अपने यहां एग्रीकल्चर की तरक्की के लिये जो संभव उपाय होंगे उनको करने का प्रयत्न करेंगे। यह चीज हम मान चुके हैं और इसके लिये संविधान में तब्दीली करने की जरूरत पड़ेगी तो उसको किया जायगा। हमको यह भी मानना पड़ेगा कि जितने उत्पादन के साधन हैं वे किसी एक हाथ में न रह-कर समाज के हाथ रहें। हमको यह भी मानना पड़ेगा कि एक आदमी के पास धन उपार्जन के लिये एक ही व्यवसाय रहे और जिसके पास ४ या ५ व्यवसाय हैं उनसे उनको लेकर समाज के हाथ में दे दिये जायं। हमको यह भी मानना पड़ेगा कि जिनके पास अपनी आवश्यकता से अधिक एक से ज्यादा मकान हैं या जो लोग किराये के मकानों में रहते हैं उनके ऊपर उनको उसके स्वामित्व के अधिकार दिये जायं और उनके लिये उनको हस्तगत किया जाय जिससे उनका सदुपयोग किया जाय और हमारे समाज की आर्थिक अवस्था सही तरीके पर हो सके। आज हम देखते हैं कि कितनी ही परसेंटेज जायदाद का दुरुपयोग हो रहा है। इन सब के सदुपयोग के लिये अगर हमको संविधान में तब्दीली करनी पड़ेगी तो उसको बदलने का प्रयत्न किया जायगा।

हमको यह देखना है कि जो ज्यादा मकान वाले हैं अगर उनके पास बीस मकान हैं तो कितने मकान की वास्तव में उनको जरूरत है? आज भी हमारे बहुत से गरीब भाई हैं जो सड़कों पर रात में बैठ-बैठ कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो इस बात को भी हमें देखना है कि अगर जरूरत होगी तो उसके लिये हमको अपने संविधान को भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि संविधान जो होता है वह देश को आगे बढ़ाने के लिये होता है, उसके द्वारा देश को आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिये। इसलिये ये सब चीजें हमारे सामने हैं और उसके लिये हमको अपने दृष्टिकोण को भी बदलना पड़ेगा और उसके लिये हमको सतत प्रयास करना पड़ेगा। यह काम केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं है इसका इसमें समावेश किया जाय, संविधान में तब्दीली करने का काम तमाम देश का है, और यह काम केंद्र से संबंधित है। जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है जहां तक उत्तर प्रदेश के बजट और उसकी

आर्थिक समस्या की सीमा का ताल्लुक है, उस सीमा के अन्दर रहते हुये हमें अपनी परिस्थिति पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश काफी उन्नति की ओर जा रहा है, यह बात सही है। संशोधनों में बहुत सी महत्व की बातें कही गयी हैं और यह बात नहीं है कि उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि हमने उन्नति का दरवाजा बन्द नहीं किया है। यदि कोई समाज यह मान ले कि हम उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके तो वह समाज या कौम मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसलिये हमको उन्नति के लिये कोई सीमा नहीं निर्धारित करनी है। हमको चाहिये कि हम जितनी भी उन्नति करते चले जायं उसके बाद भी यह कहते रहें कि हमें आगे अभी और उन्नति करनी है। इसी तरह से समाज और कौम के अन्दर जीवन का समावेश होता है। लेकिन यहां पर जितनी बातें कही गयीं उन सब का समावेश महामान्य राज्यपाल महोदय के छोटे से संबोधन में नहीं हो सकता था संविधान के आर्टिकिल १७६ के अनुसार उनकी एक सीमा है जिसके बाहर वे नहीं जा सकते हैं। उनको तो अपने ऐड्रेस में केवल संकेत मात्र करना होता है कि उनकी सरकार आगे क्या-क्या करने जा रही है। अगर उसमें गोवध निषेध अधिनियम बनाने की बात कही गयी तो क्या आप केवल वही अधिनियम बनायेंगे? जिन अधिनियमों के लिये उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा, क्या आप वही अधिनियम बनायेंगे? मेरी समझ में तो उनके सम्बोधन के अन्दर इस तरह की सब चीजें नहीं हो सकतीं और जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री बाबू जी ने आपके सामने फरमाया कि ऐसी छोटी चीजें न होनी चाहिये, न भविष्य में होनी चाहिये और न होने की जरूरत है। महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में उन कानूनों के ऊपर कोई रोशनी नहीं डाली जो आगे चल कर साल भर के अन्दर बनेंगे। इस तरह की बातों का जिक्र सम्बोधन में करना कोई उचित नहीं था। माननीय राज्यपाल ने अपने संबोधन में बहुत सी बातें बतलायीं कि शिक्षा के प्रसार के लिये हमारी सरकार आगे क्या करने जा रही है। इस संबंध में विशेष बातें विस्तार के साथ बजट के समय मालूम होंगी। और अधिक संकेत करना मुनासिब नहीं था। इसलिये मैं आशा करता हूं कि जितने भी संशोधन हैं उनके प्रस्तावक सज्जन अपने-अपने प्रस्तावों को वापस लेने की कृपा करेंगे और जो महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के संबंध में कृतज्ञता का प्रस्ताव पेश है उसे एक राय से पास करेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री केशव गुप्त का प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद प्रकट करते हैं, यह मूल प्रस्ताव है और इसके ऊपर २० संशोधन हैं। नियम १७८ के अनुसार मुझे अधिकार है कि मैं संशोधन पहले लूं या मूल प्रस्ताव पहले लूं। समय बचाने के लिये मैं इस वक्त यह उचित समझता हूं कि मूल प्रस्ताव के ऊपर मैं राय लेलूं। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं यह आगाह कर देना चाहता हूं कि मूल प्रस्ताव यदि पास हो जाय तो फिर कोई संशोधन नहीं लिया जायगा। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका संशोधन स्वीकार हो जाय, उनको इसके खिलाफ वोट करना चाहिये। यह मैंने इसलिये जाहिर कर दिया कि उनको शंका नहीं रहनी चाहिये कि वे यह सोचें कि मूल प्रस्ताव पास होने के बाद भी वे अपने संशोधन को 'ऐड' करा लेंगे। आप ऐसी कल्पना न करें। अगर वह चाहते हैं कि उनके संशोधन को यह सदन स्वीकार करे तो वह उस के खिलाफ वोट करें प्रस्ताव पास न हो तो फिर उनके संशोधन पर राय ली जा सकेगी यदि राय लेने का नतीजा यह होगा कि यह पारित को जायगा तो फिर अन्य संशोधन में राय के लिये नहीं उपस्थित करूंगा और वे गिर गये समझे जायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है.....

श्री अध्यक्ष—अब तो मेरा निर्णय हो चुका। अब कोई सुझाव नहीं आ सकता।

प्रश्न यह है कि यह मूल प्रस्ताव, जो मैंने अभी पढ़कर सुना दिया है, स्वीकार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन के भावी कार्य क्रम के विषय में सूचना

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाबवाला, मैं यह इत्तला देना चाहता हूं कि १४ तारीख को इस सदन में सप्लीमेंटरी एस्टीमेंट्स उपस्थित किये जायेंगे और उस रोज जो काम करने के लिये होगा वह एजेंडा पर आ जायगा और शुरू किया जायगा। वह काम यह हैं:---इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४, यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश, गन्ना (पूर्त्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक १९५४, यू० पी० रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट बिल। यह सब होंगे और इन के अलावा जो बिल कौंसिल में इनिशिएट किये जा रहे हैं वह भी होंगे, उनके नाम यह हैं:---एक तो यू० पी० जमींदारी अबालीशन ऐक्ट का संशोधन है, दूसरे एसेन्शियल सप्लाईज ऐक्ट का संशोधन उसकी मियाद को बढ़ाने के लिये है और यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज ऐक्ट की मियाद को बढ़ाने का संशोधन है, यह ३ बिल हैं और इनके अलावा वह हैं जो मैंने पहले पढ़कर सुनाये। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था विधेयक, है, उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, है, उत्तर प्रदेश तकावी विधेयक है, उत्तर प्रदेश चल चित्र विनियमन विधेयक है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों-मंत्रियों-उपमंत्रियों और सभासचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक है, यह सब लेजिसलेटिव बिजिनेस है जो १४ तारीख के एजेंडा में आयेगा और शुरू होगा और १५ तारीख को यह छूट कर सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स पर जनरल डिसकशन होगा।

श्री अध्यक्ष---तो १४ को इन बिलों पर विचार होगा, जितना हो सकेगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, १५ को सप्लीमेंटरी पर जनरल डिस्कशन होगा और १६ को उन पर अलग अलग वोटिंग होगी। उसी दिन १६ को वोटिंग के बाद उसी वक्त एप्रोप्रियेशन बिल पेश किया जायगा और उसको पास किया जायगा यानी १६ की शाम को। और उसके बाद वह १७ को विधान परिषद में चला जायगा और यहां १७-१८ को जिस लेजिस्लेटिव बिजिनेस का मैंने जिक्र किया वह जारी रहेगा। १९ और २० को शनिश्चर और इतवार की छुट्टी रहेगी और २१ को बजट पेश होगा। उसके बाद फिर २२ को लेजिस्लेटिव बिजिनेस होगा। फिर २३, २४ और २५ तारीख को बजट पर जेनरल डिस्कशन होगा और फिर २८ फरवरी, से लेकर २९ मार्च तक वोटिंग आन डिमान्ड्स की तारीखें हैं और उसमें ६ से १३ तक छुट्टी रहेगी। इन वोटिंग आन डिमांडस की तारीखें मैं अगर अलग बतला दूं। २८ फरवरी, उसके बाद पहली दूसरी, तीसरी और चौथी और उसके बाद १४, १५ १६, १७, १८, २१, २२, २३, २४, २५, २८ और २९ मार्च को वोटिंग आन डिमांड्स होगा। २९ तारीख को तीसरे पहर तक डिपार्टमेंट का बजट जारी रहेगा और तीसरे पहर के बाद एप्रोप्रिएशन बिल पेश होगा और वह पास किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---और ३० को ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---३० को और काम रहेगा।

श्री अध्यक्ष---३० को "लेजिस्लेटिव बिजनेस पेंडिंग आन मार्च ५' लिया जावेगा। क्या ऐसा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, यह तो बिजनेस २९ तारीख तक का है और उसके बाद जो बिजनेस आता रहेगा वह होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मुझे कुछ निवेदन करना है। आपको याद होगा कि पिछले सत्रावसान के अवसर पर इस संबंध में विरोधी दल के उपनेता ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सुझाव दिया था कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हो जाना चाहिये और आपने भी इस संबंध में सरकार को कुछ निर्देश किया था लेकिन इस समय माननीय मंत्री जी ने उस संबंध में कोई जिक्र नहीं किया। दूसरी बात एप्रोप्रियेशन बिल के संबंध में पिछले सप्लीमेंटरी बजट के अवसर पर यह कहा गया था कि इस दफा कोई नोटिस नहीं मिली लेकिन अगली दफा उस पर समय दिया जायगा और उसी दिन वोट आन डिमांड्स के दिन उस पर वोट नहीं लिये जायेंगे बल्कि उस पर समय दिया जायगा। तो अभी जो घोषणा एप्रोप्रियेशन बिल के संबंध में की गई है कि वोट आन डिमांड्स के खत्म होने के बाद एकदम एप्रोप्रियेशन बिल आ जायगा, मैं चाहता हूं कि उस पर कम से कम एक दिन का समय अवश्य दिया जाय ताकि उस पर विवाद हो सके।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह सही बात है और मैं खुद इकरार करता हूं कि यह बात थी और अर्ज करता हूं कि अब की सेशन शुरू होगा तो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट और उसके रूल्स वगैरह जो थे उन पर विवाद करा लिया जायगा। लेकिन जहां तक कि जिन साहब ने एतराज फरमाया है उनका ताल्लुक है मेरे ख्याल में उनको तो एतराज नहीं होना चाहिये था क्योंकि उनकी पार्टी ने यह बात बिल्कुल मंजूर की है कि जिस तरह से मैंने रक्खा है कि बिजनेस इस तरीके से हो और बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वे बाद को जब यह बिजनेस हो जाय उस वक्त किसी दिन रख कर किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—अगर आपने यह पहले जिक्र कर दिया होता कि उसके बाद यह हो जायगा तो वह एतराज न करते।

अब दूसरी बात एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में उन्होंने कही है लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया है। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं या आपको कोई एतराज है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, मुझे बिल्कुल मंजूर था लेकिन अब तो यह प्रोग्राम तै हो चुका है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, हाफिज जी ने जो, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जो बात बात कही है कि हम ने इस प्रोग्राम को मान लिया था वह तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बिल हैं जो सरकार आर्डिनेंसेज पेश कर चुकी है उनके ऊपर हैं, उन के लिये बहस की जा सकती है लेकिन अभी वह वक्त नहीं है। हमारी जब बातचीत हुई थी उस समय वह समस्या हमारे सामने नहीं थी कि आर्डिनेंसेज वाले बिल पर हम गौर करेंगे तो हम ने इस प्रोग्राम पर अपनी राय दे दी थी। लेकिन मैं अब सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जमींदारी अबालीशन बिल के नियम और पी० एस० सी० की रिपोर्ट पर विचार बजट के पास हो जाने के बाद कर लिया जाय। मैंने इसलिये इस बात का जिक्र इस वक्त कर दिया ताकि बाद में झगड़ा न हो कि आप ने उस वक्त स्वीकार कर लिया था और समझौता कर लिया था, इस की गुंजाइश न रहे।

श्री अध्यक्ष—जो पेंडिंग बिल्स हैं क्या उन के बारे में आप कह रहे हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हां।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—असल में हुंजूर, जो बातचीत हुई थी उस में सिर्फ लेजिस्लेटिव बिजनेस का जिक्र था और वह सिर्फ लेजिस्लेटिव बिजिनेस के लफ्ज के साथ हुई है। उस में यह स्पेसिफिकेशन या अलग-अलग तजकिरा नहीं हुआ था कि फलां फलां किस्म का लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा, लेकिन जो बात हुई थी उसी के मुताबिक मैंने यह रखा है लेकिन यह बात तो तय है कि जो रूल्स हैं और जो रिपोर्ट हैं पी० एस० सी० की या पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की वह सब रिपोर्टें इस सेशन में आ जायंगी।

श्री अध्यक्ष—उन पर बहस इस सत्र में हो जायगी या नहीं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, जिन पर बहस हो सकती है उन पर तब तक इस हाउस को न छोड़ा जाय जब तक बजट वगैरा खत्म कर लेने के बाद उन कामों को भी उससे न करा लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो यह निश्चित रहा कि यह सत्र तब तक नहीं उठेगा जब तक उन सब के ऊपर बहस न हो जाय।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर सोमवार, १४ फरवरी, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१२ फरवरी, १९५५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ १६१ पर)

उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १९५५

उत्तर प्रदेश में पथ परिवहन सेवा के विकास की तथा तत्संबंधी अन्य मामलों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) अध्यादेश, १९५५, राज्यपाल ने प्रचारित किया था ;

और सार्वजनिक हित तथा पथ-परिवहन के सुदक्ष संगठन के हेतु तथा राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक साधनों के नियोजित विकास के लिये उक्त अध्यादेश के उपबन्धों के स्थान पर विधान मंडल के अधिनियम की व्यवस्था करना आवश्यक है, अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह १८ जून, १९५१ को और उससे प्रचलित हुआ समझा जायगा ।

परिभाषायें

२—(१) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) "निश्चित दिनांक" का तात्पर्य ४ फरवरी, १९५५ से है ;

(ख) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(ग) "सार्वजनिक सेवा वाहन" का वही अर्थ होगा जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में "पब्लिक सर्विस वेहिकिल्स" का है, और इसके अन्तर्गत सार्वजनिक वाहक (Public Carrier) भी है ।

(घ) "मार्ग" (Route) का तात्पर्य किसी पथ अथवा पथों अथवा पथ या पथों के भाग या भागों से है जिसके या जिनके ऊपर कोई परिवहन वाहन(Transport Vehicle) ऐसी अनुज्ञा (Permit) के अन्तर्गत प्रयोग के लिये अधिकृत हो जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन दी गयी हो या इस अधिनियम के न रहते दी जाती ;

(ङ) "राज्य पथ-परिवहन सेवा" (State Road Transport Service) का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक सेवा वाहन द्वारा परिवहन सेवा से है,

(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(छ) "ट्रांसपोर्ट कमिश्नर" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से है तथा उसके अन्तर्गत

कोई ऐसा अन्य अधिकारी भी है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के कृत्यों के संपादनार्थ अधिकृत करे ;

(ज) उन शब्दों तथा पदों के, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है, किन्तु जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में पारिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में दिये गये हैं।

(२) इस अधिनियम में मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अन्तर्गत दिये गये किसी अनुज्ञा पत्र (Permit) के अभिदेश से उस दशा में जहां उक्त अनुज्ञा-पत्र के अधीनस्थ एक से अधिक वाहन हों यह समझा जायगा मानों वह ऐसे प्रत्येक वाहन के लिये पृथक रूप से दिया गया कोई अनुज्ञा पत्र है।

पथ-परिवहन सेवा संचालन का राज्य सरकार को अधिकार ।

३---(१) यदि राज्य सरकार के मतानुसार सार्वजनिक हित तथा सामान्य कल्याण के लिये अथवा सुदक्ष पथ-परिवहन प्रणाली को विकसित एवं चालू रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके प्रख्यापित कर सकती है कि किसी ऐसे मार्ग पर उसके किसी भाग में, जो निर्दिष्टकिया जाय, साधारणतः अथवा किसी वर्ग विशेष की पथ परिवहन सेवायें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार केवल राज्य सरकार द्वारा ही, अथवा रेलवे के सहयोग में(in conjunction with railways) राज्य सरकार द्वारा अथवा अंशतः राज्य सरकार द्वारा और अंशतः दूसरों द्वारा चालित और संचालित (run and operated) होंगी।

(२) उपधारा(१)के अधीन विज्ञप्ति उसमें वर्णित तथ्यों(facts) के विषय में निश्चायक साक्ष्य (conclusive evidence) होगी ।

राज्य पथ-परिवाहन सेवा की योजना

४---(१) धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार अथवा यदि राज्य सरकार आदेश दे तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, धारा ३ के अधीन प्रख्यापन के अनुसार राज्य पथ-परिवहन सेवा की योजना निर्दिष्ट रीति से प्रकाशित करेंगे ।

(२) उपधारा (१) के अधीन योजना में निम्नलिखित में से किन्हीं अथवा सभी बातों की व्यवस्था होगी, अर्थात्---

(क) वह दिनांक जिस पर राज्य पथ-परिवहन सेवा के संचालन का आरम्भ होगा ;

(ख) वह मार्ग अथवा मार्ग का भाग जिस पर राज्य पथ-परिवहन सेवा की व्यवस्था की जायगी ;

(ग) वे राज्य पथ-परिवहन सेवायें जिनकी किसी मार्ग अथवा उसके किसी भाग पर व्यवस्था की जाने वाली हो तथा उस मार्ग अथवा उसके किसी भाग पर योजना से भिन्न परिवहन सेवाओं के निषेध अथवा निरोध की व्यवस्था ;

(घ) वह आयति (extent), यदि कोई हो, जिस तक खंड (ख) में निर्दिष्ट मार्ग अथवा उसके किसी भाग पर राज्य सरकार के अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों द्वारा पथ-परिवहन सेवाओं की व्यवस्था की अनुमति दी जा सकेगी ;

(ङ) वे पथ परिवहन-सेवायें जिनकी व्यवस्था केवल राज्य सरकार करेगी अथवा जिनकी व्यवस्था राज्य सरकार रेलवे के सहयोग में करेगी ;

(च) ऐसी सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले परिवहन वाहनों (transport vehicles) का प्रकार और वहन क्षमता (type and carrying capacity);

(छ) मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अधीन दिये गये वर्तमान अनुज्ञापत्रों (permits) का निरसन (cancellations) अथवा परिष्करण, (modification);

(ज) मार्ग पर चलने वाले परिवहन वाहनों की संख्या में कमी;

(झ) वर्तमान अनुज्ञा पत्रों के अन्तर्गत मार्ग का कम किया जाना (curtailment) अथवा अन्य मार्ग अथवा मार्गों पर अनुज्ञापत्रों का संक्रामण (transfer);

(ञ) यात्रियों की सुविधा; तथा

(ट) अन्य ऐसे पारिमाणिक अथवा आनुषंगिक (consequential or incidental) मामले जो योजना के प्रयोजनों के निमित्त अपेक्षित अथवा आवश्यक हों ;

(३) जब धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के अनुसार कोई परिवहन सेवा अंशतः राज्य सरकार द्वारा और अंशतः दूसरों द्वारा चालित और संचालित होने को हो, और उपधारा (२) के खंड (छ) के अधीन वर्तमान अनुज्ञापत्रों का निरसन अथवा परिष्करण आवश्यक हो गया हो, तो योजना में निरस्त अथवा परिष्कृत किये जाने वाले अनुज्ञापत्रों के ब्योरों की भी व्यवस्था होगी और ऐसा करने में राज्य सराकार अथवा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जैसी भी दशा हो, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे अर्थात्—

(क) अवधि के आधार पर सबसे पुराने अनुज्ञापत्र दूसरों की अपेक्षा पहले निरस्त अथवा परिष्कृत किये जायेंगे;

(ख) जब एक ही व्यक्ति के पास एक ही मार्ग पर दो या दो से अधिक अनुज्ञा-पत्र हों, तो यथासंभाव कम से कम एक अनुज्ञा-पत्र निरस्त अथवा परिष्कृत नहीं किया जायगा;

(ग) अनुज्ञा-पत्र के अधीनस्थ वाहन की दशा; तथा

(घ) अन्य कोई ऐसी बात जो नियत की जाय।

(४) उपधारा (२) के खंड (झ) के अधीन अन्य मार्गों पर अनुज्ञा-पत्रों के संक्रामण की व्यवस्था करने में मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ४७ की उपधारा (१) अथवा धारा ५५ की उपधारा (१) जो भी प्रवृत्त हो, के उपबन्धों का ध्यान रखा जायगा। किन्तु किसी ऐसे संक्रामण के संबंध में किसी कार्यवाही में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी (shall not be questioned) कि इस प्रकार संक्रामित कोई अनुज्ञा-पत्र उक्त ऐक्ट के चैप्टर ४ के अधीन निश्चित संख्या—सीमा से बढ़ जायगा।

अनुज्ञा-पत्रों के निरसन अथवा संक्रामण का नोटिस।

५—(१) यदि धारा ४ के अधीन प्रकाशित योजना में मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अन्तर्गत दिये गये किसी वर्तमान अनुज्ञा-पत्र के निरसन की अथवा ऐसे अनुज्ञापत्र के किसी अन्य मार्ग अथवा मार्गों पर संक्रामण की व्यवस्था की गई हो तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर संबद्ध अनुज्ञापत्र

गृहीता (permit holder) तथा अन्य किसी व्यक्ति पर जिसको उसके मतानुसार विशेष नोटिस दिया जाना चाहिये, नोटिस तामील करायेगा। नोटिस में अनुज्ञापत्र गृहीता से उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस आशय का लिखित प्राक्कथन (Statement) प्रस्तुत करने को भी कहा जायगा कि वह अनुज्ञा-पत्र के संक्रामण से सहमत है या नहीं।

(२) यदि अनुज्ञापत्र गृहीता अनुज्ञापत्र के संक्रामण से सहमत हो और यदि अन्त में अनुज्ञापत्र वास्तव में इस प्रकार संक्रामित कर दिया जाय, तो उसे धारा ११ के अधीन प्रतिकर (compensation) के दावे का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, किन्तु अनुज्ञापत्र का संक्रामण प्रतिकर के उपलक्ष्य में समझा जायगा तथा उसके विषय में राज्य सरकार का पूर्ण उत्सर्जन (complete discharge) समझा जायगा। किन्तु यदि अनुज्ञापत्र गृहीता संक्रामण से सहमत न हो, तो उक्त धारा के अधीन अनुज्ञापत्र गृहीता के प्रतिकर पाने के अधिकार पर विपरीत प्रभाव डाले बिना अनुज्ञापत्र का निरसन किया जा सकेगा।

आपत्तियां

६---कोई भी व्यक्ति जिसके स्वत्वों पर प्रभाव पड़ता हो, योजना के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर तत्संबंधी आपत्तियां ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जो उन्हें धारा ७ के अधीन संगठित बोर्ड (मंडल) के पास अग्रसारित (forward) करेगा।

७---(१) एक बोर्ड (मंडल) संगठित किया जायगा जिसमें निम्न लिखित होंगे---

(१) एक डिवीजन का कमिश्नर जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी;

(२) परिवहन विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार सेक्रेटरी; तथा

(३) ट्रांसपोर्ट कमिश्नर।

(२) बोर्ड धारा ६ के अधीन उसे अग्रसारित आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करके योजना को पुष्ट (confirm), परिष्कृत (modify) अथवा परिवर्तित (alter) कर सकता है।

अंतिम योजना

८---धारा ७ के अधीन पुष्ट परिष्कृत अथवा परिवर्तित योजना सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी और तत्पश्चात् वह अंतिम हो जायगी और जिस मार्ग से उसका संबंध होगा वह विज्ञप्त मार्ग (notified route) कहलायेगा।

योजना का परिवर्तन अथवा परिष्करण।

९---(१) धारा ८ के अधीन प्रकाशित कोई भी योजना राज्य सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार की स्वीकृति से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा किसी समय निरस्त, परिवर्तित अथवा परिष्कृत की जा सकेगी;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अथवा रेलवे के सहयोग में राज्य सरकार द्वारा चालित और संचालित पथ परिवहन सेवाओं की केवल संख्या में अथवा प्रयुक्त परिवहन वाहनों में अथवा उनके प्रकारों में अथवा बैठने के स्थान में वृद्धि अथवा कमी अथवा किसी विज्ञप्त मार्ग का कम किया जाना इस धारा के प्रयोजनों के लिये योजना का परिष्कार अथवा परिवर्तन नहीं समझा जायगा।

(२) धारा ४ से ८ तक में उल्लिखित प्रक्रिया का, यथा प्रवृत्ति, (so far as can be made applicable) योजना को परिवर्तित अथवा परिष्कृत करने में अनुसरण किया जायगा मानो ऐसा परिवर्तन अथवा परिष्कार एक अलग योजना हो।

धारा ८ के अधीन योजना के प्रकाशन का परिणाम ।

१०—(१) धारा ८ के अधीन योजना प्रकाशित होने पर और जब तक वह प्रचलित रहे यहां पर आगे चलकर बताये गये परिणाम योजना के आरम्भ के दिनांक से विज्ञप्त मार्ग के सम्बन्ध में सप्रभाव होंगे —

(क) राज्य सरकार द्वारा अथवा रेलवे के सहयोग में राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त परिवहन वाहनों के बारे में, राज्य सरकार मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के उपबन्धों के अनुपालन से निम्नलिखित के सम्बन्ध में जैसा कि वह उस विषय में सरकारी गजट में विज्ञापित करे, अंशतः अथवा पूर्णतः छूट की व्यवस्था कर सकती है :—

(१) अनुज्ञा–पत्रों के लेने अथवा स्वीकार करने अथवा हस्ताक्षरित (counter signing) करने की आवश्यकता ,

(२) अनुज्ञा–पत्रों की अवधि तथा नवीकरण (renewal),

(३) अनुज्ञा–पत्रों से संलग्न प्रतिबन्ध (conditions),

(४) अनुज्ञा–पत्रों का निरसन (cancellation) तथा स्थगन (suspension),

(५) अनुज्ञा–पत्रों की संख्या पर निरोध (restriction),

(ख) कोई भी व्यक्ति (अकेले अथवा रेलवे के सहयोग में राज्य सरकार को छोड़ कर) खंड (ग) के अधीन की गयी व्यवस्था को छोड़ कर मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अधीन अनुज्ञा–पत्र का अधिकारी न होगा ।

(ग) राज्य सरकार ऐसे परिवहन वाहनों की, यदि कोई हों, संख्या निर्दिष्ट कर सकती है जिसके निमित्त राज्य सरकार अथवा रेलवे के सहयोग में राज्य सरकार से भिन्न व्यक्तियों के पक्ष में अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत अथवा प्रति–हस्ताक्षरित किये जा सकते हैं ।

(घ) राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी नियत रीति से किसी अनुज्ञा–पत्र को निरस्त कर सकता है अथवा किसी अन्य मार्ग के लिये संक्रामित कर सकता है अथवा आदेश दे सकता है कि किसी अनुज्ञा–पत्र का अथवा अनुज्ञापत्रों के वर्ग का नवीकरण न हो सकेगा अथवा वे ऐसे दिनांक से, जो निर्दिष्ट किया जाय, सप्रभाव न रहेंगे, अथवा किसी अनुज्ञा-पत्र के अन्तर्गत वाहनों की संख्या या मार्ग में कमी कर सकता है अथवा मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अधीन स्वीकृत अनुज्ञा–पत्र की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है ।

(ङ) सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट १९३९ के अधीन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी, रजिस्टरिंग अथारिटी अथवा लाइसेंसिंग अथारिटी के सभी अथवा कोई कृत्य (functions) कर्तव्य (duties) तथा अधिकार (powers) विज्ञप्ति में निर्दिष्ट आयति (extent) तक और रीति (manner) से ऐसे अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा उत्सर्जित, संपादित अथवा प्रयुक्त (discharged, performed or exercised) होंगे जैसा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय ।

(च) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी अथवा अन्य किसी प्राधिकारी को ऐसा आदेश प्रचारित कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे और ऐसा अधिकारी अथवा प्राधिकारी ऐसे सभी आदेशों और आज्ञाओं का तुरन्त पालन करेगा ।

(२) उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन तथा अनुसार संक्रामित कोई अनुज्ञापत्र उसी प्रकार सप्रभाव होगा और सप्रभाव समझा जायगा मानों वह अपनी वैधता (validity) की अवशिष्ट अवधि के लिये मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अधीन स्वीकृत अनुज्ञापत्र हो।

(३) मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ४४ की उपधारा (२) की कोई भी बात उपधारा (१) के खंड (ङ) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी पर प्रयुक्त न होगी।

अपरिपक्व अनुज्ञा-पत्रों के निरसन अथवा मार्ग अथवा मार्गों में कमी करने के उपलक्ष्य में प्रतिकर।

११—(१) यदि धारा ८ के अधीन प्रकाशित योजना के अनुसार मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अधीन स्वीकृत कोई वर्तमान अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जाय, या निरस्त किया गया समझा जाय अथवा तदन्तर्गत मार्ग या मार्गों में कमी की जाय या की गयी समझी जाय तो उस दशा को छोड़ कर जहां अनुज्ञा-पत्र के संक्रामण से धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन सहमति हो, अनुज्ञा पत्र-गृहीता राज्य सरकार से अनुसूची १ में निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार अवधारित प्रतिकर अनुज्ञापत्र के अपरिपक्व निरसन (premature cancellation) अथवा तदन्तर्गत मार्ग अथवा मार्गों में कमी के, जैसी भी दशा हो, उपलक्ष्य में प्राप्त करने का अधिकारी होगा और प्राप्त करेगा।

(२) इस धारा के अधीन देय (payable) प्रतिकर अनुज्ञापत्र के निरसन अथवा तदन्तर्गत मार्ग में कमी की आज्ञा के दिनांक से देय होगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन अवधारित प्रतिकर की धनराशि पर अनुज्ञापत्र के निरसन अथवा मार्ग में कमी की आज्ञा के दिनांक से उपर्युक्त प्रकार से प्रतिकर के अवधारण के दिनांक तक २ १/२ प्रतिशत के हिसाब से राज्य सरकार द्वारा ब्याज दिया जायगा।

(४) इस धारा के अधीन देय प्रतिकर नकदी में दिया जायगा।

(५) उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार दी जाने वाली प्रतिकर की धनराशि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा अवधारित की जायगी और अनुज्ञापत्र गृहीता को इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर की पूरी भरपाई (full satisfaction) के उपलक्ष्य में प्रस्तुत (offer) की जायगी और यदि इस प्रकार प्रस्तुत धनराशि (amount so offered) अनुज्ञा-पत्र-गृहीता को स्वीकार न हो तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऐसी अवधि के भीतर तथा उस रीति से, जो नियत की जाय, मामला डिस्ट्रिक्ट जज को निर्णय के लिये अभिदिष्ट (refer) करेगा और इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

मोटर वाहनों की खरीद।

१२—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अन्तर्गत दिया गया कोई अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने पर अथवा धारा ७ के अधीन प्रकाशित योजना के अनुसार अनुज्ञापत्र से सम्बद्ध मार्ग में कमी किये जाने पर, यदि अनुज्ञा-पत्र-गृहीता अनुज्ञापत्र के अधीनस्थ मोटर वाहन बेचना चाहे तो राज्य सरकार ऐसे वाहन को अनुसूची २ में दिये गये प्रतिबन्धों तथा शर्तों पर खरीद सकती है।

किन्तु प्रथमतः प्रतिबन्ध यह है कि वाहन इस प्रकार के निर्माण और प्रकार की हो जो सरकार द्वारा विज्ञापित किये जाय, तथा

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि वाहन यांत्रिक रूप से ठीक दशा में हो और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अथवा उसके नामांकिती (Nominee) द्वारा अन्य प्रकार से ठीक प्रख्यापित कर दी गयी हो।

१३—राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के यदि कोई हों, अधीन, अन्य लक्ष्यों के साथ-साथ मोटर परिवहन उद्योग के विकास के लिये राज्य सरकार : मोटर परिवहन उद्योग का विकास।

(क) मोटर वाहनों अथवा अन्य मशीनों, उनके भागों, आनुषंगिकों (accessories) तथा पुर्जों (instruments) की मरम्मत, विकरण (overhaul), पुनर्निर्माण (re-construction) संगठन (assemblage) अथवा पुनस्संगठन (re-conditioning) के निमित्त तथा ऐसे भागों, आनुषंगिकों तथा पुर्जों के निर्माण के हेतु उद्योगशालायें (Workshops) स्थापित कर सकती हैं अथवा तदनुरूप अन्य प्रबन्ध कर सकती है ;

(ख) मोटर परिवहन से सम्बद्ध मामलों के प्रशिक्षण की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिये व्यवस्था कर सकती है ;

(ग) पथ-परिवहन में प्रयुक्त मोटर वाहनों के प्रकार के सम्बन्ध में, तथा इस अधिनियम के अधीन व्यवस्थित राज्य-पथ परिवहन सेवाओं के सम्बन्ध में जिसमें आहार (catering) उपाहार-गृह (restaurants) ,मालगोदाम तथा बड़े गोदाम (ware houses) की व्यवस्था भी सम्मिलित है, ऐसी कार्यवाही कर सकती है जिससे उनमें सुधार हो सकें; तथा

(घ) सामान्यतया ऐसी सब कार्यवाहियां कर सकती है जिनसे मोटर परिवहन सेवाओं की दक्षता बढ़े।

१४—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर सकती है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर।

(२) ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऐसे कर्त्तव्यों का पालन और अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियत किये जायं।

१५—(१) राज्य सरकार सेवा की दक्षता एवं जन-साधारण की सुविधा से संबंधित किसी मामले के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों के लिये एक या एक से अधिक परामर्शदात्री समितियां नियुक्त कर सकती है। परामर्शदात्री समितियों की नियुक्ति।

(२) समिति में उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार नियुक्त करे।

(३) समिति और उसके सदस्यों का कार्यकाल (term), आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की रीति, इसकी कार्य प्रतिक्रिया तथा इसके कार्य का संचालन उस प्रकार होगा जैसा नियत किया जाय।

१६—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के, धारा ३ में निर्दिष्ट अधिकारों को, छोड़ कर, इस अधिनियम के अधीन अपने को प्राप्त अधिकारों में से किसी अधिकार को किसी भी अपने अधीनस्थ अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट निरोधों और प्रतिबन्धों के अधीन प्रयोग किये जाने के लिये, सौंप सकती है। अधिकारों का प्रतिनिधायन (delegation)

१७—(१) जो कोई व्यक्ति धारा १० के खंड (ग) के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी सार्वजनिक सेवा वाहन को चलायेगा अथवा प्रयोग करायेगा या प्रयोग करने की अनुमति देगा वह अर्थ दंड द्वारा, जो पांच सौ रुपया तक हो सकता है, दंडनीय होगा। धारा ९ का उल्लंघन करके किसी सार्वजनिक सेवा वाहन का प्रयोग अपराध होगा।

(२) इस धारा की कोई भी बात आपात (emergency) के समय किसी भी सार्वजनिक सेवा वाहन द्वारा रोग पीड़ित अथवा क्षत-विक्षत

(suffering from injury) व्यक्तियों के ढोने अथवा शवों के परिवहन अथवा आपत्ति निवारणार्थ औषधियों के परिवहन पर प्रयुक्त न होगी ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वाहन का चालक व्यक्ति सात दिनों के भीतर ऐसे प्रयोग के विषय में नियत प्राधिकारी को आख्या (report) देगा।

सार्वजनिक वाहक अथवा राज्य सरकार के संवित वाहकों (contract carriage) के संबंध में अधिकार प्रदान।

१८—धारा १० के उपबन्धों को बाधित न करते हुये किन्तु मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में किसी बात के होते हुये भी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अथवा उसके द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त किसी भी अधिकारी के लिये यह वैध (lawful) होगा कि वह राज्य सरकार के किसी भी सार्वजनिक भार-वाहक (public carrier) अथवा संवित वाहक (contract carriage) को उत्तर प्रदेश के किसी मार्ग पर अथवा सभी मार्गों पर चलाये जाने के लिये अधिकृत करे और तब उपर्युक्त सार्वजनिक-सेवा-वाहक उसी प्रकार प्रयोग में लाया जा सकेगा मानो उक्त अधिकार प्रदान मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के उपबन्धों के अधीन अथवा अनुसार दिया गया अनुज्ञा-पत्र था।

कार्यवाहियों तथा कार्यों का वैधीकरण (validation)।

१९—(१) धारा १७ के अधीन अनुज्ञा पत्र के निरसन अथवा तदन्तर्गत मार्ग में कमी के उपलक्ष्य में किसी भी व्यक्ति के धारा ११ के अधीन प्रतिकर पाने के अधिकार को मानते हुये यदि कोई हो, किन्तु तत्समय प्रचलित किसी अन्य उपबन्ध को बाधित न करते हुये :

(क) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश राजकीय पथ-परिवहन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा अनुसार किसी भी प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञायें, किये गये कार्य अथवा कार्यवाहियों प्रचारित आदेश अथवा प्रयुक्त अधिक्षेत्र (jurisdictions) अथवा उक्त अधिनियम के अधीन इस प्रकार दी गई, किये गये, प्रचारित अथवा प्रयुक्त समझे गये, विधि की दृष्टि से किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी का कोई निर्णय (Judgment) डिक्री, आज्ञा या विनिश्चय (decision) होते हुये भी, उसी प्रकार वैध और ठीक समझे जायेंगे मानो ऐसी आज्ञायें, कार्य, कार्यवाहियां, आदेश तथा अधिक्षेत्र इस अधिनियम की अधीन यथोचित रूप से दी गयी, किये गये, प्रचारित अथवा प्रयुक्त किये गये हों ;

(ख) अनुज्ञापत्र से संबंधित मार्ग पर राज्य पथ-परिवहन सेवा के चलन और संचलन अथवा चलन और संचलन के आरम्भ के कारण निश्चित दिनांक पर या उससे पहले दी गई, परिवहन वाहन के किसी अनुज्ञापत्र का निरसन अथवा तदन्तर्गत मार्ग में कमी करने वाली अथवा कोई नया प्रतिबन्ध लगाने वाली अथवा ऐसे वाहन के निमित्त पहले से किसी अनुज्ञा-पत्र से संलग्न प्रतिबन्धों का परिवर्तन करने वाली प्रत्येक आज्ञा तथा किसी मार्ग पर प्रयुक्त होने वाले परिवहन वाहनों की संख्या को निरुद्ध करने वाली अथवा अन्यथा निश्चित करने वाली या अनुज्ञापत्र से संबद्ध मार्ग परिवर्तित करने वाली प्रत्येक आज्ञा तथा पहले से स्वीकृत किसी अनुज्ञापत्र के नवीकरण (renewal) को अस्वीकार करने वाली प्रत्येक आज्ञा, विधि की दृष्टि से, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में किसी बात के होते हुये भी वैध होगी और एतद्द्वारा वैध की जाती और वैध प्रख्यापित की जाती है; तथा

(ग) सरकारी गजट में इस अधिनियम के प्रथम प्रकाशन के दिनांक पर किसी भी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी के समक्ष मूल कार्यवाही अथवा अपील अथवा अन्य किसी रूप से विचाराधीन सभी वाद तथा अन्य कार्यवाहियां (suits or proceedings) इस प्रकार निर्णीत की जांयगी मानों यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित रहा हो (as if this Act had been in force on all material dates)।

(२) उपधारा १ के खंड (क) के उपबन्धों की सामान्यता को बाधित न करते हुये, एतद्द्वारा प्राख्यापित किया जाता है कि:—

(क) प्रत्येक मार्ग जिस पर निश्चित दिनांक को राज्य पथ-परिवहन सेवा संचालित थी तथा प्रत्येक ऐसी सेवा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट मार्ग समझा जायगा तथा धारा ४ से ८ तक के अधीन तथा अनुसार यथोचित रूप से निर्मित और प्रकाशित योजना के अधीन संचालित सेवा समझी जायगी ;

(ख) निश्चित दिनांक से पूर्व मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चेप्टर ४ के अधीन स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र के निरसन अथवा उसमें कमी करने की प्रत्येक आज्ञा तथा अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत मार्ग में कमी करने की अथवा ऐसे अनुज्ञापत्र के किसी दूसरे मार्ग अथवा मार्गों पर संक्रामण की प्रत्येक आज्ञा धारा १० के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार दी गयी समझी जायेगी और ऐसे निरसन कमी करने अथवा संक्रामण के संबंध में धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी, और

(ग) यदि किसी व्यक्ति को जिसका अनुज्ञापत्र अथवा जिसके अनुज्ञापत्र उपर्युक्त प्रकार से निरस्त कर दिये गये हों इस प्रकार निरस्त अनुज्ञा पत्र अथवा पत्रों के उपलक्ष्य में अथवा तत्संबंधी रियायत (concession) के रूप में किसी अन्य मार्ग के लिये ऐसे निरसन के दिनांक से छः मास के भीतर एक या एक से अधिक अनुज्ञा-पत्र दिये गये हों तो धारा ५ के आशय के अन्तर्गत इस अनुज्ञापत्र अथवा पत्रों का ऐसे अन्य मार्ग के लिये अनुज्ञापत्र गृहीता को नोटिस दे कर और उनकी सहमति से किया हुआ संक्रामण समझा जायगा।

निरसन और अपवाद (Repeals and savings)।

२०—(१) उत्तर प्रदेश पथ परिवहन सेवा (विकास) अध्यादेश, १९५५ एतद्द्वारा निरस्त (repealed) किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज, ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों कि यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त विधायन (enactment repealed by a U. P. Act) हो।

(२) शंका निवारणार्थ एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि यह निरसन अथवा उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा १९५० ई० के उत्तर प्रदेश राजकीय पथ-परिवहन अधिनियम का निरासन निम्नलिखित की वैधता पर विपरीत प्रभाव न डालेगा, अथवा उसे प्रभावित न करेगा।

(क) उक्त अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट कोई राजकीय पथ-परिवहन सेवा अथवा आज्ञा और वे विधि की दृष्टि से वैसे ही वैध रहेंगे, मानों उक्त अधिनियम निरस्त न हुआ हो ;

(ख) उक्त अधिनियम अथवा अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, जिसमें की गयी कोई नियुक्ति, दिया गया प्रार्थना-पत्र, प्रचारित विज्ञप्ति, आज्ञा, अनुदेश अथवा आदेश, निर्मित नियम, आकार-पत्र (form), उपविधि (bye-law) अथवा योजना (scheme), स्वीकृति, प्रमाण पत्र (certificate), अनुज्ञा पत्र (permit) अथवा लाइसेंस तथा किया गया निबंधन (registration) सम्मिलित है, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत (inconsistent) न हों, सप्रभाव रहेंगे (continue in force) तथा इस अधिनियम के तत्सदृश्य (corresponding) उपबन्धों के अनुसार किये गये अथवा संपादित समझे जायेंगे ;

इस अधिनियम के उबबन्धों की मान्यता।

२१—(१) जब इस अधिनियम के उपबन्धों तथा अन्य किसी विधि (law) के उपबन्धों के बीच कोई परस्पर विरोध अथवा असंगति (conflict or inconsistency) हो, तो इस अधिनियम के उपबन्धों को मान्यता दी जायगी।

(२) किसी अन्य विधायन (enactment) अथवा ऐसे विधायन के अन्तर्गत प्रभावी किसी करण (instrument) में कोई असंगत बात होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन दी गयी कोई आज्ञा अथवा दी हुयी समझी गयी कोई आज्ञा प्रभावशील रहेगी।

नियम बनाने का अधिकार।

२२—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्ववर्ती अधिकारों की सामान्यता को बाधित न करते हुये इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:—

(क) धारा ३ के अधीन प्रख्यापन का आकार (form) ;

(ख) आकार जिसमें धारा ४ और ८ के अधीन योजना प्रकाशित की जायगी ;

(ग) धारा ५ के अधीन नोटिस का आकार तथा रीति जिसके अनुसार वह तामील किया जायगा ;

(घ) आकार जिसमें अनुज्ञा-पत्र-गृहीता धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन अपना अनुबन्ध (agreement) निविष्ट (lodge) करेगा ;

(ङ) रीति जिसमें धारा ६ के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की जायंगी ;

(च) रीति जिसमें धारा ७ के अधीन आपत्तियों पर विचार होगा और उन्हें निस्तारित (dispose of) किया जायगा ;

(छ) धारा ७ के अधीन बोर्ड की कार्यप्रणाली तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया जिसमें इयत्ता संबंधी व्यवस्था (provision for quorum) भी सम्मिलित है ;

(ज) धारा ११ के अधीन प्रतिकर की धनराशि के अवधारण से सम्बद्ध विषय तथा उस पर ब्याज ;

(झ) रीति जिसमें प्रतिकर का भुगतान किया जायगा;

(ञ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किये जाने वाले प्राधिकारी, अधिकारी और कर्मचारिवर्ग तथा उनके अधिकार और कर्त्तव्य।

(ट) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारिवर्ग की सेवा की शर्तें तथा योग्यतायें ;

(ठ) इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को प्राप्त अधिकारों का प्रतिनिधायन (delegation) ;

(ड) इस अधिनियम के अधीन अधिक्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा उक्त अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ढ) ऐसी कालावधियों (time limits) का आरोपण जिनके भीतर इस अधिनियम के अधीन किये जाने वाले कार्य होने ही चाहिये तथा इसकी व्यवस्था कि उनमें (नियमों) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी आरोपित कालावधियां बढ़ाने का अधिकार हो अथवा न हों ;

(ण) ऐसे विषयों में जिनके लिये कोई सुस्पष्ट (specific) व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना पत्रों अथवा अन्य कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(त) इस अध्यादेश के अधीन किसी प्रार्थना पत्र अथवा कार्यवाही के संबंध में दिया जाने वाला शुल्क यदि कोई हो ; तथा

(थ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले है और नियत किये जांय।

अनुसूची १

(धारा ११ देखिये)

पैरा १—अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन कांट्रेक्ट कैरिज या स्टेज कैरिज या पब्लिक कैरियर्स परमिट के निरसन के उपलक्ष्य में धारा ११ के अधीन देय प्रतिकर अनुज्ञापत्र के अधीनस्थ प्रत्येक वाहन के लिये निम्नलिखित प्रकार से परिगणित किया जायेगा, अर्थात्

(१) अनुज्ञापत्र की अवशिष्ट अवधि के प्रत्येक पूरे मास अथवा मास के किसी भाग के लिये जो पंद्रह दिनों से अधिक हो, पचहत्तर रुपये ;

(२) अनुज्ञापत्र की अवशिष्ट अवधि के किसी मास के भाग के लिये जो पंद्रह दिनों से अधिक न हों, साढ़े सैंतीस रुपये;

किन्तु सदैव यह प्रतिबन्ध रहेगा कि प्रतिकर की धनराशि किसी भी दशा मे पचहत्तर रुपये से कम न होगी।

पैरा२—अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन स्टेज कैरिज अथवा पब्लिक कैरियर परमिट के अन्तर्गत मार्ग अथवा मार्गों में कमी किये जाने के उपलक्ष्य में धारा ११ के अधीन देय प्रतिकर निम्न लिखित सूत्र (Formula) के अनुसार परिगणित धनराशि होंगी :—

$$\frac{ल \times घ}{म}$$

इस सूत्र में:—

"ल" का तात्पर्य मीलों में उस लम्बाई से है, जितनी मार्ग में से कम की गई हो। "ध" का तात्पर्य उपर्युक्त पैरा १ के अनुसार परिगणित धनराशि से है। 'म' का तात्पर्य अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत मार्ग की मीलों में कुल लम्बाई से है।

अनुसूची २

(धारा १२ देखिये)

यदि धारा १२ के अनुसार कोई मोटर वाहन राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाय उसके लिये देय मूल्य ५०० रु० तक घटा या बढ़ा कर जिसे वाहन की दशा के कारण ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या उसका नामांकिती अवधारित करेगा निम्नांकित रूप में निर्धारित किया जायगा; अर्थात्

१—वाहन का मूल मूल्य जो निम्नांकित के बराबर होगा—

(क) (१) चैसिस के वर्तमान सूचीगत मूल्य (list price) में १० प्रतिशत की कमी करके; और

(२) वाहन के बाडी की मूल लागत जिसे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या उसका नामांकिती बाडी की बनावट (Design) तथा प्रकार और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को ध्यान में रख कर अवधारित करेगा;

के जोड़ में से निम्नलिखित घटा कर—

(ख)—(१) उस दिनांक से जब मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन वाहन की प्रथम रजिस्ट्री हुई थी, प्रारम्भ होने वाले पहले वर्ष के लिये अपकर्ष (Depreciation) के कारण मूल मूल्य का २५ प्रतिशत;

(२) द्वितीय वर्ष के लिये अपकर्ष के कारण उपर्युक्त (१) के अधीन परिगणित मूल्य (Written down value Computed) का २५ प्रतिशत; और

(३) प्रत्येक बाद के वर्ष के लिये अपकर्ष के कारण अपरिगणित मूल्य (Written down value Computed) का २० प्रतिशत प्रतिवर्ष।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी वर्ष में छः मास से कम की अवधियों के लिये अपकर्ष (depreciation) खंड (ख) के अधीन उस वर्ष के लिये परिगणित (computed) धनराशि का आधा होगा।

स्पष्टीकरण—पैरा (१) के प्रयोजनों के लिये छः मास से कम की अवधि गणना में नहीं ली जायगी और छः मास से अधिक की अवधि एक वर्ष मानी जायगी।

(२) यदि किसी कारण से चैसिस का सूचीगत मूल्य उपलब्ध न हो तो उसी प्रकार तथा नमूने की चैसिस के वर्तमान सूचीगत मूल्य को ध्यान में रखकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उसे अवधारित करेगा।

उद्देश्य और कारण

१—राज्य के औद्योगिक तथा आर्थिक साधनों के सुनियोजित विकास के लिये सुदक्ष पथ-परिवहन प्रणाली अत्यन्त आवश्यक है। अतएव यह विचार किया गया कि सार्वजनिक हित में तथा सामान्य कल्याण के हेतु राज्य को चाहिये कि वह पथ परिवहन को संगठित करे।

२—१९५० ई० में राज्य विधान मंडल ने १९५० ई० का उत्तर प्रदेश राजकीय पथ परिवहन (State Road Transport) अधिनियम राज्य में सामान्य कल्याण के हेतु उपयुक्त तथा सुदक्ष परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से विहित किया था। अन्य बातों के साथ-साथ उक्त अधिनियम में राज्य सरकार को उन मार्गों का प्रख्यापन करने का अधिकार दिया गया था, जिन पर राज्य सरकार अकेले अथवा अन्य किसी के सहयोग में पथ परिवहन सेवायें संचालित करे। बहुत से मामलों में यह आवश्यक हो गया कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन निजी व्यक्तियों को दिये गये अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिये जायं या उनमें कमी कर दी जाय। अभी हाल के ही एक मुकदमे में भारत के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने निर्णय किया है कि ऐसा निरसन करने में भारत के संविधान के अनुच्छेद ३१ के अनुबन्ध लागू होते हैं और उक्त निरसन के संबंध में प्रतिकर की व्यवस्था करना आवश्यक है।

३—अतएव उक्त निर्णय के अनुसार यह आवश्यक समझा गया है कि विधि में प्रतिकर देने की व्यवस्था की जाय।

४—इसलिए विधेयक में राजकीय पथ परिवहन के संचालन की व्यवस्था करने के अतिरिक्त उन संचालकों को प्रतिकर देने की भी व्यवस्था की गयी है जनके अनुज्ञापत्र (permit) किसी भी अपनाई जाने वाली योजना के अधीन निरस्त किये जायं।

५—अतएव यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चरण सिंह,
परिवहन मंत्री।

पी० एस० यू पी० ए० पी० २९५ एल० ए० —१९५५—८०० ।